

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2013

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों का निरस्तीकरण

1. (*क्र. 319) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011 एवं 2012 में प्रदेश में कुल कितने फर्जी राशन कार्ड निरस्त किये गये ? जिलेवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : वर्ष 2011 में प्रदेश में फर्जी राशनकार्ड नहीं पाये गये. वर्ष 2012 में रायपुर जिले में 89 फर्जी राशनकार्ड तथा बालोद जिले में 1456 फर्जी राशनकार्ड निरस्त किए गए.

वाणिज्यिक वाहनों के फर्जी परमिट पर अधिरोपित शास्ति

2. (*क्र. 286) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग द्वारा जांच में पिछले 4 वर्षों में कितने वाणिज्यिक वाहनों के परमिट फर्जी पाये गये ? जिलेवार पृथक-पृथक बताएं. (ख) इन वाहनों पर कितनी शास्ति अधिरोपित की गयी ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) केवल अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जिला-राजनांदगांव के अधीन परिवहन चेक-पोस्ट, पाटेकोहरा द्वारा पिछले 04 वर्षों में जांच के दौरान 07 वाणिज्यिक वाहनों के परमिट फर्जी पाये गये हैं. विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नांश-“क” से संबंधित वाहनों के प्रकरण संज्ञेय अपराध होने के कारण शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है. अपितु संबंधित वाहनों का जसी व पंचनामा तैयार कर पुलिस थाना, चिचोला, जिला-राजनांदगांव में एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर प्रकरण सौंपा गया है.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

3. (*क्र. 715) **श्री डोमनलाल कोसेवाड़ा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी दुकानें हैं ? (ख) उक्त दुकानों में से कितनी दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा एवं कितनी दुकानें स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (ख) दुर्ग जिले के अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 91 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नवीन धान खरीदी केन्द्र संचालन/आरंभ करने संबंधी

4. (*क्र. 755) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में खरीफ 2012 के लिये घुंचापाली कला, मोंगरापाली (रेवा), सोनदादर (छुईहा), परसुली, तमोरा, नयापारा कला, कोल्दा (पिथौरा) में धान खरीदी केन्द्र खोलने हेतु कोई पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हां तो क्या यह सही है कि संबंधित कार्यालयों द्वारा समय पर कार्यवाही पूर्ण नहीं किये

जाने के कारण इनमें से कई प्रस्तावित स्थल मापदण्डों के अनुसार पात्र होने के बाद भी खरीदी केन्द्र आरंभ नहीं किये जा सके ? यदि हां तो किन-किन कार्यालयों में क्या-क्या कार्यवाही कितने दिनों तक लंबित रही ? कार्यालयवार जानकारी प्रदान करें.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (ख) जी हां. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

राजनांदगांव जिले में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी पर कार्यवाही

5. (*क्र. 764) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में एल.पी.जी. गैस की कालाबाजारी के कितने प्रकरण उजागर हुए ? विभाग द्वारा इन प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : राजनांदगांव जिले में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में एलपीजी गैस की कालाबाजारी के प्रकरण नहीं पाये गये हैं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

औद्योगिक क्षेत्र उरला में भूमि का आवंटन

6. (*क्र. 725) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर में भूखंड क्रमांक 704 पार्ट ए. बी. सी. तथा 704 डी एवं 705 ए.बी.सी. तथा 705 डी. किनको-किनको, कब-कब, किन-किन शर्तों के अधीन, किन नियमों के तहत किस किस कार्य हेतु आवंटित किया गया है ? (ख) उक्त भूखंडों के आवंटन हेतु कुल कितने आवेदन कब-कब किस-किस, कार्य हेतु कहां-कहां के किसके-किसके प्राप्त हुए थे ? आवंटन का आधार क्या था ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर में भूखंड क्रमांक 704 पार्ट ए.बी.सी.डी. एवं भूखण्ड क्रमांक 705 ए.बी.सी.डी. का आवंटन मेसर्स रोजर पावर टेक्नालाजिस्ट प्रा. लि. को दिनांक 16-09-2009 एवं 30-01-2010 को इकाई के साथ निष्पादित लीड डीड की शर्तों के अधीन छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड प्लॉट एवं भूमि) आवंटन नियम 1974 के तहत एच.डी.पी.ई./पी.पी. वूवन साक्स इत्यादि हेतु आवंटित किया गया है. (ख) उक्त भूखण्डों हेतु केवल एक इकाई के दो आवेदन दिनांक 16-06-2009 एवं 18-01-2010 को एच.डी.पी.ई./पी.पी. वूवन साक्स इत्यादि हेतु मेसर्स रोजर पावर टेक्नालाजिस्ट प्रा. लि. रायपुर से आवेदन प्राप्त हुआ था. भूमि रिक्त होने एवं इकाई द्वारा मांग किये जाने के कारण भूमि का आवंटन किया गया.

मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को वितरित राशन कार्ड

7. (*क्र. 458) **श्री शिवराज सिंह उसारे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वालों हेतु कितने राशन कार्ड बनाये गये हैं ? क्या बनाये गये कार्ड हितग्राहियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं ? यदि नहीं तो, क्यों और कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? (ख) जिला कलेक्टर राजनांदगांव के पास कितने ग्राम पंचायतों से कितने हितग्राहियों को कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वालों हेतु वर्ष 2010-11 में 56 राशनकार्ड एवं वर्ष 2011-12 में 2,970 राशनकार्ड बनाये गये हैं. जी हां, राशनकार्ड हितग्राहियों को उपलब्ध करा दिया गया है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) कलेक्टर राजनांदगांव के पास ग्राम पंचायतों से राशनकार्ड जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं. यद्यपि प्रश्नांकित अवधि में जनपद पंचायत कार्यालय से प्राप्त पात्र हितग्राहियों की सूची अनुसार 3,026 राशनकार्ड जारी किये गये हैं.

जिला जांजगीर-चांपा में आवास वितरण

8. (*क्र. 770) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के सभी विकासखण्डों में 1 जनवरी, 2012 से 1 जनवरी, 2013 तक कुल कितने-कितने हितग्राहियों को आवास वितरण किया गया ? (ख) विकासखण्डवार हितग्राहियों का नाम, वर्गवार देवें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के केवल नवागढ़ विकासखण्ड के हसदेव बिहार कॉलोनी में 01 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 तक कुल 169 हितग्राहियों को आवास वितरित किये गये हैं. (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को भू आवंटन

9. (*क्र. 559) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र कापन में दिनांक 25-01-2013 की स्थिति में किन-किन औद्योगिक इकाइयों को कितनी-कितनी जमीन कब-कब आवंटित की गई है ? कितनी जमीन शेष है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जांजगीर-चांपा में अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र कापन में दिनांक 25-01-2013 की स्थिति में किसी भी इकाई को भूमि आवंटित नहीं की गई है, औद्योगिक क्षेत्र का कुल रकबा 106.41 एकड़ यथावत है.

सुकमा जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

10. (*क्र. 727) **श्री लखमा कवासी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुकमा जिले में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं ? (ख) उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) सुकमा जिले में 138 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. (ख) उचित मूल्य की दुकानों का संचालन आदिमजाति सेवा सहकारी समिति, अन्य सहकारी समितियों, ग्राम पंचायत, महिला स्व-सहायता समूह एवं वन सहकारी समिति के माध्यम से किया जा रहा है.

दुर्ग जिले के सेलूद उपार्जन केन्द्र में अमानक धान की खरीदी

11. (*क्र. 368) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दुर्ग जिले के सेलूद उपार्जन केन्द्र में धान के नाम पर बदरा की खरीदी का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां तो अमानक धान की खरीदी कैसे की गई ? विस्तृत जानकारी दें ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? (ख) दुर्ग जिले में धान खरीदी की मानिट्रिंग के लिए कौन-कौन से स्तर के अधिकारियों को लगाया है ? क्या इन अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि की गई तथा दोषी व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी हां. बृहताकार सहकारी समिति सेलूद द्वारा क्रय किए गए एवं मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र को दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रदाय 300 बोरा धान में 46 बोरा धान अमानक एवं इन बोरियों में 40 किलो से कम धान पाया गया, जिस हेतु प्रथम दृष्टया श्री यशवंत कुमार देवांगन, समिति प्रबंधक, सेलूद को जिम्मेदार पाया गया है. (ख) दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मानिट्रिंग हेतु सहायक खाद्य अधिकारियों, खाद्य निरीक्षक, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति, सरपंच ग्राम पंचायत एवं पटवारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी. इसके अलावा प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है. खरीदे गए धान के प्रत्येक बोरे में धान की गुणवत्ता एवं वजन की पुष्टि मानिट्रिंग हेतु उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. खरीदी केन्द्र स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार किसानों से धान क्रय का प्राथमिक दायित्व संबंधित समिति के प्रबंधक एवं उनके कर्मचारियों का है. सेलूद खरीदी केन्द्र में अमानक स्तर का धान क्रय करने के लिए प्रथम दृष्टया श्री यशवंत कुमार देवांगन, समिति प्रबंधक, सेलूद को जिम्मेदार पाया गया है, अतः उन्हें दिनांक 12-01-2013 को निलंबित कर कार्यवाही की जा रही है.

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के हितग्राही

12. (*क्र. 346) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत वर्तमान में लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में कितने हितग्राही हैं ? विकासखण्डवार बतायें ? (ख) कितने राशन कार्डों को फर्जी आधार पर निरस्त

किया गया है ? निरस्त किये गये कार्डों की संख्या कितनी है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत लैलूंगा विकासखण्ड में 19,591, तमनार विकासखण्ड में 13,736 तथा रायगढ़ विकासखण्ड में 6,622 हितग्राही हैं. (ख) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में फर्जी राशनकार्ड नहीं पाए जाने के कारण शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

विकासखण्ड कसडोल में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

13. (*क्र. 759) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां, कब-कब से स्थापित हैं ? (ख) क्षेत्र में कौन-कौन से मध्यम, वृहद उद्योग कब-कब से कहां-कहां संचालित हैं, तथा कौन-कौन से प्रस्तावित हैं ? (ग) क्या विकासखण्ड कसडोल में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु मांग की गई है ? यदि हां तो किस स्तर पर लंबित है कारण सहित बतायें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है. (ख) “क” के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हां. औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु शासकीय भूमि के चयन हेतु तथा भूमि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये कार्यवाही जिला प्रशासन, बलौदाबाजार-भाटापारा में प्रचलन में है.

“डीलर्स पाईट रजिस्ट्रेशन सिस्टम” के तहत वाहनों की बिक्री

14. (*क्र. 751) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) “डीलर्स पाईट रजिस्ट्रेशन सिस्टम” के तहत नए वाहनों की बिक्री के समय डीलर्स कंपनी/एजेन्सी द्वारा 1 जून, 2012 से 31-01-2013 तक कितने स्थायी/अस्थायी पंजीयन कर क्रेता को वाहनों की सुपुर्दगी दी गई ? (ख) क्या यह सही है कि कंडिका “क” के सिस्टम में नए वाहनों के मामले में वाहनों की डिलवरी के समय ही गाड़ियों के पंजीयन नम्बर आवंटित करने का प्रावधान है ? यदि हां तो क्या इसका पालन सुनिश्चित किया गया ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) “डीलर्स पाईट रजिस्ट्रेशन सिस्टम” के तहत नए वाहनों की बिक्री के समय डीलर्स कंपनी/एजेन्सी द्वारा 01 जून, 2012 से 31-01-2013 तक 65,946 स्थायी एवं 7,155 अस्थायी पंजीयन कर क्रेता को वाहनों की सुपुर्दगी दी गई. (ख) जी हां. इसका पालन सुनिश्चित किया गया है.

प्रदेश के किसानों से धान क्रय हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सब्सिडी राशि

15. (*क्र. 106) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किसानों द्वारा धान खरीदी पर वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में 20 जनवरी, 13 तक कुल कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई ? (ख) उक्त राशि में से उपरोक्त तिथि तक कितना व्यय किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु केन्द्र शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है. अतः वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में प्रश्नांकित अवधि तक इस हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय योजनांतर्गत जारी राशन कार्ड

16. (*क्र. 672) **श्री अमरजीत भगत** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. राज्य में खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 तक कुल कितने राशन कार्ड ए.पी.एल./बी.पी.एल. अन्त्योदय योजना अंतर्गत जारी किये गये ? (ख) भारत सरकार द्वारा उक्त योजना अंतर्गत ए.पी.एल./बी.पी.एल. अन्त्योदय के हितग्राहियों को कितनी सब्सिडी प्रति किलो की दर से दी जा रही है ? (ग) उक्त अवधि में शिकायत के आधार पर कितने कार्ड निरस्त किए गए ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में एपीएल योजना के 22.38 लाख राशनकार्ड, बीपीएल एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के 29.42 लाख राशनकार्ड तथा अन्त्योदय योजना के 8.19 लाख राशनकार्ड जारी किए गए. (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में एपीएल योजना, बीपीएल योजना एवं अन्त्योदय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2011-12 एवं खरीफ वर्ष 2012-13 का चावल वितरित किया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार द्वारा देय प्रावधानिक सब्सिडी दर की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) प्रश्नांकित अवधि में शिकायत के आधार पर 74 राशनकार्ड निरस्त किए गए.

जिला जांजगीर-चांपा में उचित मूल्य की संचालित दुकानें

17. (*क्र. 137) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में ए.पी.एल./बी.पी.एल. एवं निराश्रितों को क्या-क्या वस्तु, कितनी-कितनी मात्रा में एवं कितने-कितने मूल्य पर प्रदान की जाती है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 622 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायगढ़ जिला में अटल आवासों का आवंटन

18. (*क्र. 719) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में रायगढ़ जिले में कहां-कहां, कितने-कितने अटल आवास स्वीकृत किये गये एवं वर्तमान में कितने स्वीकृत करने की योजना है ? (ख) प्रश्नांक “क” में स्वीकृत अटल आवासों को कितने हितग्राहियों को आवंटित कर दिया गया एवं कितने शेष हैं ? शेष अटल आवासों को कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ? (ग) अटल आवास आवंटित करने के मापदंड क्या है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले में कहीं भी अटल आवास स्वीकृत नहीं किये गये हैं. वर्तमान में स्वीकृत करने की कोई योजना भी नहीं है. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) वर्तमान में प्रचलित आदेशों के अनुसार ऐसे हितग्राहियों को आवंटित किया जाता है जिनकी वार्षिक आय रु. 60,000.00 से अधिक नहीं है तथा जिनके पास उपयुक्त आवास की व्यवस्था नहीं है.

प्रदेश में अटल आवास योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन आवास

19. (*क्र. 662) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस-किस स्थान पर, कितनी-कितनी संख्या में, कितनी लागत की अटल आवास योजना का निर्माण, किस-किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है ? निर्माण स्थल का नाम, जिलेवार, निर्माणाधीन मकानों की संख्या, निर्माण लागत की राशि, निर्माण हेतु स्वीकृति की तिथि बतायें. (ख) प्रश्नांश (क) में निर्माणाधीन अटल आवास में कितने पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? संख्या बतायें. (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में निर्मित अटल आवास में से कितने आवासों को पात्र हितग्राहियों को आवंटित कर दिया गया है ? संख्या बतायें.

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) निर्मित/निर्माणाधीन आवासों में से 7096 आवास आवंटित कर दिये गये हैं.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

20. (*क्र. 408) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं ? (ख) विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों के लोगों को 5 कि.मी. या अधिक दूरी पर खाद्यान्न लेने उचित मूल्य दुकान जाना पड़ता है ? किन-किन गांवों के लोगों को नदी नाले पार कर उचित मूल्य दुकान जाना पड़ता है ? (ग) क्षेत्र में सुविधाजनक खाद्यान्न वितरण हेतु कितनी नयी उचित मूल्य की दुकानें प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में 98 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। (ख) ग्राम चण्डीभौना, गिरना, बोईरमाल, सिरसोभा, दामोदरहा, लीमगांव, बैतारी, जोबा, मुरकूरी, बांझापानी, खोखेपुर, टिभुपाली, पलसापाली, अमलीपदर, पुजारीपाली, छिबरी एवं लुकापारा की दूरी उचित मूल्य दुकान से 05 किलो मीटर से अधिक है। सभी दुकानों हेतु बारहमासी सुगम पहुंच मार्ग उपलब्ध है। (ग) इस क्षेत्र में 1 नई उचित मूल्य दुकान मार्च 2013 से प्रारंभ होगी तथा 3 उचित मूल्य दुकाने खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मरवाही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अंजनी में संचालित उद्योग

21. (*क्र. 203) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मरवाही विधान सभा क्षेत्र के गौरैला विकासखण्ड में अंजनी ग्राम के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु क्या प्रोत्साहन योजना है ? (ख) वर्तमान में वहां कितने उद्योग संचालित किए जा रहे हैं ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में (औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र में सम्मिलित होने से) औद्योगिक नीति 2009-14, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 एवं आटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले विशिष्ट प्रोत्साहन दिये जाते हैं। जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) वर्तमान में 10 उद्योग संचालित किये जा रहे हैं।

जिला कांकेर में खाद्य पदार्थों के अवैध भण्डारण एवं कालाबाजारी पर कार्यवाही

22. (*क्र. 774) **श्री ब्रम्हानंद नेताम** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में जिला कांकेर में खाद्यान्न, रसोई गैस सिलेण्डर, मिट्टी तेल के अवैध भण्डारण एवं कालाबाजारी से संबंधित कुल कितनी शिकायतें किनके-किनके विरुद्ध प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विकासखण्डवार आईटमवार जानकारी दें ? (ख) उक्त अवधि में किन-किन दुकानों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर किस-किस धारा के अंतर्गत क्या-क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ग) क्या उक्त अवधि में उचित मूल्य की दुकानों के खाद्यान्न की कालाबाजारी के भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं ? यदि हां तो कहां-कहां किनके-किनके विरुद्ध तथा प्रकरण में कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जिला कांकेर में खाद्यान्न, रसोई गैस सिलेण्डर, मिट्टी तेल के अवैध भण्डारण के वर्ष 2011-12 में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2012-13 में 1 शिकायत विशवम्भर गैस एजेंसी, पखांजूर के विरुद्ध प्राप्त हुई। शिकायत की जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। गैस एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को पत्र लिखा गया है। (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हां। विकासखण्ड भानुप्रतापपुर में उचित मूल्य दुकान चौगेल के सेल्समेन श्री देवेन्द्र साहू के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में लंबित है। शेष विकासखण्डों में खाद्यान्न की कालाबाजारी के प्रकरण दर्ज नहीं हुये हैं।

महासमुंद जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

23. (*क्र. 267) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान खोले जाने का मापदण्ड क्या है ? (ख) विधान सभा क्षेत्र महासमुन्द में कितनी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? (ग) कितनी दुकानें स्वयं के भवन में कितनी किराये के भवन में संचालित हैं ? भवन विहीन दुकानों में कब तक भवन बना दिये जायेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः नगरी क्षेत्रों में प्रति एक हजार राशनकार्डों (जिसमें कम से कम 400 बीपीएल या अन्त्योदय राशनकार्ड हो) के लिए एक उचित मूल्य दुकान खोले जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को इकाई मानकर उचित मूल्य दुकान स्थापित किए जाने का प्रावधान है। (ख) महासमुंद विधान सभा क्षेत्र की 84 ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित हैं। (ग) 73 उचित मूल्य दुकानें स्वयं के भवन में तथा 11 दुकानें किराये के भवन में संचालित हैं। दुकानों के लिए भवन निर्माण की निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खाद्यान्न सामग्रियों के अवैध भण्डारण/विक्रय पर कार्यवाही

24. (*क्र. 162) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 2011-12 एवं 2012-13 में दिसम्बर, 2013 तक खाद्यान्न सामग्री तथा मिट्टी तेल से संबंधित अनियमितता, अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय के कितने-कितने प्रकरण, कहां-कहां, किस-किस तारीख को प्राप्त हुए हैं ? (ख) उपरोक्त प्रकरणों पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2011-12 में केरोसिन दुरुपयोग के 25, केरोसिन अवैध भण्डारण के 2 एवं खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता के 7 कुल 34 प्रकरण तथा वर्ष 2012-13 में दिसंबर, 2012 तक केरोसिन दुरुपयोग के 6, एवं खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता के 9 कुल 15 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

राजनांदगांव के ग्राम पेण्ड्री में अटल आवास योजना अंतर्गत निर्मित फ्लैट/आवास का निर्माण लागत की जानकारी

25. (*क्र. 287) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव के ग्राम पेण्ड्री में अटल आवास योजना के अंतर्गत कब एवं कितने मकान/फ्लैटों का निर्माण किया गया ? (ख) इसमें कुल कितनी लागत आई ? (ग) वर्तमान में इनमें कितने परिवार निवासरत है ? कितने मकान/फ्लैट रिक्त हैं ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) राजनांदगांव के ग्राम पेण्ड्री में अटल आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 395 अटल आवास भवन निर्माणाधीन है. (ख) भवनों के निर्माण में अनुमानित लागत रु. 592.50 लाख होगी. (ग) चूंकि भवन निर्माणाधीन है. अतः कोई परिवार निवासरत नहीं है. निर्माणाधीन समस्त भवन आवंटित है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों एवं उप केन्द्र

1. (क्र. 138) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने धान खरीदी केन्द्र एवं उपकेन्द्र हैं ? (ख) क्या प्रदेश के सभी धान खरीदी केन्द्रों में सोना मासुरी नामक धान को पतला की श्रेणी में खरीदा जाता है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या जिला जांजगीर-चांपा के धान खरीदी केन्द्रों में सोना मासुरी नामक धान को मोटा की श्रेणी में खरीदा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 1292 धान खरीदी केन्द्र तथा 655 उपकेन्द्र संचालित थे. (ख) प्रदेश के सभी जिलों में सोना मासुरी धान का उत्पादन नहीं होता है, अतः सभी धान खरीदी केन्द्रों में सोना मासुरी धान की खरीदी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं. वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में जांजगीर-जिले में सोना मासुरी धान पतला धान की श्रेणी में क्रय किया गया.

प्रदेश में कार्यरत उपभोक्ता फोरम

2. (क्र. 331) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने उपभोक्ता फोरम कार्यालय कार्यरत हैं ? तथा दिनांक 25-01-13 की स्थिति में उक्त फोरम में कितने परिवार लंबित हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : प्रदेश में वर्तमान में कुल 16 जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय कार्यरत हैं. तथा दिनांक 25-01-2013 की स्थिति में उक्त फोरम में 3163 परिवार लंबित हैं.

भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध गैस सिलेण्डर के निर्माण पर कार्यवाही

3. (क्र. 369) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर में भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में कितने अवैध गैस सिलेण्डर को बनाते हुए जप्त किया गया ? (ख) इस फैक्ट्री में किन-किन कंपनियों के गैस सिलेण्डर का निर्माण किया जा रहा था ? फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायपुर में भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में अवैध रूप से 135 पूर्ण निर्मित एवं 1648 निर्माणाधीन सिलेण्डर जप्त किये गये. (ख) उक्त फैक्ट्री में इण्डेन गैस कंपनी के पूर्ण निर्मित सिलेण्डर पाये गये तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन रायपुर के सिलेण्डर निर्माण से संबंधित डाई एवं उपकरण पाये गये. फैक्ट्री मालिक नचिकेत तापड़िया (मोन्टू) के विरुद्ध थाना खमतराई में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 22/2013, दिनांक 10-01-2013 को दर्ज कराई गई है.

प्रदेश में कार्यरत उपभोक्ता फोरम न्यायालय

4. (क्र. 409) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ के किन-किन स्थानों में उपभोक्ता फोरम न्यायालय है ? वर्तमान में किस-किस उपभोक्ता फोरम न्यायालय में पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी पदस्थ हैं ? (ख) महासमुंद उपभोक्ता फोरम न्यायालय में 01 जनवरी, 2010 से 31 जनवरी, 2013 तक कितने प्रकरण न्यायालय में पंजीकृत हुये तथा कितने का निराकृत किया गया ? (ग) उपभोक्ता फोरम में अशासकीय सदस्य के मनोनयन की क्या प्रक्रिया/मापदण्ड है ? महासमुंद में अशासकीय सदस्य उपभोक्ता फोरम में कब-कब, कौन-कौन नियुक्त हुये ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. वर्तमान में जिला रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरिया उपभोक्ता फोरम न्यायालय में पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी पदस्थ हैं. (ख) महासमुंद उपभोक्ता फोरम न्यायालय में प्रश्नांकित अवधि में 112 प्रकरण पंजीकृत हुये तथा 106 प्रकरणों को निराकृत किया गया. (ग) उपभोक्ता फोरम में अशासकीय सदस्य के मनोनयन की प्रक्रिया एवं मानदण्ड की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. महासमुंद उपभोक्ता फोरम न्यायालय में नियुक्त अशासकीय सदस्यों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है.

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति क्विंटल किसानों को प्रदत्त बोनस

5. (क्र. 464) **श्री शिवराज सिंह उसारे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 में 31-01-2013 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति क्विंटल पतला एवं मोटा धान की खरीदी में कितना-कितना बोनस दिया गया है ? वर्षवार बतायें. (ख) उक्त वर्षों में केन्द्र शासन के अनुरूप राज्य शासन द्वारा प्रति क्विंटल धान की खरीदी में कितना-कितना बोनस दिया गया है ? वर्षवार बतायें.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) केन्द्र शासन वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 में 31-01-2013 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में बोनस नहीं दिया गया. (ख) खरीफ वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया. वर्ष 2013 में बोनस नहीं दिया गया है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित भवन विहीन उचित मूल्य की दुकानें

6. (क्र. 560) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी उचित मूल्य की दुकानें कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं ? उक्त में से कितनी दुकानें भवन विहीन हैं ? (ख) भवन विहीन उचित मूल्य की दुकानों का कब तक भवन बना दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में 101 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. स्थानवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. उक्त में से 23 दुकानें भवनविहीन हैं. (ख) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जिला मुंगेली में निर्मित विभिन्न राशन कार्डों की जानकारी

7. (क्र. 663) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुंगेली में 1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक कितने लोगों का अन्त्योदय राशन कार्ड, बी.पी.एल. राशन कार्ड एवं ए.पी.एल. राशनकार्ड बनाया गया है ? विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार संख्या बतायें. (ख) प्रश्न (क) राशनकार्डों को बनाने हेतु शासन के मापदण्ड एवं प्रक्रिया क्या है ? (ग) क्या यह सत्य है कि जिला मुंगेली के वनग्रामों में प्रश्न (क) में पूछे गये कार्ड नहीं बनाये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों नहीं बनाये गये हैं ? कारण बतायें.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जिला-मुंगेली में प्रश्नांकित अवधि तक 8,716 अन्त्योदय, 767 बीपीएल एवं 8,106 एपीएल राशनकार्ड बनाया गया है. विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) जी नहीं. वन ग्रामों में प्रश्नांश “क” में पूछे गये राशनकार्ड बनाये गये हैं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

जिला रायगढ़ में खाद्यान्न के अवैध भंडारण पर कार्यवाही

8. (क्र. 718) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में जिला रायगढ़ अंतर्गत कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी मात्रा में दलहन, शक्कर, मिट्टी तेल के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उक्त अवधि में किन-किन राशन दुकानों के संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? (ग) क्या ग्राम पंचायत रजघट्टा विकासखण्ड खरसिया में उचित मूल्य की दुकान आवंटन संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में दलहन, शक्कर एवं मिट्टी तेल अवैध भंडारण तथा कालाबाजारी संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी हाँ. शिकायत सही नहीं पाई गई.

भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी

9. (क्र. 726) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार द्वारा राज्य में कुल कितने ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को अलग-अलग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण हेतु क्या-क्या सामग्री वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में माह जनवरी 2013 तक आवंटित की गई है ? (ख) उक्त अवधि के लिये कितनी सब्सिडी का क्लेम भारत सरकार से कब-कब किया गया है तथा कब-कब कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 16.90 लाख एपीएल, 11.56 लाख बीपीएल एवं 7.19 लाख अन्त्योदय परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का स्थायी आवंटन जारी किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन भारत सरकार द्वारा योजनावार परिवारों की संख्या के आधार पर जारी नहीं किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्राप्त खाद्यान्न के आवंटन की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

जिला महासमुन्द में खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था के तहत टेण्डर में एकीकृत दर से अधिक भुगतान संबंधी

10. (क्र. 752) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में सरकारी उचित मूल्य के दुकानों में खाद्यान्न आपूर्ति की परिवहन व्यवस्था के लिए वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कब-कब निविदा आमंत्रित की गई ? कितने निविदाकारों ने भाग लिया ? न्यूनतम किस दर पर किनको परिवहन हेतु आदेश दिए गए ? (ख) क्या कंडिका “क” के परिवहनकर्ता को टेण्डर में एकीकृत दर से अधिक भुगतान की स्वीकृति की गई है ? यदि हां तो किनके द्वारा, किन नियमों के तहत ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका “क” के कार्य जिन फर्म/ट्रांसपोर्ट के टेण्डर का दर, एकीकृत न्यूनतम दर से अधिक था उन्हें भी परिवहन का कार्य दिया गया है ? यदि हां तो उनका नाम पता सहित ब्यौरा दें.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) एवं (ग) जी नहीं.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बारदानों की आपूर्ति एवं गुणवत्ता

11. (क्र. 765) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ वर्ष 2012-13 में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु कहाँ-कहाँ, कब-कब, कितने-कितने बारदानों की आपूर्ति की है ? तिथिवार, स्थानवार, बारदानों की मात्रावार जानकारी देवें ? (ख) उक्त बारदानों की सप्लाय किसके द्वारा की गई है और इसकी गुणवत्ता का परीक्षण किसके-किसके द्वारा किया गया है ? क्या बारदानों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाई गई है ? यदि हां तो तत्संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) बारदानों की सप्लाय निर्देशक सप्लाय एण्ड डिस्पोजल भारत सरकार वाणिज्य विभाग, कोलकाता द्वारा की गई है. बारदाने की गुणवत्ता का परीक्षण कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा गठित दल द्वारा किया गया है. बारदानों की गुणवत्ता में कमी नहीं पाई गई. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

जांजगीर-चांपा जिले में उद्योग की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन

12. (क्र. 771) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के 9 विकासखण्डों में 1 जनवरी, 2009 से 1 जनवरी, 2013 तक कुल कितने आवेदकों के आवेदन किस-किस उद्योग के लगाने हेतु प्राप्त हुए ? (ख) कितने आवेदकों को ऋण प्राप्त हुआ कितने को नहीं ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के 09 विकासखण्डों में 01 जनवरी, 2009 से 01 जनवरी 2013 तक कुल 400 आवेदन उद्योग लगाने हेतु प्राप्त हुये हैं. उद्योगवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) 76 आवेदकों को ऋण प्राप्त हुआ तथा 324 आवेदकों को ऋण प्राप्त नहीं हुआ.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिले के उद्योगों से निकले फ्लाई एस. का ट्रीटमेंट

1. (क्र. 55) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के स्टील एवं पावर उत्पादन केन्द्रों एवं राईसमिलों से निकले हुए फ्लाई एश/जला हुआ भूसा को व्यवस्थित रूप से जमा करने हेतु, निर्धारित जगहों पर अहाता निर्माण करके ट्रीटमेंट करके वृक्षारोपण करने का कार्य, किस-किस उद्योग के द्वारा किया जाना विभाग ने सुनिश्चित कराया है ? उद्योगवार जानकारी देवें ? (ख) प्रदूषित पानी को नदी नाले या खेतों में छोड़ने की कहां-कहां शिकायतें आई हैं ? उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायगढ़ जिले में संचालित स्टील/स्पंज आयरन संयंत्रों, विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा उसना राईस मिलों से उत्पन्न ठोस अपशिष्टों यथा राख/डस्ट का जिन उद्योगों से समुचित प्रबंधन/अपवहन किया जाकर वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित कराया गया है, की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) विगत एक वर्ष में उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी को नदी/नाले या खेतों में छोड़े जाने की शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

रायगढ़ जिले के धान खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव

2. (क्र. 56) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के कौन-कौन से धान संग्रहण केंद्रों से कौन-कौन और कितने राईस मिलों को कब तक खरीदी केन्द्र 2012-13 में 100 प्रतिशत धान मिलाई हेतु लक्ष्य निर्धारित है ? (ख) 23-1-13 तक राईस मिलों के द्वारा कितनी मात्रा में धान का उठाव किया गया क्या ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) समर्थन मूल्य पर उपाजित धान की मिलिंग हेतु राईस मिलवार लक्ष्य नियत नहीं किए जाते हैं. (ख) रायगढ़ जिले में दिनांक 23-01-2013 तक राईस मिलों द्वारा 78,239 मेट्रिक टन धान का उठाव किया गया है.

जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत पेट्रोल/डीजल के नमूनों की जांच

3. (क्र. 155) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने पेट्रोल/डीजल के पंप संचालित हैं ? नाम एवं स्थान सहित विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें. (ख) 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 तक किन-किन पेट्रोल/डीजल पंपों में जांच का कार्य किया गया एवं जांच में क्या कमियां पाई गयी एवं उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या जिला जांजगीर-चांपा में संचालित पेट्रोल/डीजल पंपों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किनके-किनके विरुद्ध नाम पता सहित बतायें.

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 42 पेट्रोल/डीजल पंप संचालित हैं. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित पेट्रोल/डीजल पंपों की प्रश्नांकित अवधि में विभाग के अमले द्वारा जांच किया गया. जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई. अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं. पेट्रोल/डीजल पंपों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

जिला रायगढ़ में उपभोक्ता फोरम में प्राप्त शिकायतें

4. (क्र. 175) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में उपभोक्ता फोरम में सत्र 2011 एवं सत्र 2012 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्राप्त शिकायतों में कितने प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है ? कितने लंबित हैं लंबित प्रकरण का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्राप्त शिकायतों के निराकरण एवं लंबित शिकायतों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. न्यायालयीन प्रकरण होने के कारण निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जिला रायगढ़ में चावल के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण

5. (क्र. 176) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ में वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में चावल के अवैध परिवहन किये जाने संबंधी कितने प्रकरण दर्ज किये गये एवं किस राईस मिल से कितने कट्टे चावल जब्त किये गये ? (ख) प्रश्नांश “क” में चावल के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों में फर्म, वाहन एवं वाहन चालक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2011 एवं 2012 में चावल के अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज नहीं किये गये हैं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रकाश इंडस्ट्री द्वारा पर्यावरण नियम के उल्लंघन संबंधी

6. (क्र. 209) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रकाश इंडस्ट्री को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में पत्र लिखा गया है ? (ख) यदि हां तो क्या कोयला उत्खनन बंद कर दिया गया है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की ग्राम-चोटिया, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा स्थित कोयला खदान का उत्खनन बंद करने के निर्देश जारी नहीं किये गये हैं.

चित्रकोट वि.स. क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत वितरित राशन कार्ड

7. (क्र. 252) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने लोगों को राशन कार्ड प्रदान किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में कितने लोगों को राशन कार्ड वितरण किया जाना शेष है ? शेष राशन कार्ड कब तक प्रदान किया जावेंगे ? (ग) क्या उक्त योजना के पूर्व कार्डधारियों को राशन देने का प्रावधान है ? यदि हां तो पुराने कार्डधारियों को राशन देने की क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में कुल 49,399 हितग्राहियों को राशनकार्ड प्रदाय किया गया है. विकासखण्ड बास्तानार में 8,425 राशनकार्ड, तोकापाल में 15,018 राशनकार्ड, लोहण्डीगुड़ा में 14,715 राशनकार्ड तथा दरभा में 11,241 राशनकार्ड प्रदाय किया गया है. (ख) उक्त योजना अंतर्गत चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में राशनकार्ड वितरण किया जाना शेष नहीं है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला महासमुंद में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकानों का निर्माण

8. (क्र. 277) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 व 2012-13 में जिला महासमुन्द में छ.ग. हाउसिंग बोर्ड द्वारा किन-किन स्थानों में कौन-कौन से प्रकार के कितने आवासीय मकानों का निर्माण कितने संख्या में कराये गये हैं ? (ख) निर्मित मकानों में कितने मकान बिक्री/आवृत्त किये गये हैं ? प्रति मकान विक्रय राशि क्या है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में महासमुन्द जिले के निम्न स्थानों में छ.ग. हाउसिंग बोर्ड द्वारा निम्नानुसार आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है :-

1. मचेवा में 50 एल.आई.जी. दीनदयाल आवास
2. बसना में 262 अटल आवास.

(ख) प्रश्नांश “क” में निर्माणाधीन भवनों में से केवल मचेवा के 16 भवनों को छोड़कर शेष मकान आवृत्त किये जा चुके हैं. दीनदयाल आवास योजना मचेवा के लिए रु. 4,40,000.00 एवं अटल आवास योजना बसना के लिए रु. 1,10,000.00 प्रति भवन विक्रय राशि नियत की गई है.

प्रदेश में प्रचलित राशन कार्डों एवं पंजीकृत परिवार

9. (क्र. 296) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 25 जनवरी, 2013 तक की स्थिति में किस-किस प्रकार के कुल कितने राशन कार्ड प्रचलन में है ? जिलेवार बतावें ? (ख) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कुल कितने परिवार पंजीकृत हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में जिलेवार प्रचलित विभिन्न प्रकार के राशनकार्डों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या 34.89 लाख है, जिनकी जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

नगर पंचायत बस्तर/नगर पालिक निगम जगदलपुर में ए.पी.एल./बी.पी.एल. कार्डधारियों की संख्या

10. (क्र. 297) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर में कितने ए.पी.एल. तथा कितने बी.पी.एल. कार्डधारी हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के संबंध में वर्ष 2011 एवं 2012 में राशन कार्ड सत्यापन के उपरांत कितने कार्ड निरस्त किये गये ? (ग) प्रश्नांश “क” के संबंध में फर्जी कार्ड से खाद्यान्न लेने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) दिनांक 01 फरवरी 2013 की स्थिति में नगर पालिक निगम जगदलपुर में 12,429 एपीएल कार्डधारी तथा 15,784 बीपीएल कार्डधारी हैं. नगर पंचायत बस्तर में 329 एपीएल कार्डधारी तथा 1,712 बीपीएल कार्डधारी है. (ख) नगरपालिक निगम जगदलपुर में वर्ष 2011 में निरंक तथा 2012 में 9011 राशनकार्ड निरस्त किये गये. नगर पंचायत बस्तर में वर्ष 2011 में निरंक तथा 2012 में 441 राशनकार्ड निरस्त किये गये. (ग) नगर निगम जगदलपुर एवं नगर पंचायत बस्तर में फर्जी कार्ड से खाद्यान्न लेने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

11. (क्र. 313) **श्री भजन सिंह निरंकारी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2012 में विभिन्न स्तरों पर कुल कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये ? जिलेवार बताएं ? (ख) इनमें कुल कितने लाभार्थियों को किस प्रकार के प्रशिक्षण दिये गये ? प्रशिक्षण में कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) कुल 93 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कुल 2460 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिये गये, प्रशिक्षण में कुल राशि 1,46,49,833/- रुपये व्यय हुए. प्रशिक्षण का प्रकार †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

नयी राजधानी में आवासीय व्यावसायिक परिसर विकसित हेतु विभिन्न संस्थानों की दी गई अनुमति

12. (क्र. 339) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नयी राजधानी में किन-किन शासकीय एवं निजी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स को आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर विकसित करने एवं निर्माण करने की अनुमति किन-किन शर्तों पर दी गयी है ? जमीन के रकबे सहित विस्तृत विवरण दें.

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (1) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को नया रायपुर सेक्टर-27 एवं सेक्टर-29 में आवासीय परिसर विकसित एवं निर्माण करने की अनुमति दी गई है. सेक्टर-27 के संबंध में शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” में तथा सेक्टर-29 के संबंध में शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में है. (2) नया रायपुर में जी.टी. होम्स, रायपुर एवं मेसर्स अविनाश बिल्डर्स, रायपुर को सेक्टर-30 में आवासीय विकास एवं निर्माण, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को रीफिलिंग-सह-सर्विस स्टेशन विकास एवं निर्माण तथा मेसर्स वीसा अरबन इफ्रा लिमिटेड को स्टार होटल एवं कन्वेंशन सेंटर विथ कमर्शियल फेसिलिटी विकास एवं निर्माण की अनुमति दी गई है. शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण † संलग्न प्रपत्र “स” में है.

प्रदेश में संचालित राईस मिल एवं मिनी राईस मिल

13. (क्र. 340) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31-12-12 की तिथि में कितनी मिनी राईस मिल एवं राईस मिल संचालित हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) सभी राईस मिलों की मिलिंग क्षमता भी बतावें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) 31-12-2012 की स्थिति में जिलेवार मिनी राईस मिल की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं राईस मिल की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (ख) “क” के तारतम्य में जिलेवार मिलिंग क्षमता † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं † संलग्न प्रपत्र “ब” के स्तंभ “4” में दर्शित है.

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों में फड़ निर्माण

14. (क्र. 352) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने धान खरीदी केन्द्र हैं ? 28-01-2013 की स्थिति में कितने केन्द्र में फड़ निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई, एवं किन-किन स्थानों में फड़ निर्माण किया जा चुका है ? विकासखंडवार बतावें ? (ख) उक्त अवधि में स्वीकृत शेष फड़ निर्माण का कार्य कब-तक पूरा किया जावेगा ? (ग) समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रति क्विंटल दी जा रही है ? कितनी-कितनी राशि बोनास के रूप में दी जावेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 16 धान खरीदी केन्द्र हैं. 28-01-2013 की स्थिति में किसी भी खरीदी केन्द्र में फड़ निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं दी गई है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) खरीफ वर्ष 2012-13 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य अनुसार कॉमन धान हेतु 1250 रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान हेतु 1280 रुपए प्रति क्विंटल की राशि किसानों को भुगतान की जा रही है. वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बोनास की घोषणा नहीं की गई है.

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

15. (क्र. 356) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं विकासखण्डवार बतावें ? (ख) इनमें भवन विहीन दुकानें कितनी हैं ? (ग) भवन विहीन उचित मूल्य की दुकानों में कब तक भवन निर्माण कराए जाएंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में 158 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. विकासखण्ड लैलूंगा में 73, विकासखण्ड तमनार में 57 एवं विकासखण्ड रायगढ़ में 28 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. (ख) इनमें से 32 उचित मूल्य दुकानें भवनविहीन हैं. विकासखण्ड लैलूंगा में 9, विकासखण्ड तमनार में 5 एवं विकासखण्ड रायगढ़ में 18 उचित मूल्य दुकानें भवनविहीन हैं. (ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

रायगढ़ जिले में अटल नगर विकास योजना के तहत आवासों का निर्माण

16. (क्र. 357) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत अटल नगर विकास योजना के तहत किन-किन स्थानों पर आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? (ख) प्रस्तावित कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ग) उक्त निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) रायगढ़ जिले के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर अटल विहार योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्तावित आवासों के निर्माण हेतु उनके नाम के सम्मुख दर्शित राशि की

स्वीकृति प्रदान की गई है :—

सरल क्रमांक (1)	प्रस्तावित स्थल (2)	विकासखण्ड (3)	स्वीकृत राशि (लाख में) (4)
1.	मोहारभाटा	सारंगढ़	रु. 3976.98
2.	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	रु. 1593.00
3.	छोटे अतरमुड़ा	रायगढ़	रु. 874.38
4.	बैकुण्ठपुर	रायगढ़	रु. 4947.81

(ग) निर्माण कार्यो हेतु निविदा आमंत्रण की प्रक्रियागत कार्यवाही प्रचलित है.

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की मात्रा

17. (क्र. 375) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में समर्थन मूल्य पर कुल कितना धान खरीदा गया ? मोटा एवं पतला धान की मात्रा एवं राशि की जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांक “क” के धान के परिवहन एवं रख-रखाव पर कुल कितनी राशि व्यय की गई एवं कुल कितने क्विंटल धान का सार्टेज हुआ ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) खरीदे गये धान में से कितना धान मिलिंग के लिए दिया गया तथा इससे कितना चावल प्राप्त हुआ ? इसके मिलिंग, परिवहन, बारदाना, रखरखाव के प्रति किलोग्राम कितना खर्च आया ? मिलिंग के बाद प्राप्त चावल कहां-कहां भेजा गया एवं इससे कितनी राशि प्राप्त हुई ? (घ) उक्त प्रक्रिया में केन्द्रांश एवं राज्यांश कितना-कितना है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में मार्कफेड द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय धान की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) खरीफ वर्ष 2010-11 में मार्कफेड द्वारा धान के परिवहन पर 44.13 करोड़ रुपये तथा धान के रखरखाव पर 42.37 करोड़ रुपये व्यय किया गया. खरीफ वर्ष 2011-12 में धान के परिवहन पर 59.27 करोड़ रुपये तथा धान के रखरखाव पर 36.44 करोड़ रुपये मार्कफेड द्वारा व्यय किया गया. वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में दिनांक 11-02-2013 तक धान के परिवहन पर 5.76 करोड़ रुपए तथा रखरखाव कार्य पर 27.19 करोड़ रुपए व्यय किया गया है. मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों में खरीफ वर्ष 2010-11 के संग्रहित धान में 51,856 टन, खरीफ वर्ष 2011-12 के संग्रहित धान में से दिनांक 14-02-2013 तक 46,530 टन धान में कमी आई है. वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में धान की मिलिंग का कार्य प्रचलित है तथा धान के निराकरण के उपरांत कमी की मात्रा बताया जाना संभव हो सकेगा. (ग) खरीफ वर्ष 2010-11 में मिलिंग हेतु 40.14 लाख टन, खरीफ वर्ष 2011-12 में 57.90 लाख टन तथा वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में दिनांक 14-02-2013 तक 15.51 लाख धान प्रदाय किया गया, जिससे खरीफ वर्षवार क्रमशः 27.96 लाख टन, 39.04 लाख टन तथा 8.59 लाख टन चावल प्राप्त हुआ. प्रश्नांकित अवधि के धान लेखों का अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत मिलिंग, परिवहन, बारदाना तथा रखरखाव की प्रति किलो व्यय राशि ज्ञात हो सकेगी. धान की मिलिंग पश्चात् मार्कफेड द्वारा चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को तथा पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य में स्थित उपार्जन केन्द्रों में प्रदाय किया गया. खरीफ वर्ष 2011-12 में प्रदाय चावल की राशि रुपये 4826.51 करोड़ तथा खरीफ वर्ष 2011-12 के चावल राशि 7697.40 करोड़ रुपए वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में दिनांक 18-02-2013 तक 1379.03 करोड़ रुपए की राशि मार्कफेड को प्राप्त हुई. (घ) उक्त प्रक्रिया में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि निर्धारित नहीं है.

ग्राम डूण्डा रायपुर में मेसर्स अटलमान डेव्लपर्स रायपुर को प्रदत्त विकास अनुज्ञा

18. (क्र. 379) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रायपुर ने दिनांक 10-11-2006 को मेसर्स अटलमान डेव्लपर्स एवं अन्य रायपुर को मौजा डूण्डा, रायपुर प.ह.नं. 118 स्थित कुल कितनी भूमि में और किस-किस खसरा नं. पर विकास अनुज्ञा प्रदान की ? (ख) कंडिका “क” की विकास अनुज्ञा में किस-किस साइज के कितने प्लॉट को नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर ने अनुमोदित किया है ? (ग) कंडिका “क” के मेसर्स अटलमान डेव्लपर्स रायपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि किन-किन के नाम दर्ज बताया गया ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 10-11-2006 को मेसर्स अटलमान डेव्लपर्स, श्री प्रकाश कलश एवं अन्य कटोरातालाब, रायपुर को मौजा डूण्डा, रायपुर प.ह.नं. 118 की कुल रकबा 13.244

हेक्टर भूमि पर वन आवास उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा प्रदान की गई है. खसरा क्रमांक निम्नानुसार है :-

403/3, 406/2, 382/1-2-3-5-6-7, 403/4, 406/3, 403/5, 406/4, 403/6, 406/5, 384/2, 384/1, 385/8, 386/4, 385/3, 385/6, 382/4, 385/4, 416/1, 416/3, 417/1, 404/8, 385/2, 416/2, 383/3, 383/4, 383/6, 403/1, 406/1, 416/5, 383/2, 418, 385/5, 385/7, 419/1, 419/2, 419/3, 383/1, 383/5-7, 419/4, 417/2

(ख) कंडिका “क” की विकास अनुज्ञा में 20 प्लॉट अनुमोदित किये गये थे जिनका क्रमांक एवं साईज निम्नानुसार है :-

भू-खण्ड क्रमांक (1)	साईज वर्गफुट में (2)	भूखण्ड क्रमांक (3)	साईज वर्गफुट में (4)
1	44071.68	11	44000.00
2	44214.29	12	44000.00
3	44376.83	13	44000.00
4	44518.16	14	44000.00
5	44018.43	15	44000.00
6	44072.12	16	44000.00
7	44000.00	17	44000.00
8	44000.00	18	44000.00
9	44000.00	19	44000.00
10	44000.00	20	44322.94

(ग) कंडिका “क” के मेसर्स अटलमान डेव्लपर्स रायपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि क्रमशः निम्नलिखित नामों से दर्ज है :-

(1) श्री आनंद सुराना, (2) श्री रवि जसवानी, (3) श्री दीपक खेतपाल (4) श्री विनोद कुमार अग्रवाल (5) श्री राजेन्द्र सुराना
(6) श्री प्रकाश कलश (7) श्री महेश राव (8) श्री कार्तिक माझी (9) श्री नीलमणी पटेल (10) श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल.

प्रदेश में अटल आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण

19. (क्र. 422) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश के किन-किन नगरीय निकायों में अटल आवास योजना अंतर्गत गरीबों के आवास हेतु कितने आवास कितनी राशि के स्वीकृत है ? जिलेवार बतायें ? (ख) प्रदेश के कितने आवासहीन गरीबों को इस योजना के तहत 31-01-2013 की स्थिति में आवास आवंटित किया जा चुका है ? जिलेवार स्थानवार बतायें ? (ग) अटल आवास आवंटन का क्या मादपण्ड है ? अपूर्ण तथा अवितरित आवासों को कब तक पूर्ण/वितरित कर दिया जावेगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) अटल आवास योजना का मापदण्ड :- वर्तमान में प्रचलित आदेशों के अनुसार ऐसे हितग्राहियों को आवंटित किया जाता है जिनकी आय रु. 60,000.00 से अधिक नहीं है तथा जिनके पास उपयुक्त आवास की व्यवस्था नहीं है. हितग्राहियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाता है. अपूर्ण/आवंटित आवासों को पूर्ण/वितरित किये जाने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित दाल-भात केन्द्र

20. (क्र. 423) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 31-01-2013 की स्थिति में कितने दाल-भात केन्द्र संचालित हैं ? जिलेवार बतायें ? (ख) प्रदेश में दाल-भात केन्द्रों को कितनी मात्रा में किस दर से किस योजना से चावल प्रदान किया जाता है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश में 133 दालभात केन्द्र संचालित हैं, जिनकी जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दालभात केन्द्रों को 6.25 रुपए प्रतिकिलो की दर से चावल कल्याणकारी संस्थाओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त आवंटन में से प्रदाय किया जाता है। माह जनवरी, 2013 में 2262 क्विंटल चावल अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों हेतु प्रदाय किया गया है।

खरीफ फसल में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

21. (क्र. 447) **श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ फसल 2012-13 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु कुल कितने किसानों का कितने रकबे का पंजीयन सहकारी समितियों में किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) प्रत्येक समिति द्वारा कितने धान क्विंटल खरीदा गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 14.72 लाख किसानों का 25.41 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन सहकारी समितियों में किया गया, जिसकी जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार है। (ख) प्रत्येक सहकारी समिति द्वारा खरीदे गए धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” अनुसार है।

जिला राजनांदगांव में खाद्यान्न तथा मिट्टी तेल की कालाबाजारी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

22. (क्र. 490) **श्री शिवराज सिंह उसारे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2012 में पी.डी.एस. के चावल एवं उचित मूल्य दुकानों के मिट्टी तेल के अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन तथा अवैध विक्रय के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं ? विकासखण्डवार बतावें। (ख) उक्त प्रकरण में किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2012 में पीडीएस के चावल एवं उचित मूल्य दुकानों के मिट्टी तेल के अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन तथा अवैध विक्रय के राजनांदगांव विकासखण्ड में 2 प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 4 प्रकरण इस प्रकार कुल 6 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। शेष विकासखण्डों में प्रकरण दर्ज नहीं हुये हैं। (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

प्रदेश में सीमेंट कारखाने निर्माण हेतु निष्पादित एम. ओ. यू.

23. (क्र. 666) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक छ.ग. प्रदेश में कौन-कौन सी सीमेंट कारखाने के निर्माण करने हेतु विभाग द्वारा एम.ओ.यू. किया गया है ? (ख) सीमेंट उद्योगों से किस तिथि को एम.ओ.यू. किया गया ? किस स्थान पर यह उद्योग स्थापित किया जायेगा ? कितने लागत का उद्योग स्थापित होगा ? (ग) प्रश्न “क” एवं “ख” में पूछे गये सीमेंट उद्योगों को क्या शासकीय भूमि का आवंटन किया गया है यदि हां तो किस-किस उद्योग को कितनी-कितनी शासकीय भूमि, किस दर पर आवंटित की गई है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग की स्थापना हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2008 से 2012 तक 19 एम.ओ.यू. किए गए हैं। तिथि, स्थान एवं पूंजी निवेश की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के क्रमशः कॉलम 3, 4 एवं 5 में दर्शित है। (ग) † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित उद्योगों में से केवल एक इकाई मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को ग्राम देवसुन्दरा, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में 46.172 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आवंटन रुपये 3.60 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से किया गया है।

जिला कबीरधाम एवं जिला बिलासपुर में औद्योगिक प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि का क्षेत्रफल

24. (क्र. 667) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कबीरधाम, गौरला (जिला बिलासपुर) में औद्योगिक प्रक्षेत्र (इण्डस्ट्रियल एरिया) की स्थापना विभाग द्वारा की गई है ? यदि हां तो कब एवं कितने एकड़ में ? कितने-कितने क्षेत्रफल का प्लॉट प्रति उद्योग के लिये निर्धारित है, विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश “क” औद्योगिक प्रक्षेत्र में 31 जनवरी 2013 तक किस-किस उद्योग के लिये किस-किस को, आवंटित किया गया है ? रिक्त प्लॉट की संख्या भी बतायें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. स्थापना का वर्ष एवं रकबा निम्नानुसार है :—

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	स्थापना वर्ष	औद्योगिक क्षेत्र का रकबा (एकड़ में)
1.	हरिन छपरा, जिला-कबीरधाम	2005	51.74
2.	रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी (गौरैला) जिला-बिलासपुर.	2004	48.00

उद्योगवार प्लाट का क्षेत्रफल निर्धारित नहीं होता है. प्लाट का आवंटन परियोजना में भूमि की आवश्यकता के आधार पर परीक्षण उपरांत किया जाता है. (ख) प्रश्नांश “क” के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को आवंटित भूमि एवं प्रयोजन से संबंधित जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. रिक्त प्लाट की संख्या औद्योगिक क्षेत्र हरिन छपरा में 56 तथा रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी (गौरैला) में 07 है.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषदों में निर्मित बी.पी.एल. राशन कार्ड

25. (क्र. 716) **श्री डोमनलाल कोसेवाड़ा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषदों में वार्डवार कितने बी.पी.एल. राशन कार्ड विगत तीन वर्षों के दौरान बनाये गये हैं ? (ख) दिनांक 31-12-2012 की स्थिति में वार्डवार कितने कार्ड सही पाये गये और कितने निरस्त हुए ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

दुर्ग जिले में छापामार कार्यवाही में जब्त खाद्यान्न

26. (क्र. 717) **श्री डोमनलाल कासेवाड़ा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के मध्य किन-किन विकासखंडों में छापामार कार्यवाही कर शक्कर, खाद्यान्न, दाल एवं अन्य पदार्थों की जब्ती की गई है ? स्थलवार जब्त सामग्रियों की मात्रा बतावें. (ख) निर्धारित एवं परमिट से अधिक मात्रा में सामग्री की मात्रा भंडारित कर रखने वाले कितने कारोबारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) निर्धारित एवं परमिट से अधिक मात्रा में सामग्री भंडारित रखने संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं किये गये है. अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी में दिया जा रहा बोनस

27. (क्र. 720) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 व 2012-13 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा व केन्द्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल कितनी-कितनी राशि बोनस के रूप में दी जा रही है ? जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांकित अवधि तक राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग जिलों में कुल कितनी राशि किसानों को बोनस के रूप में आवंटित की गई है ? जिलेवार किसानों को दी गई बोनस राशि की जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2011-12 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बोनस नहीं दिया गया. राज्य सरकार द्वारा 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया. वर्ष 2012-13 में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस नहीं दिया गया. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

† परिशिष्ट “तीस”

†† परिशिष्ट “इकतीस”

‡ परिशिष्ट “बत्तीस”

‡‡ परिशिष्ट “तैंतीस”

विभिन्न जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

28. (क्र. 721) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न जिलांतर्गत 31-01-2013 अवधि तक कुल कितनी मात्रा में समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान खरीदी की गई ? (ख) प्रदेश के किन-किन जिलों में निर्धारित लक्ष्य से कम धान खरीदी हुई ? जिलावार लक्ष्य से कम खरीदी गई धान की मात्रा बतावें. (ग) सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी गई धान में कितनी मात्रा का भुगतान किसानों को किया जा चुका है ? कितने का भुगतान लंबित है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2012-13 में प्रश्नांकित अवधि तक समर्थन मूल्य पर किसानों से 67.14 लाख टन धान की खरीदी की गई, जिसकी जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांकित अवधि तक खरीदे गए समस्त धान का भुगतान कृषकों को चेक के माध्यम से किया जा चुका है. भुगतान लंबित नहीं है.

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एवं कष्टम मिलिंग

29. (क्र. 753) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में समर्थन मूल्य पर कुल कितना-कितना धान खरीदा गया ? जिलेवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के धान में से कितनी-कितनी मात्रा में कस्टम मिलिंग कराया गया, और 20 जनवरी, 2013 की स्थिति में और कितना-कितना धान कस्टम मिलिंग के लिए शेष बचा है ? जिलेवार ब्यौरा दें. (ग) कंडिका “क” के संग्रहित धान में किन-किन जगहों से धान की चोरी, होने की शिकायतें मिली हैं, और किन-किन केन्द्रों में धान की मात्रा कम होने की शिकायतें मिली और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ वर्ष 2010-11 में 50.73 लाख टन तथा खरीफ वर्ष 2011-12 में 59 लाख टन धान खरीदा गया, जिसकी जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांकित अवधि तक खरीफ वर्ष 2010-11 में विपणन संघ द्वारा 40.14 लाख टन धान की मिलिंग कराई गई. खरीफ वर्ष 2011-12 के धान में से 57.90 लाख टन धान की मिलिंग द्वारा करायी गयी. खरीफ वर्ष 2010-11 का धान मिलिंग हेतु शेष नहीं है तथा खरीफ वर्ष 2011-12 का 62.961 टन धान मिलिंग हेतु शेष है. जिलेवार धान की मिलिंग मात्रा तथा तथा शेष धान की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) उपाजित धान की चोरी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित धान की मात्रा में से 1 से 2 प्रतिशत कमी वाले विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 2 से 4 प्रतिशत कमी वाले संग्रहण केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध विभागीय जांच तथा 4 प्रतिशत से अधिक कमी वाले संग्रहण केन्द्र प्रभारियों को निलंबित कर जांच की कार्यवाही की जा रही है. समिति स्तर पर मिलान उपरांत पाई गई कमी के समतुल्य राशि समिति के कमीशन से समायोजित की गई है. असामान्य कमी वाले खरीदी केन्द्रों पर कमी के कारणों की जांच कर दोष निर्धारण कर कार्यवाही करने के निर्देश जिलाध्यक्षों (कलेक्टर्स) को दिये गये हैं.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र उचित मूल्य दूकानों में एपीएल कार्डधारियों को चावल एवं केरोसिन का आवंटन

30. (क्र. 756) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में खल्लारी विधान सभा क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में एपीएल कार्डधारियों को चावल एवं केरोसीन कितनी-कितनी मात्रा में प्रतिकार्ड प्रदान किया गया है ? (ख) प्रश्नांक “क” के क्षेत्र में कुल कितने एपीएल कार्डधारी हैं एवं इनमें से कितने हितग्राही द्वारा खाद्य सामग्री नहीं लेने के कारण स्टॉक बचा रहा ? माहवार एवं उचित मूल्य की दुकानवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में चावल वितरण एवं केरोसीन वितरण की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों में एपीएल कार्डधारियों को वर्ष 2011-12 में 25 किलो चावल एवं 2 लीटर केरोसिन तथा वर्ष 2012-13 में 3 लीटर केरोसिन तथा मई, 2012 तक 25 किलो चावल एवं जून, 2012 से जनवरी, 2013 तक 10 किलो चावल प्रदान किया गया. (ख) प्रश्नांश “क” के क्षेत्र में वर्ष 2012 में 22,705 एपीएल कार्डधारी हैं. खाद्यान्न का उठाव न करने वाले एपीएल कार्डधारियों की माहवार/दुकानवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी नहीं. चावल एवं केरोसिन वितरण की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

31. (क्र. 757) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन सेल्समेनों द्वारा एक से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है ? सेल्समेन का नाम एवं उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बतायें ? (ख) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में नवीन उचित मूल्य की दुकाने बनकर तैयार होने के बाद भी संचालन आरंभ नहीं किया गया है एवं इसके क्या कारण हैं ? इनका संचालन कब तक आरंभ कर दिया जायेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उखरा, बकमा, कसहीबाहरा, कुम्हारीमुड़ा, चरौदा, नवागांव, कन्हारपुरी, आंवराडबरी, दाबपाली, पोटिया, एवं डोकरपाली में नवीन उचित मूल्य दुकान निर्माण कराया गया है. उक्त ग्रामों में उचित मूल्य दुकानें संचालन हेतु आवंटित नहीं की गई हैं. दुकान आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इन ग्रामों में दुकान संचालन प्रारंभ करने की कार्यवाही जावेगी.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन उचित मूल्य की दुकानें/गोदाम

32. (क्र. 761) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी उचित मूल्य की दुकानें एवं कितने खाद गोदाम भवन विहीन हैं एवं कब-कब से संचालित हैं ? किस-किस उचित मूल्य की दुकानें एवं खाद गोदाम का निर्माण कार्य चालू किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : कसडोल विधान सभा क्षेत्र में 155 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिसमें 56 के पास स्वयं के भवन हैं तथा 99 दुकानों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं. इस क्षेत्र में सहकारी समितियों के 54 खाद गोदाम संचालित हैं, जिनके स्वयं के गोदाम हैं. 26 खाद गोदामों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है. उपरोक्त उचित मूल्य दुकान एवं खाद्य गोदामों के संचालन तथा निर्माणाधीन खाद गोदामों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में धान का उठाव

33. (क्र. 768) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ वर्ष 2012-13 में वर्तमान समय में किन-किन संग्रहण केन्द्रों में गत रबी सत्र 2012-13 का धान का कितना-कितना उठाव शेष है ? (ख) उक्त धान को किस-किस राईस मिलर को उठाव करने के लिये कब-कब आदेश किया गया ? ऐसे मिलर्स जो धान का उठाव नहीं किये हैं उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2012-13 में समर्थन मूल्य पर रबी सत्र की धान खरीदी नहीं की गई. अतः संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में संचालित पी.डी.एस. केन्द्र

34. (क्र. 769) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने पी.डी.एस. केन्द्र संचालित हैं ? स्थानवार जानकारी दीजिए ? उक्त पी.डी.एस. केन्द्रों में से कौन-कौन से केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं ? कौन-कौन से केन्द्रों के पास खाद्यान्न भंडारण हेतु गोदाम की उचित व्यवस्था है ? (ख) जिन पी.डी.एस. केन्द्रों के स्वयं के भवन एवं गोदाम उपलब्ध नहीं है वहां क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ? भवन एवं गोदामविहीन पी.डी.एस. केन्द्रों में कब तक भवन एवं गोदाम की व्यवस्था की जा सकेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 131 पीडीएस केन्द्र संचालित है. विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जिन पी.डी.एस. केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं हैं वहां ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन अथवा किराये के भवन में संचालन किया जा रहा है. निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 286) के भाग (क) की जानकारी]

परिवहन चेक-पोस्ट पाटेकोहरा, जिला-राजनांदगांव द्वारा मालयानों के फर्जी परमिट संबंधी प्रकरण

स. क्र.	वाहन चेकिंग दिनांक	वाहन क्रमांक	प्रकार	मालिक का नाम/पता	प्रकरण का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	26-09-2010	सीजी-04-जेए/1445	मालयान	श्री हरभजन सिंह, रायपुर.	उक्त प्रकरण का एफ. आई. आर. पुलिस चौकी, चिचोला में दिनांक 02-10-2010 को दर्ज किया गया.
2.	10-11-2010	सीजी-04-ई/6439	मालयान	मनीषा परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, टाटीबंध, रायपुर.	वाहन को जप्त कर एफ. आई. आर. पुलिस चौकी, चिचोला में दिनांक 13-11-2010 को दर्ज किया गया.
3.	15-11-2010	सीजी-04-जेए/7819	मालयान	श्री जसवंत सिंह, टी. पी. नगर, जी. ई. रोड, टाटीबंध रायपुर (छ. ग.)	वाहन को जप्त कर एफ. आई. आर. पुलिस चौकी, चिचोला में दिनांक 16-11-2010 को दर्ज किया गया.
4.	01-11-2010	एमपी-49-एच/0473	मालयान	श्री अवतार सिंह, नियर-इटावा बाजार, नरसिंहपुर (म. प्र.)	वाहन को जप्त कर एफ. आई. आर. पुलिस चौकी, चिचोला में दिनांक 29-11-2010 को दर्ज किया गया.
5.	21-10-2010	सीजी-04-जेबी/0915	मालयान	श्री लखविन्दर सिंह, कुलतानी फेट, कैरियर, नागपुर (महाराष्ट्र)	वाहन को जप्त कर एफ. आई. आर. पुलिस चौकी, चिचोला में दिनांक 23-10-2010 को दर्ज किया गया.
6.	22-10-2010	सीजी-04-जेबी/7613	मालयान	श्री मनोज कुमार पाण्डेय मिर्जापुर (उत्तर-प्रदेश)	वाहन को जप्त कर एफ. आई. आर. पुलिस चौकी, चिचोला में दिनांक 23-10-2010 को दर्ज किया गया.
7.	24-10-2010	सीजी-04-जेए/5373	मालयान	श्री मेजर सिंह, रायपुर (छ. ग.)	वाहन को जप्त कर एफ. आई. आर. पुलिस चौकी, चिचोला में दिनांक 26-10-2010 को दर्ज किया गया.

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 715) के भाग (ख) की जानकारी]

अहिलारा विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	ग्राम पंचायत द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या (3)	महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या (4)
1.	धमधा	7	9
2.	दुर्ग	2	10
3.	पाटन	0	11

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क. 770 के भाग) (ख) की जानकारी]

जांजगीर चांपा जिले के एक मात्र विकास खण्ड नवागढ़ के जांजगीर मुख्यालय में 01 जनवरी 2012 से 01 जनवरी 2013 तक आवंटित 169 हितग्राहियों का नाम वर्गवार निम्नानुसार है :-

आवंटित हितग्राहियों का नाम वर्गवार
एच.आई.जी. - I., डूप्लेक्स डिलक्स

क्र.	नाम	पता
01	श्री प्रधान्त सिंह	बी.डी. महन्त, उपनगर-जांजगीर,
02	श्री नूतेन्द्र कुमार नामदेव	H-24, सिंचाई कालोनी, दर्सी, पो.जमनीपाली, जिला-कोरबा
03	श्री प्रधान्त कुमार यादव	क्वा नं. - 829/से. - 03 बी टाईप बाल्को नगर कोरबा
04	डॉ. अनिल कुमार यादव	पता - GAD - G-6 हसदेव विहार, कालोनी, जांजगीर
05	श्री संजय सिंह	HIG-38, पं. रविषंकर शुक्ल नगर, कोरबा
06	श्रीमती रजनी जगन्नाथ	पता-NB-41, AB Type CSEB कालोनी, कोरबा (पूर्व)
07	श्री एम.शंकर राव	पता- MIG-I/97, महाराणा प्रताप नगर, कोरबा
08	श्री राजगोपाल मेनन	पता- MIG-105, महाराणा प्रताप नगर, कोरबा
09	श्रीमती अर्चना राठौर	बी.डी.महंत उपनगर, जांजगीर
10	श्री राजकुमार बैसवार	पता- सिविल कोर्ट के पास, जांजगीर
11	श्री जोगेश्वर प्रसाद साहू	पता- ग्राम व पो. किरीत, थाना-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा
12	श्री श्याम लाल साहू	पता- क्वा नं. LIG-188, आर.पी. नगर फेस-2, कोसाबाड़ी-कोरबा
13	श्री दिलहरण लाल साहू	पता- क्वा.नं. - OE/50, CSEB-कालोनी, कोरबा (पूर्व)
14	श्रीमती राम कुमारी राठौर	लिक रोड (जैन स्वीट्स के पास) जांजगीर
15	श्रीमती षिखा नरुला	जिला अस्पताल के सामने विवेकानंद मार्ग जांजगीर
16	श्रीमती संध्या सिंह	बी.डी.एम.हास्पिटल रोड-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा
17	श्रीमती वंदना प्रसाद	पता-ओषोधारा हास्पिटल बी.डी.एम.हास्पिटल रोड-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा
18	श्री ब्रजेश कुमार अग्रवाल	गांधी चौक, वार्ड क्र.-03, नैला, जिला-जांजगीर-चांपा
19	श्री सुषील कुमार एवं उर्मिला	पता- MIG-16/c ₁ c ₂ , सुभाष नगर, कोसाबाड़ी,कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)
20	श्रीमती अनुपमा गोयल	पता-C/o-राजू किराना स्टोर्स, विवेकानंद मार्ग, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा
21	श्रीमती निधि अग्रवाल	पता-C/o-राजू किराना स्टोर्स, विवेकानंद मार्ग, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा
22	श्री शाजी जॉर्ज एवं श्रीमती शैला	पता-C/o- E.E. (Comm. & Safety) MTTPP, CSPGCL, Madwa, Dist- Janjgir-Champa
23	श्री देवानन्द अग्रवाल	पता - A-5, विकास काम्पलेक्स, पावर हाउस रोड कोरबा (छ.ग.)
24	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	पता - A-5, विकास काम्पलेक्स, पावर हाउस रोड कोरबा (छ.ग.)

एच.आई.जी. – II., डूप्लेक्स डिलक्स

क्र.	नाम	पता
01	श्री समेलाल साहू	वार्ड क्र.-16, मं. नं. – 435, पुराना चंदनिया पारा, जांजगीर (छ.ग.)
02	श्रीमती गौरी साहू	वार्ड क्र.-16, पुराना मं. नं. – 435, पुराना चंदनिया पारा, हिरक कुंज जांजगीर (छ.ग.)
03	श्री राकेश वर्मा	पता-पुराना चंदनिया पारा लिंक रोड, जांजगीर(छ.ग.)
04	श्री अषोक कुमार साहू	पता-मु.पो.- बनारी, जिला-जांजगीर (छ.ग.)
05	श्री विजय कुमार साहू	पता – क्वा. नं. M – 350 पंप हाउस, एस.ई.सी. एल. कालोनी, कोरबा
06	श्री सौरभ द्विवेदी	पता-MIG-II/01, एम0पी0 नगर, (विस्तार)
07	श्री दीपक पटेल	प्लॉट नं. – 143, ICC. T.P. नगर कोरबा
08	श्री अषोक पटेल	C/o अषोक हार्डवेयर, T.P. नगर कोरबा
09	श्री विकास बहादुर सिंह	म0न0 – 03, फ्रेण्ड्स रेसीडेन्सी, हीरो होण्डा एजेन्सी के सामने सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)
10	श्रीमती मंजुला श्रीवास	पता – सावित्री भवन वार्ड नं. – 08, शंकर नगर, जांजगीर
11	श्रीमती शांती राठौर	क्वा नं.- E-69, HTPP. दर्सी, कोरबा (पश्चिम)
12	श्रीमती दीक्षा चन्द्रा	मु.पो. मिषन चौक (चन्द्रा मेडिकल) तह. – मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा
13	श्रीमती अंजनी मिश्रा	म0क्र0 A/8 'कमल फूल' आर्या रेसीडेन्सी हसदेव विहार जांजगीर

एच.आई.जी. – II स्टेन्डर्ड

क्रमांक	नाम	
01	जे.के.नस्कर	– जांजगीर
02	श्री किषोर कुमार रात्रे	– जांजगीर
03	डॉ आजाद थवाईत	– जांजगीर
04	श्री विकास कुमार साहु	– जांजगीर
05	श्री रूपेश कुमार साहु	– कोरबा
06	श्रीमती हर्षिता तंबोली	– जांजगीर
07	श्री प्रतिपाल सिंह बनाफर	– जांजगीर
08	श्री अषिषेक सिंह ठाकुर	– कोरबा
09	श्री छोटेलाल साहु	– कोरबा
10	श्रीमती शांतिदेवी पाण्डेय	– कोरबा
11	श्री गोपाल सिंह राठौर	– जांजगीर
12	श्री सुमेर सिंह राठौर	– कोरबा
13	श्री अमर लोक श्रीवास्तव	– जांजगीर
14	श्री विवके रंजन तिवारी	– बिलासपुर
15	श्री गौरव कुंभकार	– जांजगीर
16	श्री सुदिप सिंह चंदेल	– जांजगीर
17	श्री विनोद काम्बोली	– जांजगीर
18	श्री योगेश कुमार मिश्रा	– कोरबा
19	श्री योगेश कुमार साहु	– जांजगीर

20	श्री दिनेष कुमार पटेल	– कोरबा
21	श्री मनिष कुमार	– जांजगीर
22	श्री प्रदिप कुमार पाठक	– कोरबा
23	श्री धनेष कुमार राठौर	– कोरबा
24	श्री जितेन्द्र कुमार साहु	– जांजगीर
25	श्रीमति पुष्पांजली महिलांगे	– जांजगीर
26	श्री अजय सिंह राठौर	– जांजगीर
27	श्री लेखराम राठौर	– कोरबा
28	श्री सुरेश देशमुख	– कोरबा
29	श्री दिलचरण राठौर	– कोरबा
30	श्री भूषन कुमार कष्यप	– कोरबा
31	सी.आर. जायसवाल	– कोरबा
32	श्री वासुदेव राना एवं वसंत कुमार राना	– कोरबा
33	श्री रघुनाथ उरांव	– दुर्ग
34	श्री राजेश कुमार साहु	– कोरबा
35	श्रीमती ममता केड़िया	– कोरबा
36	श्रीमती जैतीन शर्मा	– जांजगीर
37	श्री अषोक कुमार राठौर	– भिलाई
38	श्रीमती षिला राठौर	– कोरबा
39	श्रीराम सुल्तानिया	– कोरबा
40	श्री गोरे लाल तम्बोली	– जांजगीर
41	श्री राजीव कुमार सिंह	– जांजगीर
42	श्री प्रेम लाल यादव	– कोरबा
43	श्री आषीष कुमार साहु	– कोरबा
44	श्री संदीप कुमार साहु	– जांजगीर
45	श्री एम शुक्ला	– जांजगीर
46	श्री गीत राम देवदत्त	– जांजगीर
47	श्री श्याम सुन्दर राठौर	– कोरबा
48	श्री वृन्देश कुमार सिंह	– जांजगीर
49	श्री लोचन प्रसाद देवांगन	– जांजगीर
50	श्री विजय कुमार साहु	– जांजगीर

एम.आई.जी. – ड्युप्लेक्स डीलक्स

क्रमांक	नाम	पता
01	डॉ मिनाक्षी शर्मा	म0 नं0 – 547 , आर्षिर्वाद भवन , जिला न्यायालय के पीछे , विवेकानंद मार्ग, जांजगीर
02	(संयुक्त नाम) श्रीमती सविता केशरवानी एवं श्री महेश प्रसाद केशरवानी	सुरज सदन , माधव लॉज के पास, जांजगीर (छ.ग.)
03	(संयुक्त नाम) श्री निषांत गुप्ता एवं श्रीमती निधी गुप्ता	सुरज सदन , माधव लॉज के पास ,जांजगीर (छ.ग.)
04	श्री शैलेन्द्र कुमार लसार	म.नं. – 924, वार्ड क्रमांक –27 , पाड़ीमार ,भदरापारा –बालको नगर ,जिला– कोरबा (छ.ग.)
05	श्री महावीर यादव	बाजार पारा ,जांजगीर, जिला – जांजगीर चांपा (छ.ग.)
06	श्री शशीकान्त उसरेटे	क्वा.नं. – एम.डी. 588, दीपका कालोनी एस.ई.सी. एल. गोवरा परियोजना कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)
07.	श्री शत्रुघ्न लाल पटेल
08.	श्रीमती उषा थवाईत	आनंद होटल के पीछे ,जांजगीर ,जिला– जांजगीर –चांपा (छ.ग.)
09.	श्री सुनील कुमार वर्मा	एम.आई.जी. –09, हा0 बोर्ड कालोनी (हसदेव विहार) जांजगीर , जिला –जांजगीर – चांपा (छ.ग.)
10.	श्री सोमेश चन्द्र तिवारी	क्वा.नं. – एन.ई / 134, सी.एस.ई.बी. कालोनी , कोरबा (पूर्व)
11.	श्री प्रभाकर तिवारी	ग्राम व पो0– कन्हईबंद (सिवनी) , तह.– जांजगीर , जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

एम.आई.जी. – हाउस

क्रमांक	नाम	पता
01.	श्री एकांश सिंह राठौर	न्यु चंदनिया पारा , जांजगीर
02	श्रीमती शिखा प्रसाद	कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड , द्वारा– शारदा मेडिकल एजेन्सी के उपर लाल टंकी–चौक,रायगढ़ (छ.ग.)
03	श्री राजीव शर्मा	पो.आ.–तमनार , तह.घरघोड़ा,ग्राम– श्रीपल्ली ,बधरघाट
04.	श्री जगेश्वर प्रसाद साहु	क्वा0 नं0 – एम/307, एस.ई.सी.एल. पंप हाउस कोरबा (छ.ग.)
05	श्री वसंत कुमार नामदेव
06	श्री सुख सागर निर्मलकर	वार्ड क्रमांक –16, गांधी चौक बुधवारी बाजार, कोरबा, जिला– कोरबा (छ.ग.)

एल.आई.जी. – हाउस

क्रमांक	नाम एवं पता
01	श्रीमती गरिमा कष्यप – जांजगीर
02	श्री निलेष कुमार तिवारी – जांजगीर
03	श्रीमती विभा पाठक – नैला
04	श्रीमती अनामिका अग्रवाल – जांजगीर
05	श्रीमती गीता दुबे – जांजगीर
06	श्रीमति सरिता साव – जांजगीर
07	श्री नवीन पाण्डेय – कोरबा
08	श्री देव चरण कुर्मि – तिलई, तह0- अकलतरा
09	श्रीमती गीता देवी भरद्वाज – कोरबा
10	श्री भुवन लाल द्विवेदी – कोरबा
11	श्री गोरेलाल पाण्डेय – कोरबा
12	श्री संजय कुमार साहु – जांजगीर
13	श्री दिनेष कुमार मिश्रा – जांजगीर
14	श्रीमती सोनिया अग्रवाल – जांजगीर
15	श्री व्ही.के .यादव – कोरबा
16	श्रीमती कान्ता चन्द्रा – कोरबा
17	श्री एस.के.शर्मा – जांजगीर
18	श्री अजय कुमार साहु – जांजगीर
19	श्री राधेष्णाम शुक्ला – जांजगीर
20	श्रीमती मालती जोषी – कोरबा
21	श्रीमती रमा मोदी – चांपा
22	श्री बलिवाड़ा आदिनारायण राव – बिलासपुर
23	श्री शंकर लाल साहु – सरखो , तह- नैला
24	श्री कनीधर दिवान – कोरबा
25	श्री आकाष धर दिवान – कोरबा
26	श्रीमती धनबाई यादव – मेहन्दा ,जिला – चांपा.जांजगीर
27	श्रीमती अरुणा त्रिपाठी – कोरबा
28	श्री विकास कौषीक – जांजगीर
29	श्री रेखादेवी रात्रे – खोसरा ,जिला- चांपा.जांजगीर
30	श्री किषनलाल रात्रे – खोसरा जिला – चांपा.जांजगीर
31	श्री संजय कुमार पाटले – कापन ,जिला- चांपा.जांजगीर
32	श्री संतोष कुमार यादव – मेहन्दा , जिला- चांपा.जांजगीर
33	श्री ए.पी.पाण्डे – कोरबा
34	श्रीमती गायत्री राठौर – कोरबा
35	श्री उदयनाथ साहु – कोरबा
36	श्री अब्दुल रहीस – गोपालनगर,जिला-चांपा.जांजगीर
37	श्री नन्द कुमार यादव – कोरबा
38	श्रीमती सरोजबाला जायसवाल – कोरबा
39	श्री रजत मेहरोत्रा – जांजगीर
40	श्री वाई.के.जैन – जांजगीर

41	श्री करमजीत सिंह भारद्वाज	– कोरबा
42	श्री अशोक कुमार त्रीपाठी	– हीरापुर (झारखंड)
43	श्रीमती मनिषा शर्मा	– कोरबा
44	कुमारी रष्मी गुप्ता	– जांजगीर
45	श्री अंकुष गुप्ता	– जांजगीर
46	श्री अजय सिंह राठौर	– जांजगीर
47	श्री देव कुमार कुर्मि	– जांजगीर
48	श्री आषिष सोनी	– बरपाली जिला –कोरबा
49	श्रीमती अन्जु सिंह	– जांजगीर
50	श्रीमती वर्षा शर्मा	– बाल्को जिला –कोरबा
51	श्री विजय कुमार चौधरी	– जांजगीर
52	श्री दिलिप कुमार चतुर्वेदी	– जांजगीर
53	श्रीमती अंकिता तम्बोली	– जांजगीर
54	श्री विवके कुमार सिंह	– जांजगीर
55	श्री अनुराग शुक्ला	– जांजगीर
56	श्री राजेन्द्र यादव	– जांजगीर
57	श्री रमेश कुमार साहु	– कोरबा
58	श्री महेत्तर लाल जायसवाल	– कोरबा
59	श्री भुवनेश्वर राठौर	– जांजगीर
60	श्री कमलेश राठौर	– जांजगीर
61	श्री अजय अग्रवाल	– जांजगीर
62	श्रीमती इन्दु अग्रवाल	– जांजगीर
63	श्री बैजनाथ राठौर	– कोरबा
64	श्री चन्द्रकांत थवाईत	– कोरबा
65	श्री प्रमोद तिवारी	– जांजगीर

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 672) के भाग (ख) की जानकारी]

भारत सरकार द्वारा योजनावार चावल की प्रावधानित सब्सिडी राशि

एपीएल योजना -

(सब्सिडी दर प्रतिक्िलो)

चावल का किस्म	खरीफ वर्ष 2010-12	खरीफ वर्ष 2011-12	खरीफ वर्ष 2012-13
(1)	(2)	(3)	(4)
अरवा कॉमन	11.55	13.66	16.69
उसना कॉमन	12.08	14.20	17.21
अरवा कॉमन ग्रेड ए	11.28	13.35	16.30
उसना कॉमन ग्रेड ए	11.80	13.88	16.81

बीपीएल योजना -

(सब्सिडी दर प्रतिक्िलो)

चावल का किस्म	खरीफ वर्ष 2010-12	खरीफ वर्ष 2011-12	खरीफ वर्ष 2012-13
(1)	(2)	(3)	(4)
अरवा कॉमन	14.20	16.31	19.34
उसना कॉमन	14.73	16.85	19.86
अरवा कॉमन ग्रेड ए	13.93	16.00	18.95
उसना कॉमन ग्रेड ए	14.45	16.53	19.46

अन्त्योदय योजना -

(सब्सिडी दर प्रतिक्िलो)

चावल का किस्म	खरीफ वर्ष 2010-12	खरीफ वर्ष 2011-12	खरीफ वर्ष 2012-13
(1)	(2)	(3)	(4)
अरवा कॉमन	16.85	18.96	21.99
उसना कॉमन	17.38	19.50	22.51
अरवा कॉमन ग्रेड ए	16.58	18.65	21.60
उसना कॉमन ग्रेड ए	17.10	19.18	22.11

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 137) के भाग (ख) की जानकारी]

एपीएल, बीपीएल एवं निराश्रित राशनकार्डधारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय राशन सामग्री की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी

क्रमांक	विवरण	खाद्यान्न की पात्रता प्रतिमाह एवं मूल्य			
		खाद्यान्न (चावल एवं गेहूं)	शक्कर	अमृत नमक	करोसिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ए. पी. एल.	15 किलो 9.30 रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल एवं 7.50 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं.	निरंक	निरंक	शहरी क्षेत्र में अधिकतम 3 लीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 5 लीटर, न्यूनतम 16.13 रुपए एवं अधिकतम 16.68 रुपए प्रतिलीटर की दर से.
2.	बी. पी. एल.	35 किलो, 2 रुपए प्रतिकिलो की दर से.	1.300 किलोग्राम 13.50 रुपए प्रतिकिलो की दर से	02 किलो अमृत नमक निःशुल्क	
3.	निराश्रित (केसरिया 10 किलो कार्ड)	10 किलो चावल, 2 रुपए प्रतिकिलो की दर से.		- ” -	

परिशिष्ट “छः”

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 662) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

जिला	स्थान का नाम	भवनों की संख्या	स्वीकृत राशि	एजेन्सी का नाम	स्वीकृति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	धनसुली	300	330.00 लाख	मे. मोहन पोद्दार	03-03-2008
	मुनगी	984	1085.29 लाख	मे. मोहन पोद्दार	03-03-2008
	आरंग	935	1028.50 लाख	मे. मोहन पोद्दार	30-09-2011
	कुंरा	294	323.40 लाख	मे. आलोक गुप्ता	06-02-2008
	बेलभाटा	525	602.00 लाख	मे. मोहन पोद्दार	06-02-2008
	गातापार	353	490.67 लाख	मे. साहू एसो.	05-10-2012
दुर्ग	बघेरा	129	141.90 लाख	राजेश बिल्डर्स, दुर्ग	26-04-2008
	पाटन	235	258.50 लाख	विश्वनाथ पासवान/अमित कंस्ट्रक्शन, भिलाई.	24-06-2008
बेमेतरा	सिंघोरी	50	55.00 लाख	मनवार कंस्ट्रक्शन, दुर्ग	02-02-2008
	मोहभट्टा	220	242.00 लाख	मनवार कंस्ट्रक्शन, दुर्ग/ शारदा प्रसाद, भिलाई.	27-02-2008
राजनांदगांव	मनकी	175	192.50 लाख	मे. शर्मा एसो. भिलाई	15-03-2011
	पेण्डी	395	434.50 लाख	श्री अमित जैन	17-12-2010
	गण्डई	195	214.50 लाख	निविदा आमंत्रित की जा रही है.	
	टेड़ेसरा	122	134.20 लाख	श्री अमित जैन	06-02-2008
	पिपरिया	169	335.50 लाख	मे. राजस्थान एसो.	19-10-2012
	मोहारा	98	107.80 लाख	श्री ओमप्रकाश शर्मा	28-04-2011
	चौथना	100	110.00 लाख	निविदा आमंत्रित की जा रही है.	
कबीरधाम	बोड़ला	101	111.10 लाख	मे. एस. आर. कंस्ट्र.	01-05-2012
महासमुंद	सरायपाली	224	246.40 लाख	ओमप्रकाश शर्मा	19-12-2008
	बसना	262	288.20 लाख	निविदा आमंत्रित की जा रही है.	
बिलासपुर	झल्फा (बिल्हा)	200	220.00 लाख	मोचन लाल राय	06-02-2008
	डिपरापारा (कोटा)	229	275.00 लाख	श्री शंकर लाल गुप्ता	06-02-2008
	निरतु (तखतपुर)	300	330.00 लाख	श्री रविशंकर त्रिपाठी	06-02-2008
मुंगेली	सारधा (लोरमी)	200	220.00 लाख	श्री रविशंकर त्रिपाठी	06-02-2008
	सुरदा (मुंगेली)	120	132.00 लाख	श्री शंकर लाल गुप्ता	06-02-2008
बीजापुर	बीजापुर	200	220.00 लाख	श्री जी. वेंकटेश्वर	03-03-2008
दंतेवाड़ा	कदमटीकड़ा	140	154.00 लाख	श्री ए. के. तंगराज	22-12-2007
बस्तर	अघनपुर	33	36.30 लाख	श्री एस. एल. गुप्ता	12-05-2008
जांजगीर-चांपा	हसदेव विहार	100	110.00 लाख	पटेल इंटरप्राईजेस	23.05-2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	50	55.00 लाख	श्री आलोक गुप्ता	06-02-2008
	कुनकुरी	20	22.00 लाख	साईं कंस्ट्रक्शन	06-02-2008
कावेर	बारगरी चारामा	66	72.60 लाख	श्री एस. एल. गुप्ता	11-12-2007
	कराठी भानुप्रतापपुर	126	138.60 लाख	श्री एस. एल. गुप्ता	22-05-2008
कोरबा	कटघोरा	125	137.60 लाख	श्री मोहन पोद्दार	14-07-2008
कोरिया	सलका बैकुण्ठपुर	94	103.40 लाख	श्री मोहन पोद्दार	27-02-2008
नारायणपुर	नारायणपुर	200	220.00 लाख	श्री मानक लाल साहू एवं श्री देवीघोष.	22-05-2008 एवं 13-06-2008
कोण्डागांव	बंधापारा	44	48.40 लाख	श्री बरून कुमार माईति एवं श्री देवीघोष.	13-06-2008 एवं 07-04-2011
	तहसील पारा	17	18.70 लाख		
रायगढ़	घरघोड़ा	179	196.90 लाख	साईं कंस्ट्रक्शन	06-02-2008
	धरमजयगढ़	127	139.70 लाख	साईं कंस्ट्रक्शन	06-02-2008
	पुसौर	127	139.70 लाख	साईं कंस्ट्रक्शन	06-02-2008
	खरसिया	252	277.20 लाख	मारूति कंस्ट्रक्शन	06-02-2008
सरगुजा	सीतापुर	42	46.20 लाख	नार्जुन कंस्ट्रक्शन	14-07-2008
	योग	8857			

प्रपत्र "ब"

जिला (1)	स्थान का नाम (2)	भवनों की संख्या (3)	पूर्ण (4)	अपूर्ण (5)
रायपुर	धनसुली	300	300	
	मुनगी	984	984	
	आरंग	935		935
	कुंरा	294	294	
	बेलभाटा	525	525	
	गातापार	353		353
दुर्ग	बघेरा	129	129	
	पाटन	235	180	55
बेमेतरा	सिंधोरी	50	50	
	मोहभट्टा	220	160	60
राजनांदगांव	मनकी	175	75	100
	पेण्डी	395	100	295
	गण्डई	195		195
	टेडेसरा	122	122	
	पिपरिया	169	63	106
	मोहारा	98		98
	चौथना	100		100
कबीरधाम	बोड़ला	101		101
महासमुंद	सरायपाली	224	224	
	बसना	262		262
बिलासपुर	झल्फा (बिल्हा)	200	200	
	डिपरापारा (कोटा)	229	214	15
	निरतु (तखतपुर)	300	300	
मुंगेली	सारधा (लोरमी)	200	200	
	सुरदा (मुंगेली)	120	50	70
बीजापुर	बीजापुर	200	200	
दंतेवाड़ा	कदमटीकड़ा	140		140
बस्तर	अघनपुर	33	33	
जांजगीर-चांपा	हसदेव विहार	100	100	
जशपुर	बगीचा	50	15	35
	कुनकुनी	20	20	
कांकेर	बारगरी चारामा	66	66	
	कराठी भानुप्रतापपुर	126	91	35
कोरबा	कटघोरा	125	125	
कोरिया	सलका बैकुण्ठपुर	94	94	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नारायणपुर	नारायणपुर	200	200	
कोण्डागांव	बंधापारा	44		44
	तहसीलपारा	17	17	
रायगढ़	घरघोड़ा	179	179	
	धरमजयगढ़	127	127	
	पुसौर	127	127	
	खरसिया	252	252	
सरगुजा	सीतापुर	42		42
	योग	8857		

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क. 203) के भाग (क) की जानकारी]

मरवाही विधानसभा के अन्तर्गत गौरेला विकासखण्ड में अंजनी ग्राम के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन योजना

(अ) औद्योगिक नीति 2009-14 की प्रोत्साहन योजना -

1- ब्याज अनुदान -

पात्र सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान -

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग -

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 20.00 लाख वार्षिक)	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 30.00 लाख वार्षिक)
(2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 21.00 लाख वार्षिक)	(2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 65 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 31.50 लाख वार्षिक)
(3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 22.00 लाख वार्षिक)	(3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 33.00 लाख वार्षिक)
(4)-अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का	(4)-अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख वार्षिक)	75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 50.00 लाख वार्षिक)

मध्यम उद्योग –

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख वार्षिक)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख वार्षिक)
(2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 26.25 लाख वार्षिक)	(2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 65 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 42.00 लाख वार्षिक)
(3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 27.50 लाख वार्षिक)	(3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 44.00 लाख वार्षिक)
(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख वार्षिक)	(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख वार्षिक)

2- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना -

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख)	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)
(2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 63.00 लाख)	(2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 84.00 लाख)
(3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 66.00 लाख)	(3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 88.00 लाख)
(4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)	(4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120.00 लाख)

मध्यम उद्योगों की स्थापना -

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 70.00 लाख)	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100.00 लाख)
(2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 73.50 लाख)	(2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 105.00 लाख)

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 77.00 लाख)	(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110.00 लाख)
(4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 90.00 लाख)	(4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 125.00 लाख)

वृहद उद्योगों की स्थापना –

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100 लाख)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120 लाख)
(2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 105 लाख)	(2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 126 लाख)
(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110 लाख)	(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 132 लाख)
(4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120 लाख)	(4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 140 लाख)

मेगा प्रोजेक्ट / नवीन अल्ट्रा मेगा प्राजेक्ट की स्थापना –

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उनके उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उनके उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500 लाख)
(2)– अप्रवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख)	(2)– अप्रवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500 लाख)
(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख)	(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500 लाख)
(4)– अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख)	(4)– अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500 लाख)

3- विद्युत शुल्क से छूट-

क- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट
अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक छूट	अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक छूट
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक छूट

ख- वृहद उद्योग/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट
अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त	अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त

सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक छूट	उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक छूट

4- स्टाम्प शुल्क से छूट-

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स ।

अ- भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर,

ब- ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

5- औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत- सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग

उद्योगों की श्रेणी	उद्यमियों का वर्ग			
	सामान्य वर्ग	अप्रवासी भारतीय / शत-प्रतिशत एफ0डी0आई0 वाले निवेशक	विकलांग / महिला उद्यमी / सेवानिवृत्त सैनिक / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति	अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग
2.	3.	4.	5.	6.
अ-सामान्य उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत
ब-प्राथमिकता उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत

वृहद उद्योग/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

अ-सामान्य उद्योग	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत	100 प्रतिशत
ब-प्राथमिकता उद्योग	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत	100 प्रतिशत

6- परियोजना प्रतिवेदन अनुदान -

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग -

- (1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 3.00 लाख)
- (2)- अप्रवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 3.15 लाख)
- (3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 3.30 लाख)
- (4)- अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 4.00 लाख)

7- भूमि उपयोग में परिवर्तन -

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योगों) को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू-व्यपवर्तन शुल्क में पूर्ण छूट ।

8- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान -

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग -

आई0एस0ओ0-9000, आई0एस0ओ0-14000, आई0एस0ओ0-18000 या अन्य समान राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण करवाने पर सामान्य वर्ग के उद्यमियों को किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अप्रवासी भारतीय तथा शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशकों को किये गये व्ययों का 55 प्रतिशत एवं महिला उद्यमी / सेवानिवृत्त सैनिक / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों / विकलांग एवं अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान ।

अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के उद्यमियों हेतु रू. 1.00 लाख, अप्रवासी भारतीय एवं शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशकों हेतु रू. 1.05 लाख एवं विकलांग / महिला उद्यमी / सेवानिवृत्त सैनिक / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों हेतु रू. 1.10 लाख तथा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु रूपये 1.25 लाख (प्रत्येक प्रमाणीकरण) ।

9- तकनीकी पेटेन्ट अनुदान -

नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग -

औद्योगिक इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय नियमों कानूनों के अंतर्गत अपने शोध कार्य / आविष्कार पर पेटेंट पंजीकरण प्राप्त होने के उपरांत सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय पर अनुदान की वर्गवार पात्रता :-

क्र.	उद्यमी का वर्ग	अनुदान मात्रा	अधिकतम सीमा राशि
1.	सामान्य	व्यय का 50 प्रतिशत	रु. 5.00 लाख
2.	अप्रवासी भारतीय तथा शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक	व्यय का 55 प्रतिशत	रु. 5.25 लाख
3.	विकलांग/ महिला उद्यमी/ सेवानिवृत्त सैनिक /नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति	व्यय का 60 प्रतिशत	रु. 5.50 लाख
4.	अनुसूचित जाति/ जनजाति	व्यय का 60 प्रतिशत	रु. 6.00 लाख

10- मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान -

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग -

औद्योगिक इकाई (पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट) द्वारा अपने उद्योग में उत्पादन हेतु कृषि उपज मंडी समितियों से/के माध्यम से किये गये आवश्यक कच्चे माल के क्रय हेतु भुगतान किये गये मंडी शुल्क के 50 प्रतिशत अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5.00 लाख वार्षिक होगी जो नवीन/ विद्यमान उद्योग में विस्तार /शवलीकरण /बेकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु ।

11- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान -

इस योजना के अन्तर्गत रु. 5 करोड़ तक की परियोजना लागत वाले उद्योग की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 35 लाख मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता।

(ब) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012

“कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012” दिनांक 1 नवम्बर 2012 से लागू की गई है। इस नीति के अन्तर्गत पात्र उद्योगों को उद्योग स्थापित होने पर प्रोत्साहन योजना निम्नानुसार है :-

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
1	मूल्य संवर्धित कर केन्द्रीय विक्रयकर में रियायत प्रतिपूर्ति	<p>स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयवाधि 10 वर्ष की अवधि जो पूर्व अवसान हो, तक।</p> <p>यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रयकर के समतुल्य राशि होगी। यह छूट पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी।</p> <p>इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के अन्तर्गत यह “प्रोत्साहन सहायता” प्राप्त करे अथवा तत्समय में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले।</p> <p>सहायता राशि की गणना निर्मित माल के विक्रय पर देय वेट कर तथा निर्मित माल के अंतर्राज्यीय विक्रय कर पर देय केन्द्रीय विक्रयकर के आधार पर की जावेगी।</p>
2	प्रवेश कर	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से शत प्रतिशत छूट 7 वर्ष की अवधि हेतु।
3	विद्युत शुल्क छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष हेतु शत प्रतिशत छूट।
4	मंडी शुल्क छूट	कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की मंडी से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
		वर्णित उद्योगों को छोड़कर) पर लगाने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी।

2- इस नीति के अन्तर्गत नवीन इकाईयों की स्थापना/ विद्यमान इकाईयों द्वारा विस्तार योजना अन्तर्गत विस्तार करने पर उपरोक्तानुसार सुविधाएं प्राप्त करने हेतु प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रु0 1.00 करोड़ का निवेश राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू./आई.ई.एम./ई.एम. पार्ट-1 जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर करना आवश्यक है।

(स)- ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012

“ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012” दिनांक 1 नवम्बर 2012 से लागू की गई है। इस नीति के अन्तर्गत पात्र उद्योगों को उद्योग स्थापित होने पर प्रोत्साहन योजना निम्नानुसार है:-

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
1	मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति (निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्रदान की जावेगी)	मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 115 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयवाधि 18 वर्ष की अवधि जो पूर्व अवसान हो, तक। यह छूट आटोमोटिव उद्योग इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर के समतुल्य राशि होगी। यह छूट पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के अंतर्गत यह “प्रोत्साहन सहायता” प्राप्त करे अथवा तत्समय में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले।
2	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट	तत्समय प्रचलित दर का 50 प्रतिशत, 18 वर्षों की अवधि तक।
3	प्रवेश कर भुगतान से छूट	परियोजना हेतु कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 100 प्रतिशत छूट 8 वर्ष की अवधि हेतु।

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
4	विद्युत शुल्क छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 10 वर्ष ।
5	स्टाम्प ड्यूटी छूट अ- भूमि, भवन, शेड प्रकोष्ठ पर ब- ऋण विलेखों पर	भूमि, भवन, शेड प्रकोष्ठ के क्रय/पट्टे से संबंधित विलेखों पर 100 प्रतिशत औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुरूप देय ।
6	पंजीयन शुल्क पर छूट	भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ पर 100 प्रतिशत छूट ।

2- इस नीति के अन्तर्गत नवीन इकाईयों की स्थापना/ विद्यमान इकाईयों द्वारा विस्तार योजना अन्तर्गत विस्तार, शक्तीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन करने पर उपरोक्तानुसार सुविधाएं प्राप्त करने हेतु ऑटोमोटिव उद्योगों में न्यूनतम रू. 1000 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन होने के दिनांक से 7 वर्ष के भीतर करना है एवं ऑटोमोटिव उद्योग के अनुषांगिक उद्योगों/आटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए स्थायी पूंजी निवेश की कोई सीमा नहीं है।

टीप- कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 तथा ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन योजना में यथासमय लागू राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट व रियायतें भी देय हैं।

परिशिष्ट “आठ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 774) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला कांकेर में खाद्यान्न, रसोई गैस सिलेण्डर एवं केरोसिन अवैध भंडारण के दर्ज प्रकरणों की जानकारी

वर्ष 2011-12

क्र.	विकासखण्ड का नाम	व्यक्ति का नाम जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये गये है	प्रकरण का विवरण/ की गई कार्यवाही	धारा जिसके अंतर्गत कार्यवाही की गई	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
केरोसिन दुरुपयोग के प्रकरण					
1.	कांकेर	श्री रूपराम कोमरा खमढोडगी	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
		श्री अजय कुमार ठाकुर अन्नपूर्णापारा.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
		श्री मोतीराम डोगरे भण्डारीपारा.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
		श्री मुकेश कुमार चौरसिया सिंगारभाठ.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई.
		श्री अमरचंद/शाति लुक्कड कोर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत.
		श्री संजय कुमार मरकाम आमापारा.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	माननीय सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया.
2.	नरहरपुर	श्री अल्पेश ठाकुर लारगांव भरकाटोला.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई
		श्री संतोष साहू चोरिया	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया.
		श्री संजय साहू चोरिया	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	
		श्री बंटी सूरोजिया बुदेली	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	
		सुरेश लखन लाल साहू बादल.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	चारामा	श्री दीपक कुमार जैन चारामा	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई
		श्री चैन सिंह साहू चारामा	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई
		श्री भूषण महाराज चारामा	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया.
		श्री मोतीराम कोमरे राजनांदगांव.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	
		श्री नीलमणि पटेल दुर्गा नयापारा.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	
		निषाद अहमद	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया.
		खेमराज जैन	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	
		श्री विरेन्द्र साव	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	
		श्री मुकेश कुमार	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	
3.	भानुप्रातपपुर	श्री बैद्यराज आहूजा भानुप्रातपपुर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई
		श्री मनोहर मंगलानी भानुप्रातपपुर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई
		श्री रोशन सोनी सम्बलपुर	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया.
		श्री सहदेव राम आचला कुल्हाडकटटा.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया.

गैस सिलेण्डर दुरुपयोग के प्रकरण

1.	कांकेर	श्री मुकेश चौरसिया कांकेर	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई
		श्री भवरलाल जोशी	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		श्री रूपराम यादव	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई
2.	भानुप्रतापपुर	श्री अजय लखानी भानुप्रतापपुर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	जप्त सामग्री राजसात की गई
3.	कोयलीबेडा	श्री लिनेश्वर जोशी (पखांजूर) रायपुर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.

वर्ष 2012-13

गैस सिलेण्डर दुरुपयोग के प्रकरण

1.	कांवेर	श्री देवलाल दुग्गा	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
2.	भानुप्रतापपुर	श्री यशपाल आहूजा भानुप्रतापपुर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
		श्री लेखराम साहू भानुप्रतापपुर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
		श्री नंदकिशोर गुप्ता भानुप्रतापपुर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
3.	कोयलीबेडा	श्री लिनेश्वर जोशी (पखांजूर) रायपुर.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत.	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.

परिशिष्ट “नौ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 162) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता तथा केरोसिन दुरुपयोग एवं अवैध भण्डारण के प्रकरण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	प्रकरण दर्ज करने का दिनांक	अनावेदक का नाम जिसके विरुद्ध प्रकरण बनाया गया	स्थान का नाम जहां का प्रकरण दर्ज किया गया है	प्रकरण में की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

वर्ष 2011-12

केरोसिन दुरुपयोग के निर्मित प्रकरण

1.	13-06-2011	हरिहर प्रधान/ठठाराम	पंचधार	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 11-07-2011 को 10,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
2.	13-06-2011	लक्ष्मण लहरे/बोधुआ	सरिया	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 11-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 03 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
3.	13-06-2011	अशोक पात्र/जनक	पंचधार	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 11-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 03 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
4.	13-06-2011	बिसाहू लाल चन्द्रा/दौलत	झारपाली	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 11-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 05 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
5.	13-06-2011	गाड़राम/चमरा साहू	सारंगढ़	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 11-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 08 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
6.	23-06-2011	धरमचन्द्र/बघेला	उलखर	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 26-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 04 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
7.	24-06-2011	भूषण चन्द्र/लखनलाल	पासीद	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 26-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 05 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
8.	23-06-2011	राधेश्याम/पदुमनाथ	बावाकुटी	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 26-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 08 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
9.	28-06-2011	अंगद साहू/पदेशी	पहन्दा	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 26-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 01 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	22-06-2011	शिवप्रसाद पटेल/	साल्हेओना	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 26-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 05 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
11.	22-06-2011	घनश्याम/दुलारदास	सहजपाली	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 26-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 05 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
12.	22-06-2011	दुशयंत पटेल/राधेपटेल	डभरा/ बरमकेला.	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 26-07-2011 को 10,000/- रुपये एवं 04 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
13.	27-07-2011	कन्हैया साहू/श्याम साहू	रानीसागर/ सारंगढ़.	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 08-08-2011 को 10,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
14.	03-08-2011	रमेश पटेल/क्षेमसागर	बार	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 29-08-2011 को 10,000/- रुपये एवं 05 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
15.	08-08-2011	शौकीलाल/शिवरतन	चिगरीपाली	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 12-09-2011 को 10,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
16.	10-08-2011	हनुमान अग्रवाल/ रामस्वरूप.	गोडम	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 12-09-2011 को 10,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
17.	10-08-2011	मंगल नेताम/श्रवण	देवगांव पठारीपाली.	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 12-09-2011 को 10,000/- रुपये एवं 02 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
18.	16-09-2011	बंशीधर निषाद/ जगेश्वर निषाद.	परसदा	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 17-10-2011 को 10,000/- रुपये एवं शासन पक्ष में राजसात किया गया.
19.	28-09-2011	राधेश्याम/हेतराम	परसदा	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 17-10-2011 को 10,000/- रुपये एवं शासन पक्ष में राजसात किया गया.
20.	24-10-2011	चन्द्रभानु/करमहा	हिर्नी	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 14-11-2011 को 25,000/- रुपये एवं शासन पक्ष में राजसात किया गया.
21.	24-10-2011	विजय अग्रवाल/ सागर मल	रेड़ा	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 14-11-2011 को 25,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	24-10-2011	शशिचन्द्र मेशह	पिण्डी	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 14-11-2011 को 25,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
23.	12-01-2012	लक्ष्मीधर यादव/ ललीत कुमार.	कोतरा	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 09-02-2012 को 25,000/- रुपये एवं शासन पक्ष में राजसात किया गया.
24.	17-01-2012	दिलीप साहू/रामचरण	दानसरा	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 09-02-2012 को 25,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
25.	23-01-2012	राजकुमार नायक/ रविशंकर.	बरमकेला	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है.

केरोसिन अवैध भंडारण के प्रकरण

26.	03-09-2011	राजेन्द्र अग्रवाल/हरिराम अग्रवाल.	सारंगढ़	केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 का उल्लंघन करने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है. प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराया गया है.
27.	03-09-2011	लाला केशरवानी/जगदीश	सारंगढ़	केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 का उल्लंघन करने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है. प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराया गया है.

खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता संबंधी प्रकरण

28.	17-08-2011	सचिव ग्राम पंचायत	कुम्हारी	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के न्यायालय में प्रचलन में है.
29.	10-08-2011	बजरंग महिला स्व. सहायता समूह.	अमेरी	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के न्यायालय में प्रचलन में है.
30.	08-11-2011	सचिव ग्राम पंचायत	जिल्दी	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के न्यायालय में प्रचलन में है.
31.	30-11-2011	सचिव ग्राम पंचायत	फर्सवानी	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के न्यायालय में प्रचलन में है.
32.	24-03-2012	सचिव ग्राम पंचायत	बहलीडीह	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के न्यायालय में प्रचलन में है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	02-01-2012	सचिव ग्राम पंचायत	लोधिया	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के न्यायालय में प्रचलन में है.
34.	23-03-2012	सचिव ग्राम पंचायत	छातादेई	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण में दिनांक 30-03-2012 को चेतावनी दिया गया, प्रकरण निराकृत.

वर्ष 2012-13

केरोसिन दुरुपयोग के निर्मित प्रकरण

1.	10-04-2012	आर. एस. ठाकुर/महेश	खोखसीपाली	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 25-04-2012 को 20,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
2.	25-04-2012	नवधा साहू/गोपाल	बोईर्माल	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 14-05-2012 को 25,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
3.	25-04-2012	लखनलाल साहू/ बुधुराम.	कलमी	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 14-05-2012 को 25,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
4.	25-04-2012	छोटेराल साहू/	रांपागुला	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 14-05-2012 को 25,000/- रुपये शासन पक्ष में राजसात किया गया.
5.	23-08-2012	राधेश्याम/घासीराम	बड़े गन्तुली	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर आदेश दिनांक 22-10-2012 को 25,000/- रुपये एवं 02 लीटर केरोसिन शासन पक्ष में राजसात किया गया.
6.	23-11-2012	डिलेश्वर पटेल/मोतीसाय पटेल.	बरमकेला	केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन आदेश 1993 का उल्लंघन करने पर प्रकरण विचाराधीन है.

खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता संबंधी प्रकरण

7.	23-08-2012	उ. मू. दु. स्व. सहायता समूह.	सेमीकोट	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण आदेश दिनांक 17-10-2012 को 1000/- रु. अर्थदण्ड से दंडित किया जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया.
8.	07-09-2012	सचिव ग्राम पंचायत	खैरगढ़ी	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण में दिनांक 24-09-2012 को 500/- रु. अर्थदण्ड से दंडित किया जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	07-09-2012	सचिव ग्राम पंचायत	कर्कोट	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रा. के न्यायालय में विचाराधीन है.
10.	07-09-2012	सचिव ग्राम पंचायत	अमोदा	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रा. के न्यायालय में विचाराधीन है.
11.	26-11-2012	सचिव ग्राम पंचायत	बिलाईगढ़-ब	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रा. के न्यायालय में विचाराधीन है.
12.	05-10-2012	पूजा महिला स्व. सहा. समूह	नौरंगपुर	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रा. के न्यायालय में विचाराधीन है.
13.	05-10-2012	सालू महिला स्व. सहा. समूह	सारंगढ़ शहरी क्र. 03	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप आदेश दिनांक 29-01-2013 को 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर प्रकरण नस्ती किया गया.
14.	30-05-2012	मां भवानी महिला स्व. सहा. समूह	मुड़ियाडीह	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप दिनांक 13-06-2012 सुभद्रा स्व. सहा. समूह रेड़ा में संलग्न किया गया.
15.	02-04-2012	फूलमत महिला स्व. सहा. समूह	मल्दा अ	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता के फलस्वरूप दिनांक 25-05-2012 को चेतावनी दिया गया.

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “दस”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 409) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

छत्तीसगढ़ राज्य में उपभोक्ता फोरम न्यायालयों की जानकारी

क्रमांक	स्थान का नाम जहां उपभोक्ता फोरम न्यायालय स्थापित है.
(1)	(2)
1.	रायपुर
2.	बिलासपुर
3.	दुर्ग
4.	राजनांदागांव
5.	अम्बिकापुर
6.	जगदलपुर
7.	रायगढ़
8.	बैकुण्ठपुर
9.	जशपुर
10.	जांजगीर
11.	कोरबा
12.	कवर्धा
13.	धमतरी
14.	महासमुंद
15.	कांकेर
16.	दंतेवाड़ा

प्रपत्र "ब"

उपभोक्ता फोरम न्यायालय में अशासकीय सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया की जानकारी1. **प्रक्रिया व मापदंड-**

जिला उपभोक्ता फोरम के अशासकीय सदस्य के पद पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10 के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर निर्धारित अर्हता धारित करने वाले योग्य अभ्यर्थी की शासन द्वारा नियुक्ति का मनोनयन किया जाता है.

2. **अर्हताएं-**

उपभोक्ता फोरम में अशासकीय सदस्य हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैं :-

1. कार्यक्षम, सत्यनिष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा सेवा, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त ज्ञान एवं न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो.
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण करता हो.
3. आयु सीमा न्यूनतम 35 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष हो.

प्रपत्र “स”

महासमुंद उपभोक्ता फोरम न्यायालय में नियुक्त अशासकीय सदस्यों की जानकारी

क्रमांक (1)	नाम (2)	कार्यकाल की अवधि (3)
1.	श्रीमती अनिता रावटे	28-11-2001 से 29-11-2006 तक
2.	श्री यूसूफ मेमन	28-11-2001 से 29-11-2006 तक
3.	श्री यूसूफ मेमन	30-11-2007 से 29-11-2012 तक
4.	श्रीमती पी. दुर्गा ज्योति राव	26-08-2011 से वर्तमान तक

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 560) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान	शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित होने का स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	सेवा सहकारी संस्था अकलतरा	अकलतरा
2.	सर्वोदय महिला उपभोक्ता भण्डार	अकलतरा
3.	सेवा सहकारी समिति भैंसतरा	भैंसतरा दमामी
4.	सचिव ग्राम पंचायत	बरपाली
5.	मरकिन माता महिला स्व. सहायता समूह	परसदा
6.	टिकारी महिला स्व सहायता समूह	किरारी
7.	जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह	कापन
8.	महिला मण्डल स्व सहायता समूह	सोनसरी
9.	सेवा सहकारी समिति पोड़ीदल्हा	पिपरदा
10.	महिलामंडल महिला स्व सहायता समूह	अमरताल
11.	आशालता महिला स्व सहायता समूह	पिपरसत्ती
12.	विपणन सहकारी संस्था अकलतरा	अकलतरा
13.	सेवा सहकारी समिति	कोटमीसोनार
14.	सेवा सहकारी समिति	अकलतरा
15.	सेवा सहकारी समिति	करूमहूं
16.	सेवा सहकारी समिति	पकरिया (ल.)
17.	सेवा सहकारी समिति	अर्जुनी
18.	सेवा सहकारी समिति	खिसोरा
19.	सेवा सहकारी समिति	खोंड
20.	सेवा सहकारी समिति	खटोला
21.	सेवा सहकारी समिति	साजापाली
22.	सेवा सहकारी समिति	कोटगढ़
23.	सेवा सहकारी समिति	परसाही (बाना)
24.	सेवा सहकारी समिति	बम्हनी
25.	सेवा सहकारी समिति	कटघरी
26.	सेवा सहकारी समिति	कल्याणपुर
27.	सेवा सहकारी समिति	पडरिया
28.	सेवा सहकारी समिति	पोड़ीदल्हा
29.	सेवा सहकारी समिति	चंगोरी
30.	सेवा सहकारी समिति	तरौद
31.	सेवा सहकारी समिति	अमोरा
32.	सेवा सहकारी समिति	तिलई

(1)	(2)	(3)
33.	सेवा सहकारी समिति	मुडपार
34.	सेवा सहकारी समिति	तागा
35.	सेवा सहकारी समिति	पकरिया झू.
36.	सेवा सहकारी समिति	भेंसतरा दमामी
37.	सेवा सहकारी समिति	कटनई
38.	सेवा सहकारी समिति	हरदी
39.	सेवा सहकारी समिति	रसेडा
40.	सचिव ग्राम पंचायत	बनाहिल
41.	सचिव ग्राम पंचायत	पकरिया (ल.)
42.	गंगा महिला स्व सहायता समूह	अमलीपाली
43.	सर्वमंगला महिला स्व सहायता समूह	मधुवा
44.	ज्योति महिला स्व सहायता समूह	झलमला
45.	महिला स्व सहायता समूह सांकर	फरहदा
46.	जैयसतनाम महिला स्व सहायता समूह	सोनादूला
47.	अन्नदाता महिला स्व सहायता समूह	नरियरा
48.	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह	बरगांव
49.	सेवा सहकारी समिति तरौद	मुरलीडीह
50.	गुरु घासीदास महिला स्व सहायता समूह	पचरी
51.	जय अम्बे महिला स्व सहायता समूह	बिरकोनी
52.	जय महामाया महिला स्व सहायता समूह	परसाही (नाला)
53.	बेमराज महिला महिला स्व सहायता समूह	सांकर
54.	संतोषी माता महिला स्व सहायता समूह	पौना
55.	जागृति महिला स्व सहायता समूह	आरसमेटा
56.	महिला स्व सहायता समूह	नरियरा
57.	सेवा सह. समिति बलौदा	बलौदा
58.	महिला स्व सहायता समूह	बलौदा
59.	बोकरेल से. स. स.	बोकरेल
60.	रागिनी महिला स्व सहायता समूह नवापारा (ख)	नवापारा (ख)
61.	सेवा सहकारी समिति	रसौंटा
62.	दहकोनी सेवा सहकारी समिति	दहकोनी
63.	करमन्दा सेवा सहकारी समिति	करमन्दा
64.	डोंगरी ममता महिला स्व सहायता समूह	डोन्नरी
65.	सेवा सहकारी समिति जर्वे (ब)	औरईकला
66.	देवरी अटल महिला स्व सहायता समूह	देवरी
67.	विपणन सहकारी समिति	बलौदा
68.	लक्ष्मी बाई महिला सहकारी समिति	बलौदा
69.	खैजा सेवा सहकारी समिति	खैजा

(1)	(2)	(3)
70.	सेवा सहकारी समिति	बेलटुक्की
71.	सेवा सहकारी समिति	बक्सरा
72.	अंगारखार (सेवा सहकारी समिति बक्सरा)	बक्सरा
73.	करमा सेवा सहकारी समिति	करमा
74.	गतवा सेवा सहकारी समिति	गतवा
75.	महुदा ब सेवा सहकारी समिति	महुदा (ब)
76.	चारपारा सेवा सहकारी समिति	चारपारा
77.	ढोरला जय दुर्गे मां महिला स्व सहायता समूह	ढोरला
78.	सेवा सहकारी समिति	बिरगहनी (ब.)
79.	जर्वे ब सेवा सहकारी समिति	जर्वे (ब)
80.	औरईकला सेवा सहकारी समिति	औरईकला
81.	जावलपुर सेवा सहकारी समिति	जावलपुर
82.	सेवा सहकारी समिति	रसौंटा
83.	सेवा सहकारी समिति नवापारा (बलौदा)	नवापारा (ब)
84.	सेवा सहकारी समिति	पहरीया
85.	गीता महिला स्व सहायता समूह नवगंवा	नवगंवा
86.	सेवा सहकारी समिति	परसदा
87.	सेवा सहकारी समिति	बोकामुड़ा
88.	सचिव, ग्राम पंचायत	बछौद
89.	सचिव, ग्राम पंचायत	हेड़सपुर
90.	सचिव, ग्राम पंचायत	रैनपुर
91.	खोहा सचिव, ग्राम पंचायत	खोहा
92.	सेवा सहकारी समिति नवागांव	नवागांव
93.	मां खंदेश्वरी महिला स्व सहायता समूह	बगडबरी
94.	खिसोरा अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह	खिसोरा
95.	कन्डरा महिला स्व सहायता समूह	कन्डरा
96.	कुरमा सदाबहार महिला स्व सहायता समूह	कुरमा
97.	कोरबी गायत्री महिला स्व सहायता समूह	कोरबी
98.	दुर्गामाता महिला स्व सहायता समूह	भिलाई
99.	अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह	बुड़गहन
100.	विजय लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह	हरदीविशाल
101.	जय भवानी महिला स्व सहायता समूह	पंनोतरा

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क. 663) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मुंगेली जिले में वर्ष 2012-13 में जारी किये गये एपीएल, बीपीएल एवं अन्त्योदय राशनकार्ड की जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
1	मुंगेली	मुंगेली	420	20	979
2		हेडसपुर	13	1	41
3		प्रतापपुर	20	0	0
4		सुरदा	20	0	0
5		खेढा	25	10	2
6		लिम्हा	17	3	2
7		कोदवाबानी	21	1	17
8		धरमपुरा	22	3	0
9		सोढार	20	3	4
10		कंतेली	21	2	0
11		देवरी	39	14	0
12		छाता	23	0	191
13		पंडरभठ्ठा	19	2	0
14		कोदूकापा	20	0	0
15		लछनपुर किरना	23	6	0
16		बुंदली घोरपुरा	24	0	0
17		पुरान	20	1	0
18		कोहड़िया	20	7	0
19		दुल्लापुर (सो)	20	1	0
20		भालापुर	18	0	0
21		नवागांव(चि)	21	2	0
22		बलौदी	22	3	0
23		नवागांव टेमरी	24	0	57
24		करूपान	37	0	0
25		चारभाठा	27	15	52
26		संबलपुर	21	3	0
27		निरजाम	23	2	0
28		धनगांव(च)	30	5	0
29		चातरखार	20	0	0
30		सोनपुरी बांकी	29	2	17
31		चमारी	29	1	271
32		टेढाधौरा	25	2	0

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
33		हरियरपुर	22	1	0
34		पौनी	31	4	0
35		डोंडा	15	1	0
36		जल्ली	51	0	0
37		मुडपार	15	1	0
38		झलियापुर	20	1	0
39		छटन	52	1	0
40		सेमरकोना	14	1	0
41		दामापुर	39	1	0
42		फंदवानी	23	7	0
43		अमलीडीह	22	0	0
44		गोपतपुर	21	5	8
45		सेतगंगा	19	15	0
46		बिजातराई	19	0	87
47		सिंगारपुर	21	1	0
48		नागोपहरी	25	0	0
49		विचारपुर	22	2	0
50		राजपुर	21	0	0
51		कारेसरा	15	0	0
52		उदका तरवरपुर	29	3	19
53		लछनपुर(अ)	23	3	0
54		भरुवागुड़ा	25	5	0
55		लालाकापा	25	1	0
56		लिलवाकापा	28	0	0
57		रेहूटा	22	0	0
58		पालचुआ	29	3	0
59		भीमपुरी	20	1	0
60		मानपुर	21	0	0
61		केशलीकला	48	2	0
62		बैहाकापा	20	0	0
63		झुलनाखुर्द	20	1	0
64		रोहराखुर्द	38	0	1
65		ढबहा	22	1	313
66		चकरभाठा	21	1	0

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
67		नवागांव (घो)	30	0	0
68		देवगांव	21	1	173
69		संगवाकापा	21	0	0
70		लोकईपुर	10	2	0
71		दाबो	55	0	0
72		सिल्ली	22	4	381
73		करही धपई	20	7	414
74		रामगढ	26	9	0
75		फरसवारा	17	0	0
76		नारायणपुर	18	4	0
77		सिंगबांधा	27	0	0
78		भर्राकुडा करही	33	4	0
79		कुवागांव	26	0	112
80		उमरिया	16	2	0
81		सुरीघाट	25	3	0
82		बोधापारा	20	0	0
83		भथरी	24	0	0
84		फुलवारी	14	2	0
85		खम्हरिया	16	13	270
86		बिरगांव	21	3	177
87		दरुवनकापा	41	19	0
88		कोना	32	1	3
89		दशरंगपुर	76	4	3
90		बरेला	5	0	1
91		पदमपुर	13	4	0
92		जरहागांव	35	4	36
93		भठलीकला	15	0	0
94		धनगांव (गो)	108	4	0
95		खुर्सी	48	17	0
96		खाम्हीकुर्मी	29	12	0
97		ठकुरीकापा	44	1	0
98		छतौना	28	6	0
99		बरदूली	43	11	0
100		कोसमा	34	2	0
101		केशरूवाडीह	38	1	0

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
102		भटकली खुर्द	21	0	0
103		फरहदा	21	4	0
104		लोहडिया	31	3	0
105		सेमरचुवा	27	1	0
योग			3142	319	3631
1	लोरमी	लोरमी	320	0	103
2		डोंगरिया	22	1	0
3		लाखासार	23	0	0
4		अखरार	25	0	177
5		कठौतिया	21	0	0
6		डोंगरीगढ	22	0	0
7		नवरंगपुर	22	0	0
8		गोडखाम्ही	23	45	0
9		तेलीखाम्ही	22	1	0
10		झिरवन राम्हेपुर(झि)	23	0	0
11		घोराभाठा	13	0	0
12		पथरी	51	7	217
13		बोड़तरा कला	48	4	0
14		मुछेल	35	0	0
15		दाउकापा	34	1	0
16		खैरवार खुर्द	50	0	0
17		रजपालपुर	24	1	0
18		घठोली	22	1	0
19		खपरीकला	22	1	0
20		नवागांव ढेलका	23	1	0
21		साल्हेघोरी	42	2	0
22		कोसमतारा	26	35	0
23		चिल्फी	31	1	0
24		बघमार	45	3	0
25		फुलवारी (एफ)	22	0	0
26		फुलझर	22	0	0
27		सेनगुडा	65	0	0
28		कोदवामंहत	22	0	0
29		बधनीभांवर	23	7	0
30		कोसाबाड़ी	22	0	0
31		उरईकछार	22	0	121

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
32		जोतपुर	41	1	0
33		धानाघाट	29	8	0
34		दरवाजा	22	0	0
35		चचेडी झलरी	59	0	0
36		मनकी	22	0	0
37		तिलकपुर	21	0	0
38		खुडिया	22	0	0
39		डिडौरी	22	8	0
40		सुरही	22	0	0
41		साल्हेघोरी	42	0	0
42		हरदी	22	0	0
43		धरमपुरा	22	5	0
44		नथेलपारा	47	0	0
45		सारिसताल	27	0	0
46		धनियाडोली	22	0	0
47		निवासखार	85	0	0
48		गाडाटोला	24	0	0
49		राम्हेपुर (कला)	22	0	0
50		आछीडौंगरी	22	0	0
51		भस्करा	22	0	0
52		लीलापुर	29	0	268
53		मोहनपुर	34	0	1
54		सारधा	28	1	0
55		झझपुरीकला	22	0	0
56		सरईपतेरा	22	2	0
57		सेमरिया	22	1	119
58		नवागांव वैकट	22	0	0
59		रहंगी	22	0	0
60		बुधवारा	24	1	0
61		छिरहट्टी धोभठठी	22	0	0
62		लछनपुर	22	1	0
63		मनोहरपुर	31	0	0
64		राजपुर	22	2	0
65		चंदली	22	3	0
66		मोहतरा तेली	36	0	0
67		उजियापुर	20	0	0

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
68		गुरुवाईनडबरी	22	0	0
69		लालपुर (थाना)	37	0	0
70		बोईरपारा	22	0	0
71		गैंजी बांधा	38	0	0
72		सावंतपुर	25	4	0
73		परसाकापा	22	1	0
74		बिजराकापाखुर्द	22	0	0
75		बिजराकापाकला	44	3	0
76		देवरहट	22	0	95
77		पैजनिया	22	0	0
78		ढोलगी	24	0	9
79		परसवारा	22	0	0
80		झाफल	32	0	0
81		सुकली	60	17	100
82		लालपुराकला	25	22	0
83		विचारपुर	24	2	238
84		डिंडोल	21	1	46
85		कोतरी	35	4	0
86		औराबांधा	23	4	0
87		बैगाकापा	22	0	0
88		नारायणपुर	50	2	0
89		पीपरखुंटी	22		0
90		पीपरखुंटा	22	16	0
91		पेण्डीतालाब बी.	30	0	162
92		करनकापा	34	0	0
93		बरमपुर	22	0	0
94		पेण्डीतालाब एन	22	1	170
95		लपटी	22	0	0
96		रवेली	22	53	0
97		कुधरताल	25	4	232
98		घोसरा मोहडंडा	26	0	0
99		भालूखोंदरा	22	0	0
100		सिघनपुरी	35	4	0

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
101		कोयलारी	22		0
102		फुलवारीकला	22	6	0
103		गोरखपुर	23	0	0
104		सूरजपुरा	22	0	171
105		अचानकमार	85	0	12
106		छपरवा	30	20	0
107		लमनी	22	0	19
108		तेलियापुरान	23	5	0
109		मोहतराकुर्मी	24	17	138
110		खेकतरा	22	13	0
111		मसनी	23	21	0
112		कुम्हरौली	22	0	0
113		सेमरसल	22	1	0
114		कटामी	26	0	0
115		बिजराकछार	22	0	0
116		बोईरहा	46	0	0
117		झिरीया	22	8	0
118		चेचानडीह	22	1	0
119		अमलीडीह	22	3	0
120		पथर्रा	22	0	0
121		लगरा	21	0	0
122		नवागांवदयाली	21	1	0
123		हरदीबांध	22	0	93
योग			3730	378	2491
1	पथरिया	सरगांव	90	2	1
2		सावा	17	0	0
3		बिदबिदा	19	0	0
4		धुमा	20	0	0
5		मोहभट्ठा	27	1	0
6		बदरा(था)	0	0	0
7		पकरिया	29	0	0
8		बिरकोनी दौना	25	0	0
9		चंदली	22	0	0
10		परसिया	23	0	0
11		सकेत	26	0	0
12		धमनी रामबोड.	32	0	0

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
13		टिकैतपेंडी	23	0	0
14		अण्डा	24	0	0
15		चंद्रखुरी	27	0	121
16		घुठिया	13	0	130
17		किरना	18	1	
18		दरुवनकापा	18	0	0
19		पेण्डी(स)	23	1	286
20		धरदेई	14	0	0
21		झूलनाकला	15	0	0
22		पडियाईन	22	1	0
23		अमलडीहा	29	1	0
24		रोहराकला	23	0	0
25		बावली	28	0	0
26		हथकेरा	28	0	0
27		उमरिया	33	0	0
28		पीपरलोड मर्राकोना	17	0	0
29		बदरा(ब)	11	2	0
30		लमती	19	3	0
31		बेलखुरी	18	0	0
32		कलार जेवरा	23	2	0
33		लरकवाडीह हिन्छापुर	19	0	0
34		सल्फा	23	0	3
35		नगपुरा	17	0	0
36		सावंतपुर	17	0	0
37		पथरिया	74	0	268
38		जरेली	19	0	0
39		पेंटलकापा	15	0	0
40		जूनवानी	34	0	0
41		भरेवा	23	0	0
42		सिलहदा	29	4	346
43		घुठेली	14	1	0
44		गंगद्वारी	31	14	0
45		खपरी	21	1	0
46		सकरी छिन्दभोग	35	3	0
47		लौदा	32	9	0
48		बगबुडवा	20	1	11

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या		
			अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल
49		सोडी(म)	17	0	0
50		चुनचुनिया	19	0	0
51		पथरगढी	26	0	274
52		मदकु	25	0	
53		सोडी(नि) डिघोरा	24	0	86
54		ककेडी	11	0	0
55		भटगांव	39	7	0
56		जगताकापा	20	0	0
57		सोनपुरी	21	0	63
58		गोइन्द्री	22	1	0
59		मोतिमपुर	23	0	0
60		भिलाई	20	0	0
61		कंचनपुर	17	2	0
62		पुछेली	23	0	0
63		तरकीडीह	15	2	0
64		ढोटमा	20	0	0
65		रौनाकापा (लाटा)	21	0	127
66		कुकुसदा	24	0	0
67		अमलीकापा	17	0	0
68		टेंगनागढ गोइन्द्रा	22	3	267
69		बरछा	25	1	0
70		बरदुली	21	0	0
71		डांडगांव	40	1	0
72		अमोरा	29	0	0
73		हथनीकला	41	0	0
74		कपुवा	22	0	0
75		जोता	27	0	0
76		सिलतरा	21	5	0
77		बछेरा	13	1	1
योग			1844	70	1984

1 – अन्त्योदय योजना के लिये पात्रता हेतु मापदण्ड –

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये बीपीएल परिवारों की संख्या 18.75 लाख निर्धारित की गई है तथा इसकी 38 प्रतिशत संख्या अन्त्योदय योजना हेतु मान्य की गई है । भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य की बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल परिवारों में से 38 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया जा सकता है । भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु प्राथमिकता वाले समूहों का भी निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है –

- (अ) भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पकार/दस्तकार, यथा-कुम्हार, चमड़े का कार्य करने वाले, जुलाहे, बढई, झुगियों में निवासरत एवं असंगठित क्षेत्रों से दैनिक आजीविका कमाने वाले समूह यथा-भारवाहक/कुली, रिक्शा चालक, हाथ ठेला चलाने वाले, फल-फूल के लघु विक्रेता, सपेरा, कूड़ा-कचरा बीनने वाले, मोची, निराश्रित एवं ऐसे ही अन्य अति निर्धन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत समूह ।
- (ब) विधवा अथवा गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति पर आश्रित परिवार, निःशक्त व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हें स्थायी आजीविका अथवा सामाजिक सहायता प्राप्त न हो ।
- (स) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधवाएं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अथवा निःशक्त व्यक्ति तथा एकाकी महिला अथवा पुरुष जिन्हें परिवार अथवा समाज से कोई भी सहायता अथवा जीवन निर्वाह हेतु निश्चित सहयोग प्राप्त न हो ।
- (द) समस्त विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवार ।

2. बीपीएल योजना के राशनकार्ड हेतु मापदण्ड –

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे सूची में शामिल परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1997-98 की बीपीएल सर्वे सूची में शामिल परिवारों को बीपीएल योजना के अंतर्गत राशनकार्ड की पात्रता है ।

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 1991 के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बीपीएल सर्वे सूची, वर्ष 1997 की ग्रामीण बीपीएल सर्वे सूची तथा शहरी क्षेत्र के वर्ष 2007 के बीपीएल सर्वे सूची में शामिल ऐसे पात्र परिवार जिनके नाम ग्रामीण क्षेत्रों की वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे सूची तथा शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1997-98 की बीपीएल सर्वे सूची में शामिल नहीं है, उन्हें 35 किलो प्रतिमाह खाद्यान्न की पात्रता वाले राशनकार्ड हेतु पात्र है ।

3- एपीएल योजना के राशनकार्ड हेतु मापदण्ड –

ऐसे हितग्राही जिन्हें बीपीएल, अन्त्योदय या मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्ड जारी नहीं है, वे एपीएल योजना के अंतर्गत राशनकार्ड हेतु पात्र है ।

राशनकार्ड जारी करने हेतु प्रक्रिया –

1. बीपीएल एवं अन्त्योदय राशनकार्ड हेतु आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत, तहसीलदार अथवा नगरीय निकाय कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । संबंधित आवेदन पत्र में उल्लेखित हितग्राही की पात्रता का परीक्षण किये जाने के उपरांत पात्र पाये जाने पर राशनकार्ड तैयार करने हेतु जिला खाद्य कार्यालय को भेजा जाता है । विभागीय वेबसाईट के जरिये जिला खाद्य कार्यालय द्वारा राशनकार्ड तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत कार्यालय तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय को वितरण हेतु प्रदाय की जाती है ।
2. एपीएल राशनकार्ड हेतु हितग्राही द्वारा आवेदन पत्र नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने पर नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत द्वारा जिला खाद्य अधिकारी को अभिमत सहित राशनकार्ड जारी करने हेतु प्रेषित की जाती है । जिला खाद्य अधिकारी द्वारा वेबसाईट के जरिये राशनकार्ड पीडीएफ तैयार कर संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत को जारी करने हेतु प्रेषित किया जाता है । नगरीय अथवा ग्रामीण निकाय द्वारा संबंधित हितग्राही को राशनकार्ड जारी किया जाता है ।

परिशिष्ट “तेरह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 718) के भाग (ख) की जानकारी]

शासकीय उचित मूल्य दुकान का नाम जिनके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है

वर्ष 2010-11

क्रमांक (1)	शासकीय उचित मूल्य दुकान का नाम जिसके संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है (2)
1.	मीनाक्षी महिला स्व सहायता समूह रेगड़ा
2.	ग्राम पंचायत, सरवानी
3.	शरदा महिला स्व सहायता समूह, कछार
4.	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, नावापारा (प)
5.	इंदिरा महिला स्व सहायता समूह, नंदेली
6.	ग्राम पंचायत, नावापारा (माण्ड)
7.	सुखभान महिला स्व सहायता समूह, नौरंगपुर
8.	ओम आदि महिला स्व सहायता समूह, कलमी
9.	संत कबीर महिला स्व सहायता समूह, केवाली, करूमौहा
10.	फुलकमल महिला स्व सहायता समूह, बगडेवा
11.	विकास उपभोक्ता समिति, खरसिया
12.	महिला स्व सहायता समूह, बिलासपुर, बरगढ़
13.	ग्राम पंचायत, बहामा
14.	ग्राम पंचायत, गुडुबहाल

वर्ष 2011-12

1.	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, पण्डरीपानी (पश्चिम)
2.	राजेन्द्र अग्रवाल पिता हरिराम अग्रवाल, नगरपालिका चौक सारंगढ़
3.	इंदिरा महिला स्व सहायता समूह, नगरपालिका चौक सारंगढ़
4.	सोनिया शक्ती महिला स्व सहायता समूह, नगरपालिका चौक सारंगढ़
5.	साई महिला स्व सहायता समूह, ठाकुरदिया
6.	महिला स्व सहायता समूह, पुरैना
7.	ग्राम पंचायत, गोड़गोधरी
8.	महिला स्व सहायता समूह, हालाहुली
9.	महिला स्व सहायता समूह, घघरा
10.	जागृति महिला स्व सहायता समूह, बर्रा
11.	ममता महिला स्व सहायता समूह, बसनाझर
12.	ग्राम पंचायत, पतरापाली
13.	दिपीका महिला स्व सहायता समूह, चोढ़ा
14.	ग्राम पंचायत, बरभौना
15.	महिला स्व सहायता समूह, ठुसेकेला

(1)	(2)
16.	कल्याणी महिला स्व सहायता समूह, तेलीकोट
17.	ग्राम पंचायत, गहनाझरिया
18.	ग्राम पंचायत, रूडुकेला
19.	ग्राम पंचायत, घटगांव
20.	ग्राम पंचायत, तोलगे
21.	ग्राम पंचायत, कूपाकानी
22.	ग्राम पंचायत, तारागढ़
23.	ग्राम पंचायत, महलोई
24.	ग्राम पंचायत, पारेमेर
25.	ग्राम पंचायत, ओमना
26.	ग्राम पंचायत, धौराभांठा
वर्ष 2012-13	
1.	ग्राम पंचायत, पण्डरीपानी
2.	ग्राम पंचायत, कोसमघाट
3.	ग्राम पंचायत, समकेरा
4.	ग्राम पंचायत, खम्हार
5.	ग्राम पंचायत, छर्टांगर
6.	ग्राम पंचायत, राजपुर
7.	ग्राम पंचायत, चन्द्रशेखरपुर
8.	ग्राम पंचायत, कुड़ेकेला
9.	ग्राम पंचायत, पोटिया

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 726) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार से प्राप्त आवंटन की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2011-12						(मात्रा मे. टन में)
क्र.	विवरण	चावल		गेहूं		योग
		नियमित	अतिरिक्त/ अस्थायी आवंटन	नियमित	अतिरिक्त/ अस्थायी आवंटन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एपीएल	124320	146620	180000	117500	568440
2.	बीपीएल	454368	226683	31320	6352	718723
3.	अन्त्योदय अन्न योजना.	301944	33429	0	0	335373

वित्तीय वर्ष 2012-13						(मात्रा मे. टन में)
क्र.	विवरण	चावल		गेहूं		योग
		नियमित	अतिरिक्त	नियमित	अतिरिक्त	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एपीएल	202320	104160	102000	48000	456480
2.	बीपीएल	427932	384505	57756	31231	901424
3.	अन्त्योदय अन्न योजना.	301944	35322	0	0	337266

प्रपत्र “ब”

वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत सरकार को प्रेषित खाद्य सन्सिडी दावा एवं प्राप्ति राशि का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.	दावा	अवधि	दावा पत्र क्र. व दिनांक	दावा राशि	भारत सरकार का राशि स्वीकृति पत्र दिनांक	प्राप्त राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अग्रिम	अप्रैल 11 से जून 11	89/23-04-11	408.04	91(6)/2011-FC. A/Cs dt. 02-06-2011	345.07
2.	प्रोविजनल	अप्रैल 11 से जून 11	534/21-07-11	57.27	191(5)/2011-FC. A/Cs dt. 25-08-2011	55.52
3.	अग्रिम	जुलाई 11 से सितम्बर 11	533/21-07-11	316.14	191(5)/2011-FC. A/Cs dt. 25-08-2011	313.67
4.	प्रोविजनल	जुलाई 11 से सितम्बर 11	993/17-10-11	32.52	191(5)/2011-FC. A/Cs dt. 28-11-2011	32.31
5.	अग्रिम	अक्टूबर 11 से दिसंबर 11	994/17-10-11	314.93	191(5)/2011-FC. A/Cs dt. 28-11-2011	310.56
6.	प्रोविजनल	अक्टूबर 11 से दिसंबर 11	1514/13-01-12	187.12	191(5)/2011-FC. A/Cs dt. 15-02-2012	118.53
7.	अग्रिम	जनवरी 12 से मार्च 12	1515/13-01-12	343.95	191(5)/2011-FC. A/Cs dt. 15-02-2012 191(5)/2011-FC. A/Cs dt. 21-03-2012	321.74
8.	प्रोविजनल	जनवरी 12 से मार्च 12	105/20-04-12	299.17	191(5)/2011-FC. A/Cs dt. 31-05-2012	253.80
योग				1959.14		1751.20

वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारत सरकार को प्रेषित खाद्य सन्सिडी दावा एवं प्राप्ति राशि का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.	दावा	अवधि	दावा पत्र क्र. व दिनांक	दावा राशि	भारत सरकार का राशि स्वीकृति पत्र दिनांक	प्राप्त राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अग्रिम	अप्रैल 12 से जून 12	106/20-04-12	441.80	191(3)/2012-FC. A/Cs dt. 01-06-12	398.59
2.	प्रोविजनल	अप्रैल 12 से जून 12	623/23-07-12	151.18	191(3)/2012-FC. A/Cs dt. 17-08-12	132.37
3.	अग्रिम	जुलाई 12 से सितम्बर 12	624/23-07-12	595.44	191(3)/2012-FC. A/Cs dt. 17-08-12	412.75
4.	प्रोविजनल	जुलाई 12 से सितम्बर 12	1068/18-10-12	238.93	191(3)/2012-FC. A/Cs dt. 12-11-12	212.06
5.	अग्रिम	अक्टूबर 12 से दिसंबर 12	1069/18-10-12	483.65	191(3)/2012-FC. A/Cs dt. 12-11-12	467.62
6.	प्रोविजनल	अक्टूबर 12 से दिसंबर 12	1509/14-01-13	206.13	-	-
7.	अग्रिम	जनवरी 12 से मार्च 12	1510/14-01-13	544.88	-	-
योग				2662.33		1623.39

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 752) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2011-12

क्र.	लीड संस्था का नाम	एजेसी का नाम	निविदा दिनांक	निविदाकारों की संख्या	न्यूनतम निविदाकार	स्वीकृत परिवहन दर (प्रति क्व. समस्त दूरियों के लिए)	
						शहरी	ग्रामीण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पिटियाझर	सह. केन्द्रीय बैंक मर्या.	03-05-2011	03	श्री अजमानी रोड लाईन्स	16.90	16.90
2.	भूकेल	- "-	03-05-2011	03	श्री मन्दू अग्रवाल	18.00	19.00
3.	सिरीपठरीमुडा	- "-	03-05-2011	04	श्री हरजीत सिंह बग्गा	15.55	15.55
4.	सरायपाली	- "-	03-05-2011	03	श्री दौलतराम अग्रवाल	18.00	19.00
5.	पेण्ड्रावन	- "-	03-05-2011	03	श्री संतलाल प्रधान	13.09	13.88
6.	पिथौरा	कौडिया सह. विपणन संस्था.	18-03-2011	03	श्री प्रितलाल सुर्ये	14.50	14.50

वर्ष 2012-13

क्र.	प्रदाय केन्द्र का नाम	एजेसी का नाम	निविदा दिनांक	निविदाकारों की संख्या	न्यूनतम निविदाकार	स्वीकृत परिवहन दर (प्रति टन समस्त दूरियों के लिए)	
						शहरी	ग्रामीण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	महासमुंद	छ. ग. स्टेट सि. स. कार्पो.	10-05-2012	03	मे. होरा ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. कंपनी रायपुर.	260.0	260.0
			07-09-2012	02	मे. महेन्द्र सिंह होरा रायपुर.	286.0	286.0
2.	बागबाहरा	- "-	10-05-2012	02	मे. सरबजीत सिंह होरा रायपुर.	265.0	265.0
3.	सरायपाली	- "-	10-05-2012	03	मे दौलतराम अग्रवाल सरायपाली.	208.00	208.00
4.	बसना	- "-	10-05-2012	04	मे. पवन कुमार अग्रवाल सरायपाली.	217.00	217.00
5.	विकासखण्ड पिथौरा के 44 उ. मु. दु. हेतु.	ग्रा. सेवा सह. स. पेन्द्रावन	03-05-2011	03	श्री संतलाल प्रधान	0	13.88 प्रतिक्वंटल
6.	विकासखण्ड पिथौरा के 54 उ. मु. दु. हेतु.	कौडिया सह. विपणन संस्था पिथौरा.	09-03-2012	02	श्री प्रितलाल सुर्ये	14.50 प्रतिक्वंटल	14.50 प्रतिक्वंटल

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क, 765) के भाग (क) की जानकारी]

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों में आपूर्ति की गई बारदानों की जानकारी

क	उपार्जन केन्द्र का नाम	दिनांक	प्रदाय किये गये बारदानों की संख्या (नग में)
1	खुर्सीटिकुल	27.10.12	5500
	खुर्सीटिकुल	06.11.12	16000
	खुर्सीटिकुल	24.11.12	5000
	खुर्सीटिकुल	26.11.12	5000
	खुर्सीटिकुल	30.11.12	2500
	खुर्सीटिकुल	06.12.12	16000
	खुर्सीटिकुल	11.12.12	5000
	खुर्सीटिकुल	12.12.12	5000
	खुर्सीटिकुल	14.12.12	7500
	खुर्सीटिकुल	17.12.12	7500
	खुर्सीटिकुल	19.12.12	5500
	खुर्सीटिकुल	21.12.12	10000
	खुर्सीटिकुल	24.12.12	16000
	खुर्सीटिकुल	08.01.13	2500
	खुर्सीटिकुल	08.01.13	2500
	खुर्सीटिकुल	09.01.13	5000
	खुर्सीटिकुल	10.01.13	7500
	खुर्सीटिकुल	11.01.13	5000
	खुर्सीटिकुल	15.01.13	7500
	खुर्सीटिकुल	20.01.13	10000
	खुर्सीटिकुल	23.01.13	6000
	खुर्सीटिकुल	28.01.13	5500
	खुर्सीटिकुल	29.01.13	5000
	खुर्सीटिकुल	30.01.13	5000
योग -			168000
2	खुर्सीपार (खु.)	27.10.2012	5500
	खुर्सीपार (खु.)	29.10.12	7500
	खुर्सीपार (खु.)	06.11.12	22500
	खुर्सीपार (खु.)	30.11.12	7500
	खुर्सीपार (खु.)	05.12.12	5000
	खुर्सीपार (खु.)	06.12.12	22500
	खुर्सीपार (खु.)	18.12.12	7500
	खुर्सीपार (खु.)	20.12.12	10000
	खुर्सीपार (खु.)	10.01.13	10000

क	उपार्जन केन्द्र का नाम	दिनांक	प्रदाय किये गये बारदानों की संख्या (नग में)
	खुर्सीपार (खु.)	12.01.13	5000
	खुर्सीपार (खु.)	14.01.13	6000
	खुर्सीपार (खु.)	14.01.13	10000
	खुर्सीपार (खु.)	20.01.13	10000
	खुर्सीपार (खु.)	23.01.13	2000
	खुर्सीपार (खु.)	23.01.13	8000
योग -			139000
3	खुज्जी	27.10.12	5500
	खुज्जी	29.10.12	10000
	खुज्जी	06.11.12	22500
	खुज्जी	28.11.12	5000
	खुज्जी	30.11.12	5000
	खुज्जी	05.12.12	5000
	खुज्जी	08.12.12	16000
	खुज्जी	13.12.12	5000
	खुज्जी	18.12.12	5000
	खुज्जी	26.12.12	7500
	खुज्जी	27.12.12	4000
	खुज्जी	29.12.12	5000
	खुज्जी	07.01.13	2500
	खुज्जी	07.01.13	2500
	खुज्जी	08.01.13	1080
	खुज्जी	11.01.13	5000
	खुज्जी	15.01.13	7500
	खुज्जी	15.01.13	2500
	खुज्जी	19.01.13	10000
	खुज्जी	24.01.13	3000
योग -			129580
4	बम्हनी चारभाठा	20.10.12	5000
	बम्हनी चारभाठा	29.10.12	5000
	बम्हनी चारभाठा	07.11.12	16000
	बम्हनी चारभाठा	30.11.12	10000
	बम्हनी चारभाठा	06.12.12	10000
	बम्हनी चारभाठा	08.12.12	16000
	बम्हनी चारभाठा	20.12.12	10000
	बम्हनी चारभाठा	13.01.13	5000
	बम्हनी चारभाठा	19.01.13	10000
	बम्हनी चारभाठा	03.02.13	20000
योग -			107000

क	उपार्जन केन्द्र का नाम	दिनांक	प्रदाय किये गये बारदानों की संख्या (नग में)
5	कुमरदा	30.10.12	2500
	कुमरदा	27.10.12	5500
	कुमरदा	06.11.12	16000
	कुमरदा	27.11.12	5000
	कुमरदा	06.12.12	16000
	कुमरदा	11.12.12	5000
	कुमरदा	19.12.12	2000
	कुमरदा	24.12.12	16000
	कुमरदा	07.01.13	4000
	कुमरदा	11.01.13	5000
	कुमरदा	14.01.13	7500
	कुमरदा	17.01.13	7500
	कुमरदा	19.01.13	7500
	कुमरदा	23.01.13	4000
	कुमरदा	28.01.13	5000
	कुमरदा	29.01.13	5000
	कुमरदा	30.01.13	3000
	योग -		
6	कुहीकला	20.10.12	5000
	कुहीकला	29.10.12	4000
	कुहीकला	08.11.12	16000
	कुहीकला	30.11.12	15000
	कुहीकला	06.12.12	7500
	कुहीकला	08.12.12	16000
	कुहीकला	20.12.12	10000
	कुहीकला	24.12.12	16000
	कुहीकला	15.01.13	10000
	कुहीकला	19.01.13	10000
योग -			109500
7	कल्लुबंजारी	20.10.12	5000
	कल्लुबंजारी	29.10.12	4000
	कल्लुबंजारी	08.11.12	16000
	कल्लुबंजारी	30.11.12	15000
	कल्लुबंजारी	06.12.12	10000
	कल्लुबंजारी	06.12.12	16000
	कल्लुबंजारी	25.12.12	16000
	कल्लुबंजारी	13.01.13	5000
	कल्लुबंजारी	19.01.13	5000
योग -			92000

क	उपार्जन केन्द्र का नाम	दिनांक	प्रदाय किये गये बारदानों की संख्या (नग में)
8	मटिया	27.10.12	5000
	मटिया	06.11.12	16000
	मटिया	31.12.12	2500
	मटिया	07.01.13	2000
	मटिया	07.01.13	3000
	मटिया	12.01.13	5000
	मटिया	20.01.13	5000
	मटिया	23.01.13	3000
योग -			41500
9	महराजपुर	22.10.12	5000
	महराजपुर	27.10.12	5000
	महराजपुर	06.11.12	16000
	महराजपुर	27.11.12	5000
	महराजपुर	05.12.12	10000
	महराजपुर	07.12.12	16000
	महराजपुर	19.12.12	5000
	महराजपुर	24.12.12	16000
	महराजपुर	14.01.13	6000
	महराजपुर	21.01.13	8000
	महराजपुर	25.01.13	10000
	महराजपुर	04.02.13	6500
योग -			108500
10	शिकारीमहका	20.10.12	5000
	शिकारीमहका	29.10.12	5000
	शिकारीमहका	07.11.12	16000
	शिकारीमहका	23.11.12	5000
	शिकारीमहका	30.11.12	20000
	शिकारीमहका	06.12.12	16000
	शिकारीमहका	14.12.12	5000
	शिकारीमहका	19.12.12	5000
	शिकारीमहका	25.12.12	16000
	शिकारीमहका	01.01.13	10000
	शिकारीमहका	13.01.13	5000
	शिकारीमहका	15.01.13	7500
	शिकारीमहका	17.01.13	7500
	शिकारीमहका	20.01.13	10000
	शिकारीमहका	21.01.13	12500
	शिकारीमहका	04.02.13	8000
	शिकारीमहका	04.02.13	8000

क	उपार्जन केन्द्र का नाम	दिनांक	प्रदाय किये गये बारदानों की संख्या (नग में)
योग -			161500
11	गिदरी	27.10.12	5500
	गिदरी	06.11.12	16000
	गिदरी	14.12.12	4500
	गिदरी	07.01.13	3000
	गिदरी	07.01.13	2000
	गिदरी	12.01.13	5000
	गिदरी	20.01.13	5000
योग -			41000
12	रतनभाट	27.10.12	5000
	रतनभाट	29.10.12	7500
	रतनभाट	07.11.12	16000
	रतनभाट	05.12.12	5000
	रतनभाट	07.12.12	16000
	रतनभाट	18.12.12	5000
	रतनभाट	20.12.12	5000
	रतनभाट	24.12.12	16000
	रतनभाट	04.01.13	1500
	रतनभाट	07.01.13	3000
	रतनभाट	11.01.13	5000
	रतनभाट	12.01.13	5000
	रतनभाट	19.01.13	5000
योग -			95000
13	उमरवाही	27.10.12	5500
	उमरवाही	07.11.12	16000
	उमरवाही	06.12.12	16000
	उमरवाही	07.01.13	3000
	उमरवाही	07.01.13	2000
	उमरवाही	12.01.13	5000
	उमरवाही	20.01.13	7500
	उमरवाही	24.01.13	3000
	उमरवाही	30.01.13	3000
योग -			61000
14	छुरिया	22.10.12	10000
	छुरिया	30.10.12	5000
	छुरिया	06.11.12	22500
	छुरिया	26.11.12	2000
	छुरिया	30.11.12	10000
	छुरिया	06.12.12	22500

क	उपार्जन केन्द्र का नाम	दिनांक	प्रदाय किये गये बारदानों की संख्या (नग में)
	छुरिया	15.12.12	10000
	छुरिया	27.12.12	7500
	छुरिया	13.01.13	5000
	छुरिया	15.01.13	7500
	छुरिया	19.01.13	10000
योग -			112000
15	जोशीलमती	20.10.12	5000
	जोशीलमती	29.10.12	4000
	जोशीलमती	08.11.12	16000
	जोशीलमती	30.11.12	5000
	जोशीलमती	06.12.12	7500
	जोशीलमती	07.12.12	16000
	जोशीलमती	20.12.12	10000
	जोशीलमती	21.12.12	10000
	जोशीलमती	24.12.12	16000
	जोशीलमती	13.01.13	5000
	जोशीलमती	19.01.13	5000
योग -			99500
16	गैदाटोला	20.10.12	5000
	गैदाटोला	29.10.12	4000
	गैदाटोला	08.11.12	16000
	गैदाटोला	06.12.12	10000
	गैदाटोला	07.12.12	16000
	गैदाटोला	01.01.13	10000
	गैदाटोला	13.01.13	5000
	गैदाटोला	19.01.13	5000
योग -			71000
17	पांगरीखुर्द	30.10.12	2500
	पांगरीखुर्द	06.11.12	16000
	पांगरीखुर्द	08.12.12	16000
	पांगरीखुर्द	27.12.12	6000
	पांगरीखुर्द	07.01.13	3000
	पांगरीखुर्द	07.01.13	2000
	पांगरीखुर्द	11.01.13	2500
	पांगरीखुर्द	20.01.13	5000
योग -			53000
	गहिरामेडी	20.10.12	5000
	गहिरामेडी	29.10.12	4000
	गहिरामेडी	08.11.12	16000

क	उपार्जन केन्द्र का नाम	दिनांक	प्रदाय किये गये बारदानों की संख्या (नग में)
18	गहिराभेडी	06.12.12	10000
	गहिराभेडी	08.12.12	16000
	गहिराभेडी	13.01.13	5000
	गहिराभेडी	19.01.13	10000
योग -			66000
19	साल्हेटोला	20.10.12	5000
	साल्हेटोला	29.10.12	4000
	साल्हेटोला	08.11.12	16000
	साल्हेटोला	25.12.12	16000
	साल्हेटोला	13.01.13	5000
	साल्हेटोला	19.01.13	5000
योग -			51000
20	सड़क चिरचारी	20.10.12	5000
	सड़क चिरचारी	30.10.12	5000
	सड़क चिरचारी	07.11.12	16000
	सड़क चिरचारी	04.12.12	5000
	सड़क चिरचारी	11.12.12	15000
	सड़क चिरचारी	13.01.13	5000
	सड़क चिरचारी	21.01.13	6000
योग -			57000
21	खोभा	20.10.12	5000
	खोभा	30.10.12	5000
	खोभा	07.11.12	16000
	खोभा	04.12.12	5000
	खोभा	07.12.12	16000
	खोभा	24.12.12	16000
	खोभा	13.01.13	5000
	खोभा	20.01.13	10000
योग -			78000
22	गोड़लवाही	29.10.12	7500
	गोड़लवाही	31.12.12	2500
	गोड़लवाही	07.01.13	3000
	गोड़लवाही	07.01.13	3000
	गोड़लवाही	12.01.13	5000
	गोड़लवाही	17.01.13	2500
	गोड़लवाही	20.01.13	5000
	गोड़लवाही	23.01.13	3000
			31500

परिशिष्ट “सत्रह”
[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 771) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	उत्पाद (2)	संख्या (3)
1.	एग्रो केमिकल	1
2.	बर्तन निर्माण	2
3.	एल्युनियम के बर्तन निर्माण	3
4.	रूई निर्माण	1
5.	रजाई गद्दा निर्माण	2
6.	फलाई एश ब्रिक्स	44
7.	फ्लोर मिल	2
8.	हालर आटा चक्की	14
9.	फ्लेक्स प्रिंटिंग	1
10.	इंजीनियरिंग वर्कशाप	5
11.	इलेक्ट्रानिक्स चिमनी निर्माण	1
12.	ईट निर्माण	40
13.	बढ़ई गिरी	1
14.	बुटिक प्रिंटिंग	1
15.	बेकरी	6
16.	कपड़ा सिलाई	2
17.	कापी एवं रजिस्ट्रार निर्माण	3
18.	कोसा कपड़ा निर्माण	7
19.	हैण्ड लूम से कपड़ा निर्माण	1
20.	कपड़ा बुनाई	1
21.	मशरूम उत्पादन	1
22.	मसाला निर्माण	7
23.	मुसुरा निर्माण	1
24.	मिट्टी के बर्तन	2
25.	मिनी राइस मिल	2
26.	रिचार्जेबल टार्च निर्माण	1
27.	ड्रिंकिंग वाटर	1
28.	डिटर्जेंट पावडर निर्माण	5
29.	हीटर एवं बोर्ड निर्माण	1
30.	राइस मिल	5
31.	बड़ी, पापड़ निर्माण	3
32.	अचार बड़ी पापड़ निर्माण	1
33.	पावर लूम	4

(1)	(2)	(3)
34.	पशु आहर मुर्गी दाना निर्माण	2
35.	पेटी कोट निर्माण	1
36.	रेडिमेड गारमेण्ट	58
37.	सीमेण्ट जाली निर्माण	2
38.	सीमेण्ट प्रोडक्ट	2
39.	साबुन निर्माण	1
40.	वाशिंग पावडर निर्माण	2
41.	स्टील फर्नीचर निर्माण	7
42.	स्टील ट्रंक निर्माण	2
43.	स्टोन क्रशर	14
44.	डेयरी प्रोडक्ट	1
45.	दोना पत्तल निर्माण	7
46.	वेल्लिंग वर्कशाप	5
47.	चूना भट्ठा	1
48.	फायर ब्रिक्स	1
49.	फेब्रीकेशन	30
50.	फर्नीचर निर्माण	63
51.	नमकीन सेव, मिक्चर निर्माण	3
52.	ट्रेक्टर ट्राली निर्माण	3
53.	आयल मिल	1
54.	टाईल्स निर्माण	1
55.	आभूषण निर्माण	10
56.	आफसेट प्रिंटिंग	2
57.	आलमारी कूलर निर्माण	3
58.	अगरबत्ती निर्माण	6
योग :-		400

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "अट्टारह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क. 55) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में संचालित स्टील/स्पंज आयरन संयंत्रों, विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा उसना राईस मिलों से उत्पन्न ठोस अपशिष्टों यथा राख/डस्ट का समुचित प्रबंधन/अपवहन किया जाकर वृक्षारोपण कार्य संबंधी जानकारी

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	कार्यवाही का विवरण
1.	मे. सेलेनो स्टील्स लिमिटेड, ग्राम - तराईमाल, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
2.	मे. श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम - तराईमाल, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
3.	मे. रकेनिया स्टील एण्ड पॉवर्स लिमिटेड, ग्राम - पूंजीपथरा, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
4.	मे. शिवशक्ति स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम - चकधरपुर, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
5.	मे. बी. एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम तराईमाल, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
6.	मे. मॉ शाकम्बरी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम - सम्बलपुरी, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
7.	मे. रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
8.	मे. श्री अम्बिका इस्पात (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
9.	मे. रायगढ़ ऑयरन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम - पूंजीपथरा, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
10.	मे. मॉ काली एलायज प्रा. लि. ग्राम पाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
11.	मे. मॉ मंगला इस्पात लि. ग्राम नटवरपुर, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
12.	मे. मेको स्टील एण्ड पॉवर लि. ग्राम - सराईपाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
13.	मे. एन. आर. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड ग्राम - गौरमुड़ी, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण में किया गया है।
14.	मे. सिंघल इनर्जी लिमिटेड ग्राम तराईमाल, जिला - रायगढ़	उत्पन्न डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।

15.	मे. जिंदल पॉवर लि. ग्राम - तमनार, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, सीमेंट संयंत्रों को सीमेंट उत्पादन हेतु, भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण करने, निष्क्रिय खदानों में भराव में किया गया है। शेष राख का निपटान राखड़ बांध में किया गया है।
16.	मे. रुकमणी पॉवर एण्ड स्टील लि. ग्राम - कुनकुनी, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण करने में किया गया है।
17.	मे. आर. आर. इनर्जी. लि. ग्राम - गढ़उमरिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख का उपयोग फ्लाई एष ब्रिक्स/ब्लॉक्स निर्माण तथा भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
18.	मे. इण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - मौहापाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
19.	मे. महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम - भेंगारी, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख का उपयोग फ्लाई एष ब्रिक्स निर्माण तथा भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
20.	मेसर्स डोंगामहूआ क्रेप्टिव पॉवर प्लांट (मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड) ग्राम - डोंगामौहा, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख का उपयोग निष्क्रिय खदानों में भराव में किया गया है।
21.	मे. जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - पतरापाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, सीमेंट संयंत्रों को सीमेंट उत्पादन हेतु/भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाने, निष्क्रिय खदानों में भराव, एश ड्राईक रेजिंग आदि में किया गया है। शेष राख का निपटान राखड़ बांध में किया गया है।
22.	मे. नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - तराईमाल, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण करने में किया गया है।
23.	मे. सिंघल इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - तराईमाल, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
24.	मेसर्स रामेश्वरम् स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - बड़ेगुमडा, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
25.	मे. एम. एस. पी. स्पंज आयरन लिमिटेड, ग्राम - मनुआपाली जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
26.	मे. एम. एस. पी. स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - जामगांव, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
27.	मे. सालासार स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - गेरवानी, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।

28.	मे. अंजनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम - उज्जवलपुर, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
29.	मे. नवदुर्गा फ्यूूल प्राइवेट लिमिटेड ग्राम - सराईपाली, जिला रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी की परत बिछाई गई है।
30.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लि. ग्राम नहरपाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख/डस्ट का उपयोग विभिन्न लाभकारी कार्यों यथा ईट/ब्लॉक निर्माण, भू-भरण करने के पश्चात् मिट्टी से ढककर वृक्षारोपण करने में किया गया है।
31.	मे. सावित्री राईस मिल, ग्राम - सहदेवपाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
32.	मे. शिव ट्रेडिंग कंपनी ग्राम - छातामुड़ा, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
33.	मे. बसंती राईस मिल ग्राम - डभरा रोड, खरसिया, जिला रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
34.	मे. दुर्गा राईस मिल ग्राम - सांगीतराई, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
35.	मे. हनुमान ट्रेडर्स ग्राम - लैलूंगा, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
36.	मे. शोभा राईस मिल प्रा. लि. ग्राम - भेलवाडिह, तह. खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
37.	मे. जय भारत राईस मिल पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे, खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
38.	मे. अनुराग ट्रेडर्स ग्राम - कौंडातराई, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
39.	मे. मुसद्दीलाल मंशाराम राईस मिल ग्राम - ठूसेकेला, तह. खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
40.	मे. रायगढ़ फूड्स एण्ड होटल बिजनेस प्रा. लि. ग्राम - सुकुलभठली, पुसौर, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
41.	मे. सूर्या राईस मिल प्रा. लि. ग्राम - सहदेवपाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
42.	मे. गौरीशंकर राईस मिल ग्राम - अंजोरीपाली, खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।

43.	मे. माँ. समलेश्वरी राईस मिल, ग्राम रानीसागर, तह. खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
44.	मे. कबीर परबॉयलिंग यूनिट ग्राम - नवापारा, तह. खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
45.	मे. सुमित्रा राईस मिल ग्राम - महुआपाली, तह. खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
46.	मे. शंकर ट्रेडिंग कंपनी ग्राम - सांगीतराई, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
47.	मे. मनीष ट्रेडर्स ग्राम - लैलूंगा, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
48.	मे. प्रिया पेड्डी प्रोसेसिंग ग्राम - नवापारा, तह. खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
49.	मे. छत्तीसगढ़ ट्रेड लिंक्स खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
50.	मे. भगवती पेड्डी प्रोसेसिंग ग्राम - मेडरमार, तह. धर्मजयगढ़, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
51.	मे. गायत्री परबायलिंग यूनिट ग्राम - सरीया, तह. सारंगढ़, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
52.	मे. जय भारत पेड्डी प्रोसेसिंग ग्राम - भेलवाडीह, तह. खरसिया, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
53.	मे. उमा परबायलिंग यूनिट ग्राम - सहदेवपाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
54.	मे. लक्ष्मी परबायलिंग ग्राम - कोंडातराई, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
55.	मे. माँ भगवती एग्रो फूड प्रोसेसिंग ग्राम - तडोला, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।
56.	मे. सिंदी विनायक परबायलिंग यूनिट ग्राम - सहदेवपाली, जिला - रायगढ़	उत्पन्न राख को उद्योग परिसर के अन्दर एकत्र कर आसपास के कृषकों को मांग अनुसार प्रदाय किया जाता है।

परिशिष्ट "उन्नीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 155) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जांजगीर चांपा जिले में संचालित पेट्रोल/डीजल पम्प की जानकारी

क्र	विकासखण्ड का नाम	पेट्रोल / डीजल पंप का नाम	स्थान जहां पंप स्थापित है
1	नवागढ़	मेसर्स मां बन्लेश्वरी सर्विस सेंटर	जांजगीर
2		मेसर्स श्याम फ्यूल्स	शिवरीनारायण
3		मेसर्स मदन लाल अग्रवाल	जांजगीर
4		मेसर्स बजाज पेट्रोलियम	पे-ड्री
5		मेसर्स गिन्नी फ्यूल्स	जांजगीर
6		मेसर्स शारदा सर्विस सेंटर	सेमरा
7		पारितोष सर्विस सेंटर	शिवरीनारायण
8	अकलतरा	मेसर्स शर्मा सर्विस स्टेशन	अकलतरा
9		मेसर्स कोलमेन	अमरताल
10		मेसर्स सिंघानिया पेट्रोल पम्प	अकलतरा
11		मेसर्स श्यामबाबा किसान सेवा केंद्र	खटोला
12		मेसर्स महावीर पेट्रोल पम्प	तरौद
13		वृन्दावन किसान सेवा केंद्र	नरियरा
14		श्री सगुनपुष्कर फ्यूल्स	नरियरा
15	बलौदा	मेसर्स मामचंद शिवकुमार अग्रवाल	लछनपुर
16		मेसर्स नारायण प्रसाद अग्रवाल	शिवनी
17		मेसर्स तिरुपति फ्यूल्स	शिवनी
18		मेसर्स लक्की बाबा फ्यूल्स	झरंडीह
19		मेसर्स भवानी फ्यूल्स	बलौदा
20		मेसर्स मंजू किसान सेवा केंद्र	बलौदा
21	पामगढ़	मेसर्स आशीवाद सर्विस सेंटर	मुलमुला
22		मेसर्स पकज पेट्रोलियम	घेउडीह
23	बम्हनीडीह	मेसर्स तपसी भाबा पेट्रोल पंप	चांपा

क्र	विकासखण्ड का नाम	पेट्रोल / डीजल पंप का नाम	स्थान जहाँ पंप स्थापित है
24		मेसर्स तपसीबाबा- सर्विस स्टेशन	घटौली
25		मेसर्स प्रवीण कुमार अग्रवाल	कुरदा(घांघा)
26	सक्ती	मेसर्स भारतीय सर्विस स्टेशन	बाराद्वार
27		मेसर्स विष्णु सर्विस सेंटर	सक्ती
28		मेसर्स विष्णु सर्विस सेंटर	मसनिया
29		श्री कृष्णा किसान सेवा केन्द्र	सौंठी
30		श्री राधारमन किसान सेवा केन्द्र	कंधनपुर
31		मेसर्स पटेल फ्यूल्स	सकरेलीखुर्द
32	जैजैपुर	मेसर्स छत्तीरागढ पेट्रोल पंप	जैजैपुर.
33		मेसर्स भारत किसान सेवा केन्द्र	हसौद
34	मालखरीदा	मां दुर्गा सर्विस सेंटर	छपोरा
35		मेसर्स यशराज फ्यूल्स	पोता
36		मेसर्स आर.सी.0 शर्मा फ्यूल्स किसान सेवा केन्द्र	भदरीचौक(फगुरम)
37		मे0 शिव गौटियाजी फ्यूल्स	पोता
38	डभरा	मेसर्स बालाजी फिलिंग स्टेशन	चन्द्रपुर
39		मेसर्स राधाबल्लभ सर्विस स्टेशन	डभरा
40		मेसर्स चंद्रहासिन फ्यूल्स	डभरा
41		मंगलम पेट्रोलियम	डभरा
42		मेसर्स चंद्रपुर फिलिंग स्टेशन	बरहागुडा(चंद्रपुर)

परिशिष्ट “बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 175) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले के उपभोक्ता फोरम में प्राप्त शिकायतों की जानकारी

वर्ष 2011

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	प्राप्त शिकायतों की संख्या (3)	निराकृत प्रकरणों की संख्या (4)	लंबित प्रकरणों की संख्या (5)
1.	रायगढ़	39	2	37
2.	खरसिया	8	0	8
3.	घरघोड़ा	4	0	4
4.	तमनार	7	0	7
5.	पुसौर	5	0	5
6.	लैलूंगा	2	1	1
7.	बरमकेला	7	0	7
8.	सारंगढ़	7	2	5
9.	धरमजयगढ़	4	1	3
योग		83	6	77

वर्ष 2012

1.	रायगढ़	101	97	4
2.	खरसिया	16	21	0
3.	घरघोड़ा	3	7	0
4.	तमनार	10	13	0
5.	पुसौर	3	6	0
6.	लैलूंगा	1	2	0
7.	बरमकेला	6	11	0
8.	सारंगढ़	10	11	0
9.	धरमजयगढ़	9	7	0
योग		159	175	4

परिशिष्ट "इक्कीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 296) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	केसरिया(35)	स्लेटी (35 किलो)	बी.पी.एल (पीला)	अंत्योदय (लाल)	केसरिया (10 किलो)	अन्नपूर्णा (बैंगनी)	निःशक्तज न(हरा)	ए.पी.एल. सफेद कार्ड	कुल राशन कार्ड
1	रायपुर	68897	43408	41220	32636	5794	1160	1849	126974	321938
2	बलौदाबाजार	32015	53146	43234	23279	8597	968	1567	87747	250553
3	गरियाबंद	9217	32105	24997	21781	2675	526	568	26003	117872
4	धमतरी	21935	28885	20075	25164	1655	660	2095	63558	164027
5	महासमुंद	24564	55811	38837	31548	4782	965	1598	104971	263076
6	दुर्ग	72857	35513	42905	35544	12299	924	2242	144952	347236
7	बालोद	21507	24961	16254	25382	4485	689	1315	68555	163148
8	बेमेतरा	24494	13812	23540	25083	10609	1163	1223	82283	182207
9	राजनांदगांव	33507	50569	44026	46641	6502	1110	3364	187357	373076
10	कवर्धा	17991	30314	31307	35822	5806	348	1299	57313	180200
11	बिलासपुर	57389	94072	46290	74768	16964	1126	1249	134501	426359
12	मुंगेली	17813	29260	23944	30393	3157	579	815	49048	155009
13	जांजगीर	45728	67774	47465	38562	7343	843	4245	105781	317741
14	कोरबा	25879	65020	22339	38148	2262	795	1526	66761	222730
15	रायगढ़	30115	77522	34216	77019	8214	1456	2780	113842	345164
16	सरगुजा	13077	51352	12905	45046	10879	1684	583	43963	179489
17	सुरजपुर	15430	40849	17971	29875	8334	775	478	41634	155346
18	बलरामपुर	9196	44879	11678	39264	5262	947	595	41551	153372
19	कोरिया	11814	32410	12445	27849	5768	784	880	24364	116314
20	जशपुर	8195	42828	12456	38355	3541	428	286	84110	190199
21	बस्तर	12452	64625	13364	46822	3284	743	436	32874	174600
22	कोंडागांव	4735	44093	7140	30371	2464	435	533	19913	109684
23	नारायणपुर	1069	7680	989	15298	578	456	5	6548	32623
24	कांकेर	10870	41664	17947	28343	4061	413	803	57773	161874
25	दन्तेवाड़ा	2821	23727	2727	22904	1919	417	163	14232	68910
26	सुकमा	1312	27857	1862	29921	3085	292	498	997	65824
27	बीजापुर	1202	26171	1669	26163	3154	1408	627	4075	64469
	कुल योग	596081	1150307	613802	941981	153473	22094	33622	1791680	5303040

प्रपत्र "ब"

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित राशनकार्डधारी परिवारों की जिलेवार जानकारी

क्रमांक (1)	जिला (2)	योग (3)
1.	रायपुर	193804
2.	बलौदाबाजार	161838
3.	गरियाबंद	91343
4.	धमतरी	99809
5.	महासमुंद	157140
6.	दुर्ग	201360
7.	बालोद	93904
8.	बेमेतरा	98761
9.	राजनांदगांव	184609
10.	कवर्धा	122539
11.	बिलासपुर	290732
12.	मुंगेली	105382
13.	जांजगीर	211117
14.	कोरबा	155174
15.	रायगढ़	229866
16.	सरगुजा	133842
17.	सुरजपूर	112937
18.	बलरामपुर	110874
19.	कोरिया	91166
20.	जशपुर	105661
21.	बस्तर	140983
22.	कोंडागांव	89336
23.	नारायणपुर	25619
24.	कांकेर	103688
25.	दन्तेवाड़ा	54261
26.	सुकमा	64535
27.	बीजापुर	58986
कुल योग		3489266

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 313) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	जिला	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जांजगीर-चांपा	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	01
2.	महासमुन्द	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	01
3.	बालोद	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	03
4.	बिलासपुर	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	02
5.	रायगढ़	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	04
6.	रायपुर	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	03
7.	धमतरी	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	01
8.	गरियाबन्द	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	07
9.	बलोदाबाजार	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	01
10.	राजनांदगांव	हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	05
11.	बिलासपुर	मलबरी नर्सरी तैयार करना पौध रोपण एवं संधारण	01
12.	बिलासपुर	कृमिपालन भवन का निरोगीकरण एवं मलबरी चॉकी कृमिपालन की नवीनतम तकनीकी.	01
13.	बिलासपुर	निरोगीकरण टसर चॉकी कृमिपालन की नवीनतम तकनीकी	01
14.	रायगढ़	रेशम हितग्राहियों/कृषकों में तकनीकी एवं संस्थागत गतिशीलन	01
15.	कोरबा	जागरूकता, टसर, कृमिपालन, खाद्य पौधों का रख रखाव एवं पौधों में होने वाली बिमारियां	01
16.	जांजगीर-चांपा		01
17.	बिलासपुर		01
18.	कोरबा	रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण	01
19.	दुर्ग	कम्प्यूटर हार्डवेयर	01
20.	बालोद	आटो रिपेयरिंग	01
21.	बेमेतरा	विद्युत मरम्मत	01
22.	राजनांदगांव	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग	01
23.	कबीरधाम	बांस कला	01
24.	जांजगीर-चांपा	सिलार्ड-कढ़ाई	01
25.	कोरबा	सिलार्ड-कढ़ाई	01
26.	रायगढ़	मोटर वाइडिंग	01
27.	दंतेवाड़ा	काष्ठ शिल्प	01
28.	धमतरी	सिलार्ड कढ़ाई	01
29.	मुंगेली	सिलार्ड कढ़ाई	01
30.	बिलासपुर	सिलार्ड कढ़ाई	01
31.	सरगुजा	सिलार्ड कढ़ाई	01
32.	सूरजपुर	सिलार्ड कढ़ाई	01
33.	बलरामपुर	सिलार्ड कढ़ाई	01
34.	कोरिया	सिलार्ड कढ़ाई	01
35.	मुंगेली	विद्युत मरम्मत	01
36.	मुंगेली	बांस, काष्ठ, टेराकोटा हस्तशिल्प प्रशिक्षण	03
37.	कोरबा	बांस, काष्ठ हस्तशिल्प प्रशिक्षण	02
38.	अम्बिकापुर	बांस-2, गोदना-2, भिक्ती चित्र-1 हस्तशिल्प प्रशिक्षण	05
39.	बलरामपुर	सीसल हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
40.	जशपुर	बांस, काष्ठ, गोदना, हस्तशिल्प प्रशिक्षण	03
41.	सूरजपुर	टेराकोटा हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01

(1)	(2)	(3)	(4)
42.	कवर्धा	बांस, टेराकोटा, गोदना हस्तशिल्प प्रशिक्षण	03
43.	दुर्ग	टेराकोटा हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
44.	बालोद	टेराकोटा हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
45.	बेमेतरा	टेराकोटा हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
46.	रायगढ़	बेलमेटल, लाख हस्तशिल्प प्रशिक्षण	02
47.	जांजगीर-चांपा	गोदना-2, पैरा-1, हस्तशिल्प प्रशिक्षण	03
48.	धमतरी	टेराकोटा, गोदना हस्तशिल्प प्रशिक्षण	02
49.	महासमुन्द्र	बेलमेटल हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
50.	रायपुर	गोदना हस्तशिल्प प्रशिक्षण	03
51.	कोंडागांव	नारियल हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
52.	नारायणपुर	तुम्बा हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
53.	बीजापुर	बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
54.	दन्तेवाड़ा	काष्ठ हस्तशिल्प प्रशिक्षण	01
55.	जगदलपुर	बांस, काष्ठ, टेराकोटा, गोदना हस्तशिल्प प्रशिक्षण	04
योग			93

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या 12 (क.339) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को नया रायपुर सेक्टर-27 में आवासीय परिसर विकसित एवं निर्माण करने की अनुमति की शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण

- (i) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को नयी राजधानी के प्रथम आवासीय कालोनी विकसित एवं निर्मित किये जाने के लिए किये गये समझौता ज्ञापन के तहत 62.25 हेक्टेयर भूमि का आबंटन रु. 20.16 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से किया गया है।
- (ii) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित कुल आवास/फ्लैट में से 50 प्रतिशत राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विभिन्न निगमों एवं मण्डलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जायेगा जिसमें मंत्रालय एवं विभाग प्रमुख कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रथमिकता दी जायेगी। इसमें से 30 आवास/फ्लैट एनआरडीए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आरक्षित किये जायेंगे। 300 आवास/फ्लैट केन्द्र शासन, विभिन्न बैंक एवं इंड्योरेन्स कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
- (iii) विभिन्न श्रेणियों के आवास/फ्लैट में से 5 प्रतिशत परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये जायेंगे।
- (iv) शेष आवास/फ्लैट का आबंटन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा अपने नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (v) सेक्टर लेवल पर जलप्रदाय, सिवरेज, 33 के.व्ही.ए. विद्युत लाईन एवं सब स्टेशन एनआरडीए द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सेक्टर के भीतर सभी विकास कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- (vi) आवास/फ्लैट के आबंटितियों को एनआरडीए द्वारा भूमि की लीज प्रदान की जायेगी। लीज रेंट भूमि प्रीमियम का 2 प्रतिशत होगा जो हितग्राही द्वारा वहन किया जायेगा परंतु उसकी वसूली छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा की जायेगी तथा राशि एनआरडीए को दी जायेगी।
- (vii) परियोजना पूर्ण होने /संधारण के लिए समिति गठित होने के 3 वर्ष की अवधि तक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी का संधारण किया जायेगा। यदि ऐसी समिति का गठन नहीं तो 3 वर्ष की अवधि के बाद कालोनी एनआरडीए को हस्तांतरित की जायेगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को नया रायपुर सेक्टर-29 में आवासीय परिसर विकसित एवं निर्माण करने की अनुमति की शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण

- (i) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को नयी राजधानी के द्वितीय आवासीय कालोनी विकसित एवं निर्मित किये जाने के लिए 58.54 हेक्टेयर भूमि का आबंटन रू. 90.50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से किया गया है।
- (ii) आवास/फ्लैट का आबंटन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा अपने नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (v) सेक्टर लेवल पर जलप्रदाय, सिवरेज, 33 को.व्ही.ए. विद्युत लाईन एवं सब स्टेशन एनआरडीए द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सेक्टर के भीतर सभी विकास कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- (vi) आवास/फ्लैट के आबंटितियों को एनआरडीए द्वारा भूमि की लीज प्रदान की जायेगी। लीज रेंट भूमि प्रीमियम का 2 प्रतिशत होगा

1 – नया रायपुर सेक्टर 30 में भू-खण्ड क्रमांक— डी 7, जी.टी. होम्स, रायपुर को आवासीय परिसर विकसित एवं निर्माण करने की अनुमति की प्रमुख शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) नया रायपुर सेक्टर-30 में प्लॉट नंबर 30 – डी 7 में फ्लैट निर्माण के लिए मेसर्स जी.टी. होम्स, रायपुर, को डेव्हलपमेंट लाइसेंस पर अनुमति दी गई है। भू-खण्ड का क्षेत्रफल 23,735 वर्गमीटर है।
- (2) डेव्हलपर का चयन खुली निविदा के माध्यम से उच्चतम टेण्डर के आधार पर किया गया है। भूमि प्रीमियम की दर रू. 4435/- प्रति वर्गमीटर है।
- (3) डेव्हलपर द्वारा डिजाईन तैयार कर परिसर में अधोसंरचनाओं का विकास और फ्लैट का निर्माण स्वयं की निधि से किया जायेगा एवं विक्रय किया जायेगा। लाइसेंस की अवधि नौ वर्ष है।
- (4) डेव्हलपर द्वारा 5 वार्षिक किस्तों में भूमि प्रीमियम की राशि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को दी जायेगी।
- (5) प्लॉट के बाउण्ड्री तक जलप्रदाय, सिवरेज, 33 के.व्ही.ए. विद्युत लाईन एवं सब स्टेशन एनआरडीए द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्लॉट के भीतर सभी विकास कार्य डेव्हलपर द्वारा किया जायेगा।
- (6) फ्लैट के आबंटितियों को एनआरडीए द्वारा भूमि की लीज प्रदान की जायेगी। लीज रेंट भूमि प्रीमियम का 2 प्रतिशत होगा।
- (7) लीज की अवधि प्रथमतः तीस वर्ष है जिसे नियमानुसार दो समान अवधि के लिए नवीनीकृत किये जाने का प्रावधान है।

2 – नया रायपुर सेक्टर-30 में भू-खण्ड क्रमांक – बी 4, मेसर्स अविनाश बिल्डर्स, रायपुर को आवासीय परिसर विकसित एवं निर्माण करने की अनुमति की प्रमुख शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) नया रायपुर सेक्टर-30 में प्लॉट नंबर 30 – बी 4 में स्वतंत्र आवास एवं फ्लैट निर्माण के लिए मेसर्स अविनाश बिल्डर्स, रायपुर को डेव्हलपमेंट लाइसेंस पर अनुमति दी गई है। भू-खण्ड का क्षेत्रफल 75,400 वर्गमीटर है।
- (2) डेव्हलपर का चयन खुली निविदा के माध्यम से उच्चतम टेण्डर के आधार पर किया गया है। भूमि प्रीमियम की दर रू. 3325/- प्रति वर्गमीटर है।
- (3) डेव्हलपर द्वारा डिजाईन तैयार कर परिसर में अधोसंरचनाओं का विकास और स्वतंत्र आवास एवं फ्लैट का निर्माण स्वयं की निधि से किया जायेगा एवं विक्रय किया जायेगा। लाइसेंस की अवधि नौ वर्ष है।

- (4) डेव्हलपर द्वारा 5 वार्षिक किस्तों में भूमि प्रीमियम की राशि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को दी जायेगी।
- (5) प्लॉट के बाउण्ड्री तक जलप्रदाय, सिवरेज, 33 के.व्ही.ए. विद्युत लाईन एवं सब स्टेशन एनआरडीए द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्लॉट के भीतर सभी विकास कार्य डेव्हलपर द्वारा किया जायेगा।
- (6) स्वतंत्र आवास एवं फ्लैट के आबंटितियों को एनआरडीए द्वारा भूमि की लीज प्रदान की जायेगी। लीज रेंट भूमि प्रीमियम का 2 प्रतिशत होगा।
- (7) लीज की अवधि प्रथमतः तीस वर्ष है जिसे नियमानुसार दो समान अवधि के लिए नवीनीकृत किये जाने का प्रावधान है।

3 —नया रायपुर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को रीफिलिंग-सह-सर्विस स्टेशन विकसित एवं निर्माण करने के लिए अनुमति की प्रमुख शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) नया रायपुर के सेक्टर क्रमांक - 36 में 1485 वर्गमीटर आकार के भू-खण्ड में रिफ्यूलिंग सह-सर्विस स्टेशन के विकास एवं निर्माण की अनुमति हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है।
- (2) कंपनी का चयन निविदा द्वारा किया गया जिसमें अधिकतम प्रीमियम रू. 2054/- प्रति वर्गमीटर प्राप्त हुआ। भूमि 30 वर्ष के लीज पर आबंटित होगी जिसे दो समान अवधि के लिए, प्रत्येक अवधि में भू-भाटक में अधिकतम 100 प्रतिशत वृद्धि की शर्त के अंतर्गत बढ़ाया जा सकेगा।
- (3) लीज ग्रहिता को एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर दो वर्ष की अवधि में निर्माण पूर्ण कर व्यवसाय प्रारंभ करना होगा। विलम्ब कि स्थिति में सरचार्ज के साथ समयावधि में वृद्धि का प्रावधान है।
- (4) लीज ग्रहिता भूमि को लीज की शर्तों के अध्याधीन सब-लीज या प्रेंचाइजि के आधार पर आबंटित कर सकेगा परंतु परियोजना प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।

4 – इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को रीफिलिंग-सह-सर्विस स्टेशन विकसित एवं निर्माण करने के लिए अनुमति की प्रमुख शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) नया रायपुर के सेक्टर क्रमांक – 13 में 2275 वर्गमीटर आकार के भू-खण्ड में रिफ्यूलिंग सह-सर्विस स्टेशन के विकास एवं निर्माण की अनुमति इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है।
- (2) कंपनी का चयन अधिकतम प्रीमियम रू. 3081/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित करते हुए किया गया है। भूमि 30 वर्ष के लीज पर आबंटित होगी जिसे दो समान अवधि के लिए, प्रत्येक अवधि में भू-भाटक में अधिकतम 100 प्रतिशत वृद्धि की शर्त के अंतर्गत बढ़ाया जा सकेगा।
- (3) लीज ग्रहिता को एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर दो वर्ष की अवधि में निर्माण पूर्ण कर व्यवसाय प्रारंभ करना होगा। विलम्ब कि स्थिति में सरचार्ज के साथ समयावधि में वृद्धि का प्रावधान है।
- (4) लीज ग्रहिता भूमि को लीज की शर्तों के अधधीन सब-लीज या प्रेंचाइजि के आधार पर आबंटित कर सकेगा परंतु परियोजना प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।

5 – नया रायपुर में स्टार होटल एवं कन्वेंशन सेंटर विकसित एवं निर्माण करने के लिए मेसर्स वीसा अरबन इंफ्रा लिमिटेड को अनुमति की प्रमुख शर्तों एवं जमीन के रकबे का विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) नया रायपुर सेक्टर-24 में स्टार होटल एवं कन्वेंशन सेंटर विथ कमर्शियल फेसिलिटी विकसित एवं निर्माण बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर करने के लिए मेसर्स वीसा अरबन इंफ्रा लिमिटेड को अनुमति दी गई है।
- (2) परियोजना स्थल का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है। डेव्हलपर का चयन निविदा के द्वारा किया गया है। कुल डेव्हलपमेंट प्रीमियम रू. 420.24 लाख है।
- (3) डेव्हलपर द्वारा 3 हेक्टेयर भूमि पर स्टार होटल और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जायेगा। शेष 2 हेक्टेयर भूमि पर कमर्शियल फेसिलिटी जिसमें होटल भी सम्मिलित है, का निर्माण डेव्हलपर द्वारा किया जायेगा।
- (4) डेव्हलपर द्वारा प्रीमियम की राशि चार समान किश्तों में जमा करने की शर्त है।
- (5) भूमि 30 वर्ष की लीज पर आबंटित है जिस अवधि में प्रीमियम का 2 प्रतिशत लीज रेंट डेव्हलपर द्वारा दिया जायेगा। 31 वें वर्ष से लीज प्रीमियम में 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी। लीज की कुल अवधि 60 वर्ष होगी।

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 340) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	दिनांक 31-12-2012 की स्थिति में राईस मिलों की संख्या (3)	राईस मिलों की मिलिंग क्षमता (मे. टन में) प्रति घंटा (4)
1.	रायपुर	12	6.00
2.	महासमुन्द	12	6.00
3.	धमतरी	11	5.50
4.	दुर्ग	35	17.50
5.	राजनांदगांव	21	10.50
6.	कवर्धा	7	3.50
7.	जगदलपुर	24	12.00
8.	कांकेर	3	1.50
9.	दन्तेवाड़ा	7	3.50
10.	बिलासपुर	30	15.00
11.	कोरबा	6	3.00
12.	जांजगीर-चांपा	23	11.50
13.	रायगढ़	11	5.50
14.	सरगुजा	3	1.50
15.	कोरिया	1	0.50
योग		206	103.00

प्रपत्र "ब"

क्रमांक	जिले का नाम	राईस मिलों की संख्या	राईस मिलों की मिलिंग क्षमता (मीट्रिक टन में) प्रति घंटा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिलासपुर	104	355.35
2.	राजनांदगांव	60	148.00
3.	महासमुंद	120	432.50
4.	दुर्ग	99	270.25
5.	रायपुर	183	1166.50
6.	कांकेर	33	121.50
7.	सरगुजा	32	127.75
8.	बस्तर	32	90.00
9.	रायगढ़	106	374.00
10.	बीजापुर	00	00
11.	कबीरधाम	24	59.00
12.	जशपुर	26	90.50
13.	दंतेवाड़ा	1	2.00
14.	सुकमा	7	14.00
15.	बेमेतरा	19	30.50
16.	बलौदा बाजार	65	188.75
17.	धमतरी	152	467.84
18.	जांजगीर-चांपा	151	471.50
19.	कोरबा	55	149.00
20.	कोरिया	15	40.00
21.	नारायणपुर	1	2.00
22.	बालोद	51	120.50
23.	कोंडागांव	23	75.50
24.	मुंगेली	36	106.00
25.	गरियाबंद	17	95.00
26.	सूरजपुर	24	87.00
27.	बलरामपुर	4	12.00
महायोग		1440	5096.94

परिशिष्ट “पच्चीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 375) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	खरीफ वर्ष	धान की किस्म	मात्रा (टन में)	राशि(लाख में) रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2010-11	कॉमन (मोटा)	3150862	330840.51
		ग्रेड “ए” (पतला)	1922522	207632.37
			योग	5073384
2.	2011-12	कॉमन (मोटा)	3784812	427683.75
		ग्रेड “ए” (पतला)	2115760	245428.16
			योग	5900572
3.	2012-13	कॉमन (मोटा)	4417381	552172.63
		दिनांक 14-02-13 की स्थिति में.	ग्रेड “ए” (पतला)	2431169
			योग	6848550
				863362.26

परिशिष्ट-“छब्बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क. 422) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

अटल आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि

जिला	नगरीय निकायों	स्थान का नाम	भवनों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति राशि
रायपुर	ग्राम पंचायत धनसुली	धनसुली	300	330.00 लाख
	ग्राम पंचायत मुनगी	मुनगी	984	1085.29 लाख
	नगर पंचायत आरंग	आरंग	935	1028.50 लाख
	नगर पंचायत कुंरा	कुंरा	294	323.40 लाख
	ग्राम पंचायत गिरोला	बेलभाटा	525	602.00 लाख
	ग्राम पंचायत गातापार	गातापार	353	490.67 लाख
दुर्ग	नगर निगम दुर्ग	बघेरा	129	141.90 लाख
	नगर पंचायत पाटन	पाटन	235	258.50 लाख
बेमेतरा	नगर पालिका बेमेतरा	सिंधोरी	50	55.00 लाख
	नगर पालिका बेमेतरा	मोहभट्टा	220	242.00 लाख
राजनांदगांव	ग्राम पंचायत तोरनकट्टा	मनकी	175	192.50 लाख
	नगर पालिक निगम राजनांदगांव	पेण्डी	395	434.50 लाख
	ग्राम पंचायत गण्डई	गण्डई	195	214.50 लाख
	ग्राम पंचायत टेडेसरा	टेडेसरा	122	134.20 लाख
	ग्राम पंचायत पिपरिया	पिपरिया	169	335.50 लाख
	ग्राम पंचायत मोहारा	मोहारा	98	107.80 लाख
	ग्राम पंचायत चौथना	चौथना	100	110.00 लाख
कबीरधाम	ग्राम पंचायत बोड़ला	बोड़ला	101	111.10 लाख
महासमुन्द	नगर पंचायत सरायपाली	सरायपाली	224	246.40 लाख
	नगर पंचायत बसना	बसना	262	288.20 लाख
बिलासपुर	ग्राम पंचायत झल्फा	झल्फा (बिल्हा)	200	851.40 लाख
	नगर पालिका पंचायत कोटा	डिपरापारा (कोटा)	229	
	ग्राम पंचायत निरतू	निरतू (तखतपुर)	300	
मुंगेली	ग्राम पंचायत लोरमी	सारधा (लोरमी)	200	352.00 लाख
	ग्राम पंचायत मुंगेली	सुरदा (मुंगेली)	120	
बीजापुर	नगर पंचायत बीजापुर	बीजापुर	200	220.00 लाख

दंतेवाड़ा	नगर पंचायत गीदम	कदमटीकड़ा	140	154.00 लाख
बस्तर	नगर पालिक निगम जगदलपुर	अघनपुर	33	36.30 लाख
जांजगीर-चांपा	नगर पंचायत जांजगीर	हसदेव विहार	100	110.00 लाख
जशपुर	नगर पंचायत बगीचा	बगीचा	50	55.00 लाख
	नगर पंचायत कुनकुरी	कुनकुरी	20	22.00 लाख
कांकेर	ग्राम पंचायत चावड़ी	बारगरी चारामा	66	72.60 लाख
	नगर पंचायत कराठी	कराठी भानुप्रतापपुर	126	138.60 लाख
कोरबा	ग्राम पंचायत जेंजरा	कटघोरा	125	137.60 लाख
कोरिया	ग्राम पंचायत सलका	सलका बैकुण्ठपुर	94	103.40 लाख
नारायणपुर	नगर पंचायत नारायणपुर	नारायणपुर	200	220.00 लाख
कोण्डागांव	नगर पालिका कोण्डागांव	बंधापारा	44	48.40 लाख
	नगर पालिका कोण्डागांव	तहसील पारा	17	18.70 लाख
रायगढ़	नगर पंचायत घरघोड़ा	घरघोड़ा	179	196.90 लाख
	नगर पंचायत धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	127	139.70 लाख
	नगर पंचायत पुसौर	पुसौर	127	139.70 लाख
	नगर पालिका खरसिया	खरसिया	252	277.20 लाख
सरगुजा	नगर पंचायत सीतापुर	सीतापुर	42	46.20 लाख
		योग	8857	

अटल आवास योजना अंतर्गत आवंटित भवनों की जानकारी

जिला	स्थान का नाम	आबंटित भवनों की संख्या
रायपुर	धनसुली	300
	मुनगी	984
	आंरग	592
	कुरा	294
	बेलभाटा	525
	गातापार	—
दुर्ग	बघेरा	129
	पाटन	226
बेमेतरा	सिंघोरी	50
	मोहभट्टा	220
राजनांदगांव	मनकी	—
	पेण्डी	388
	गण्डई	—
	टेड़ेसरा	117
	पिपरिया	119
	मोहारा	58
	चौथना	—
कबीरधाम	बोड़ला	—
महासमुन्द	सरायपाली	224
	बसना	262
बिलासपुर	झल्फा (बिल्हा)	192
	डिपरापारा (कोटा)	229
	निरतु (तखतपुर)	286
मुंगेली	सारधा (लोरमी)	180
	सुरदा (मुंगेली)	115
बीजापुर	बीजापुर	200
दतेवाड़ा	कदमटीकड़ा	140
बस्तर	अघनपुर	33
जांजगीर—चांपा	हसदेव विहार	97
जशपुर	बगीचा	15
	कुनकुरी	20
कांकेर	बारगरी चारामा	66
	कराठी भानुप्रतापपुर	126
कोरबा	कटघोरा	124

कोरिया	सलका बैकुण्ठपुर	89
नारायणपुर	नारायणपुर	200
कोण्डागांव	बंधापारा	—
	तहसील पारा	17
रायगढ़	घरघोड़ा	74
	धरमजयगढ़	101
	पुसौर	95
	खरसिया	170
सरगुजा	सीतापुर	39
योग		7096

परिशिष्ट “सत्ताईस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 423) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में संचालित दालभात केन्द्रों की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	संचालित दालभात केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	रायपुर	15
2.	बलौदाबाजार	7
3.	गरियाबंद	4
4.	धमतरी	4
5.	महासमुंद	3
6.	दुर्ग	8
7.	बालोद	6
8.	बेमेतरा	0
9.	राजनांदगांव	5
10.	कवर्धा	5
11.	बिलासपुर	17
12.	मुंगेली	4
13.	जांजगीर	6
14.	कोरबा	4
15.	रायगढ़	7
16.	सरगुजा	4
17.	सुरजपुर	5
18.	बलरामपुर	0
19.	कोरिया	6
20.	जशपुर	5
21.	बस्तर	3
22.	कोंडागांव	0
23.	नारायणपुर	0
24.	कांकेर	13
25.	दन्तेवाड़ा	0
26.	सुकमा	1
27.	बीजापुर	1
योग		133

परिशिष्ट “अट्ठाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 490) के भाग (ख) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2012 में पीडीएस के चावल एवं उचित मूल्य दुकानों के मिट्टी तेल के अवैध विक्रय के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

विकासखंड का नाम (1)	प्रकरण का विवरण (2)	प्रकरणों में की गई कार्यवाही (3)
राजनांदगांव	1. ग्राम पंचायत तोरनकट्टा में पीडीएस चावल के वितरण में अनियमितता संबंधी प्रकरण.	प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई.
	2. श्री मोतीराम सुखीराम द्वारा अवैध रूप से 1800 लीटर नीले मिट्टी तेल का परिवहन. प्रकरण में वाहन तथा मिट्टी तेल जप्त किया गया.	प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई.
	3. श्री संदीप सिंह, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव द्वारा अवैध रूप से दो टैंकों में क्रमशः 12570 लीटर एवं 9000 लीटर कुल 21570 लीटर नीले मिट्टी तेल का अवैध परिवहन. प्रकरण में दोनों टैंकों तथा मिट्टी तेल जप्त.	प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई.
	4. श्री प्रकाश यादव, रिक्शा हाकर द्वारा मिट्टी तेल का अवैध विक्रय.	प्रकरण विचाराधीन है.
	5. श्री श्याम लाल साहू, मिट्टी तेल हॉकर द्वारा मिट्टी तेल का अवैध विक्रय.	प्रकरण में हॉकर पर 1000 रु. अर्थदण्ड किया गया है.
	6. श्री छन्नू महिलांग, मिट्टी तेल हॉकर द्वारा मिट्टी तेल का अवैध विक्रय.	प्रकरण में हॉकर पर 1000 रु. अर्थदण्ड किया गया है.

परिशिष्ट “उनतीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 666) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

सीमेंट संयंत्र हेतु वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक निष्पादित एमओयू की सूची

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित स्थल	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. टापवर्थ सीमेंट प्रा.लि., मुम्बई	01-07-2008	ग्राम रसमड़ा, तह. व जिला दुर्ग	666.31
2.	मे. गोदावरी पावर एंड इस्पात लि., रायपुर	01-07-2008	ग्राम गोटा, तह. धमधा, जिला दुर्ग	628.00
3.	मे. जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लि., रायपुर	01-07-2008	ग्राम परसाबाड़ी, सिलतरा, तह. व जिला रायपुर	418.00
4.	मे. सारडा इनर्जी एंड मिनरल्स लि., रायपुर	01-07-2008	ग्राम कोसिर तह. पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा	550.00
5.	मे. सिंघल स्टील्स प्रा.लि., रायपुर	01-07-2008	ग्राम केवटाडीह, तह. मस्तुरी जिला बिलासपुर	600.00
6.	मे. एस. के. एस. इस्पात एंड पावर लि., रायपुर.	01-07-2008	ग्राम पतईडीह, तह. मस्तुरी, बिलासपुर	680.00
7.	मे. मान्हेरूका सीमेंट लि., कोलकाता	01-07-2008	राजनांदगांव	300.00
8.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि., चांपा	01-07-2008	ग्राम भादा, तह. व जिला जांजगीर-चांपा	485.00
9.	मे. आधुनिक कार्पोरेशन लि., कोलकाता	07-08-2008	ग्राम नेवारी, तह. पलारी रायपुर	700.00
10.	मे. आर्यन इस्पात एंड पावर प्रा. लि., बिलासपुर.	07-08-2008	ग्राम केंवतरा, तह. मस्तुरी, बिलासपुर	593.98
11.	मे. श्री बजरंग मेटालिक्स एंड पावर लि., रायपुर.	07-08-2008	ग्राम मलपुरीखुर्द, हिंगनाडीह, संडी, तह. धमधा, जिला दुर्ग.	735.00
12.	मे. जयप्रकाश एसोसियेट्स लि. नई दिल्ली	07-08-2008	ग्राम देवसुन्दरा, तह. पलारी, जिला बलौदा-भाटापारा.	1005.00
13.	मे. कस्तुरी सीमेंट प्रा.लि., रायपुर	07-08-2008	ग्राम भरूवाडीह, तह. तिल्दा, जिला रायपुर	150.00
14.	मे. के.पी. सीमेंट मेन्युफेक्चरिंग कंपनी प्रा. लि., दुर्ग.	07-08-2008	ग्राम हरदी, तह. धमधा, जिला दुर्ग	325.00
15.	मे. एमएसपी स्टील एंड पावर लि., कोलकाता	07-08-2008	ग्राम मुढीपार, जिला राजनांदगांव	800.00
16.	मे. श्याम सेंचुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., रायपुर	07-08-2008	ग्राम तरौद, तह. अकलतरा जांजगीर-चांपा	550.00
17.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लि., रायपुर	07-08-2008	ग्राम मोहरेंगा तह. तिल्दा, जिला रायपुर	1100.00
18.	मे. शांति जीडी इस्पात एंड पावर प्रा.लि., रायपुर.	08-10-2008	ग्राम झलमला, तह. अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा.	550.00
19.	मे. जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, जेकेपुरम, सिरौही, राजस्थान.	28-07-2010	ग्राम मलपुरीखुर्द, तह. धमधा, जिला दुर्ग	1000.00
योग				11836.29

परिशिष्ट “तीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 667) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

सीएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा जिला कबीरधाम में भूमि आवंटित की गई इकाईयों की सूची

क्र. (1)	इकाई का नाम (2)	उत्पाद (3)
1.	मेसर्स सृष्टि आर्गनिक्स	बायो-आर्गनिक्स एवं बायो फर्टिलाइजर
2.	मेसर्स साई ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज	सीमेंट मिक्स ब्रिक्स, सीमेंट अन्य उत्पाद
3.	मेसर्स विनायक ब्रिक्स	फ्लाई एश ब्रिक्स
4.	मेसर्स आदित्य इंटेक्ट रिशोसेस प्रा. लिमि.	फ्लाई एश ब्रिक्स
5.	मेसर्स श्री एस. के. ब्रिक्स	फ्लाई एश ब्रिक्स
6.	मेसर्स मां शारदा इण्डस्ट्रीज	फ्लाई एश ब्रिक्स एवं ब्लाक
7.	मेसर्स सद्गुरू फर्नीचर्स	मेन्युफेक्चरिंग आफ वुडन फर्नीचर्स
8.	मेसर्स भट्ट गुड उद्योग	गुड निर्माण
9.	मेसर्स पीताम्बर ब्रिक्स	फ्लाई एश ब्रिक्स
10.	श्री विनायक फ्लाई एश ब्रिक्स	फ्लाई एश ब्रिक्स
11.	मेसर्स कुबेर ब्रिक्स	फ्लाई एश ब्रिक्स लाइन प्रोडक्ट्स एण्ड सीमेंट फैन्सींग पोल

प्रपत्र "ब"

सीएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र अंजनी (पेंडारोड) में जिला बिलासपुर में दिनांक 31-01-2013 तक भूमि आवंटित की गई इकाईयों की सूची

क्र. (1)	औद्योगिक इकाई का नाम (2)	प्रयोजन (3)
1.	अंजनी फोरजिंग	एमएस नटबोल्ट
2.	मे. मार्स एडेसीव्हस् एण्ड ऑरगनोमेटेलिक्स प्रा.लि.	सीमेंट केप्सूल्स, एल्युमिनियम हाईड्राक्साईड आदि
3.	मे. यश राईस मिल	राईस मिलिंग
4.	मे. यश मार्डन फूड प्रोडक्ट्स	राईस ब्रान, राईस ब्रोकर
5.	मे. हर्ष हण्डस्ट्रीज	फेरिक/नॉनफेरिक एलम
6.	मे. न्यू आदित्य कांक्रिट कम्पोनेंट	पीसीसी पोल्ट्स फेंसिंग पोल्ट्स
7.	मे. न्यू छत्तीसगढ़ कांक्रिट कम्पोनेट्स	इलेक्ट्रिक पोल्ट्स
8.	मे. प्रशांत स्टील्स	जी आई वायर एवं
9.	मेसर्स मायंका स्टील्स	बारबेड वायर
10.	मे. पूर्वी वायर प्रोडक्ट्स	नट बोल्ट
11.	मे. शांति फ्लाई ऐश ब्रिक्स	फ्लाई ऐश ब्रिक्स
12.	मे. श्रीराम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स	ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग
13.	मे. श्याम इण्डस्ट्रीज	पैकड फूड प्रोसेस
14.	मे. महालक्ष्मी कांक्रिट उद्योग	ह्यूम पाईप
15.	श्रीराम इण्डस्ट्रीज	एल्युमिनियम इगांट्स
16.	विकास स्टोन क्रेसर	स्टोन चीप्स
17.	अनमोल बायो फर्टीलाइजर	राईस
18.	विपुल ग्वार गम	ग्वारगम
19.	किशान मितान एग्रो	कृषि उपकरण
20.	मे. अंशिका वंश फ्लोर मिल	फ्लोर मिल
21.	मे. रिया बेंडेज एण्ड कॉटन इण्डस्ट्रीज	कॉटन/बेंडेज
22.	व्ही. के. स्टील इण्डस्ट्रीज	सीडी कपलींग
23.	मे. धनवंतरी केमिकल्स	फिनाईल/टिंकर
24.	मे. अमर कंटक हर्बल	हर्बल प्रोडक्ट
25.	मे. अमर कंटक पेकेजिंग	कार्ड बोर्ड
26.	मे. पूर्णिमा दाल मिल	दाल मिल
27.	मे. शांति उद्योग	आडियों विजुअल अलार्म
28.	भारत इंजीनियरिंग वर्क्स	स्टील फर्नीचर्स
29.	बजरंगी मिनी राईस मिल	राईस मिल
30.	महामाया इण्डस्ट्रीज	बारबेड वायर
31.	शारद स्टील फर्नीचर्स	स्टील फेब्रीकेशन
32.	मे. अमर कंटक एक्सट्रैक्शन एण्ड डिस्टिलेशन	एक्सट्रैक्शन एण्ड डिस्टिलेशन
33.	मे. श्री तेजबहादुर इण्ड	सोडियम सल्फेट
34.	मे. श्री अर्जुन उद्योग	सोडियम थियो सल्फेट
35.	मे. जे. के. आयुर्वेदिक	आयुर्वेदिक ऑयल
36.	मे. लक्ष्मी मेटल प्रोडक्ट्स	मेटल प्रोडक्ट्स (एल्युमिनियम) हांडी
37.	अंजनी सीमेंट टाईल्स	सीमेंट टाईल्स
38.	नर्मदा डिस्टील वाटर	डीस्टील वाटर
39.	छ.ग. सर्जिकल्स	सर्जिकल बेंडेज
40.	सिमप्लेक्स इंजीनियरिंग	पी.सी.सी. पोल

परिशिष्ट "इकतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 716) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रश्न "अ"

अहिवादा विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका परिषदों में बनाये गये बीपीएल राशनकार्डों की जानकारी

क्रमांक	नगरपालिका परिषद का नाम	वार्ड का नाम	विगत तीन वर्षों में बनाये गये बीपीएल राशनकार्डों की संख्या
1	धरोदा	हथखोज वार्ड वार्ड क 1	24
2		अकलोरडीह वार्ड वार्ड क 2	12
3		जरवाय वार्ड क 3	17
4		दादर पर्वत वार्ड क 4	8
5		उमदा वार्ड क 5	32
6		महामाया पारा वार्ड क 6	13
7		शीतला पारा वार्ड क 7	15
8		शांति पारा वार्ड क 8	7
9		विद्युत मण्डल वार्ड क 9	15
10		डबरा पारा वार्ड वार्ड क 10	24
11		रेलवे कार्लोनी वार्ड क 11	3
12		नेहरू नगर वार्ड क 12	14
13		गांधी नगर वार्ड क 13	28
14		बाजार चौक वार्ड क 14	17
15		शांति नगर वार्ड क 15	11
16		वसुंधरा वार्ड क 16	2
17		पदुम नगर वार्ड वार्ड 17	4
18		धरोदा दरली वार्ड क 18	12
19		धरोदा भाठा पारा वार्ड क 19	10
20		पंचशील नगर वार्ड क 20	6
21		इंदिरा नगर वार्ड क 21	9
22		जोन 1 परिधम वार्ड क 22	1
23		जोन 1 पूर्व वार्ड क 23	0
24		जोन 2 परिधम वार्ड क 24	1
25		जोन 2 पूर्व वार्ड क 25	3
26		जोन 3 पूर्व वार्ड क 26	5

क्र.सं.	नगरपालिका परिषद का नाम	वार्ड का नाम	विगत तीन वर्षों में बनाये गये बीपीएल राशनकार्डों की संख्या
27	चरोदा	उरला वार्ड क 27	38
28		देव बलोदा शिवमंदिर वार्ड क 28	22
29		देव बलोदा बस्ती वार्ड क 29	26
30		देव बलोदा सागर पास वार्ड क 30	12
31		जी केबिन चरोदा वार्ड क 31	8
32		जी केबिन पी पी वार्ड वार्ड क 32	1
33		शिरसा कला वार्ड क 33	38
34		सोमनी वार्ड क 34	17
35		मोरिद वार्ड क 35	42
36		गनियारी वार्ड क 36	16
योग			513
1	जामुल	कालीमाता वार्ड क 1	6
2		मठपारा शक्तिनगर वार्ड क 2	3
3		लक्ष्मी पारा वार्ड क 3	3
4		दुर्गा मंदिर वार्ड क 4	7
5		गणेश नगर वार्ड क 5	9
6		संतोषी चौक वार्ड क 6	7
7		लीलाधीर वार्ड क 7	8
8		राम मंदिर वार्ड क 8	3
9		महात्मा गांधी वार्ड 9	9
10		सुभाष नगर वार्ड क 10	2
11		एसीसी कालोनी वार्ड क 11	0
12		दुर्गा चौक वार्ड क 12	6
13		लक्ष्मण नगर वार्ड क 13	12
14		राजीव नगर वार्ड क 14	15
15		शिवपुरी वार्ड क 15	19
16		महारणा प्रताप वार्ड क 16	8
17		महामाया वार्ड क 17	5
18		शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड क 18	1
योग			123

अश्विकारा विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका परिषदों में सही पाये गये एवं निरस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या

क्रमांक	नगरपालिका परिषद का नाम	वार्ड का नाम	31.12.2012 की स्थिति में सही पाये गये राशनकार्डों की संख्या	निरस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या
1	चरौदा	हथखोज	421	35
2		डबरा पारा वार्ड	661	103
3		रेल्वे कालोनी वार्ड	71	43
4		नेहरू नगर वार्ड	338	85
5		गांधी नगर वार्ड	385	36
6		बाजार चौक वार्ड	346	43
7		शांति नगर वार्ड	357	56
8		वसुंधरा वार्ड	45	11
9		पदुम नगर वार्ड	35	5
10		चरोदा बस्ती वार्ड	415	45
11		चरोदा भाठा पारा वार्ड	576	52
12		अकलोरडीह	433	85
13		पंचशील नगर वार्ड	61	8
14		इंदिरा नगर वार्ड	156	38
15		जोन-1 पश्चिम वार्ड	100	4
16		जोन-1 पूर्व वार्ड	73	14
17		जोन-2 पश्चिम वार्ड	34	9
18		जोन-2 पूर्व वार्ड	10	3
19		जोन-3 पूर्व वार्ड	90	23
20		उरला वार्ड	594	109
21		देव बलोदा शिवमंदिर वार्ड	395	60
22		देव बलोदा बस्ती वार्ड	422	85
23		जरवाय	531	75
24		देव बलोदा सागर पारा वार्ड	192	1
25		जी - केविन चरौदा वार्ड	262	43
26		जी. केविन पी. पी. याई वार्ड	241	0

क्र.सं.	नगरपालिका परिषद का नाम	वार्ड का नाम	31.12.2012 की स्थिति में सही पाये गये राशनकार्डों की संख्या	निरस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या
27	चरौटा	सिरसा कला वार्ड	687	61
28		सोमनी वार्ड	310	29
29		मोरिद वार्ड	507	43
30		गनियारी वार्ड	583	34
31		टाटरपथरी	434	40
32		उमदा	338	30
33		महामाया पारा वार्ड	352	111
34		शीतला पारा वार्ड	425	76
35		शांतिपारा वार्ड	203	6
36		विधुत मंडल वार्ड	276	17
योग			11359	1518

1	जामुल	कालीमाता वार्ड	175	91
2		सुभाष नगर वार्ड	217	14
3		ए.सी.सी. कालोनी वार्ड	0	0
4		दुर्गा चौक वार्ड	354	45
5		लवकुश नगर वार्ड	350	44
6		राजीव नगर वार्ड	201	31
7		शिवपुरी वार्ड	357	51
8		महाराणा प्रताप	321	61
9		महामाया वार्ड	263	38
10		शहीद वीरनारायण वार्ड	288	40
11		मठ पारा शक्ति नगर वार्ड	327	51
12		लक्ष्मी पारा वार्ड	182	48
13		दुर्गा मंदिर वार्ड	204	30
14		गणेश नगर वार्ड	333	48
15		संतोषी चौक वार्ड	362	50
16		लीला धीर वार्ड	279	53
17		राम मंदिर वार्ड	261	21
18		महात्मा गांधी वार्ड	146	12
योग			4620	728

परिशिष्ट “बत्तीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 717) के भाग (क) की जानकारी]

दुर्ग जिले में छापामार कार्यवाही के उपरांत जप्त सामग्रियों की जानकारी

वर्ष 2010-11

(मात्रा कि वंटल में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्यवाही स्थल का नाम	जप्त सामग्री		
			चावल	धान	कनकी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्ग	रानी सती एगो फुड प्राय. लिमि. दुर्ग	128.78	0	0
2.		मीरा टेडर्स जेवरा सिरसा, दुर्ग	8.48	60.27	6.36
3.		श्री सीता एगो फुड्स अरसनारा	67.34	0	0
4.		बजरंग एगोटेक इंडिया प्राय. लिमि. समोदा, दुर्ग	114.36	0	0
5.		विनायक फुड्स अण्डा, दुर्ग	5.32	360	507.2
6.		बाफना टोल प्लाजा बाईपास रोड के पास, दुर्ग	320	0	0
7.		सरोज देवी म. स्व. सहा. समूह, दुर्ग	13.66	0	0
8.		शा. उ. मू. दुकान सेक्टर 10	50	0	0
योग			707.94	420.27	513.56

वर्ष 2011-12

1.	दुर्ग	आदेश प्रा. सह. उप. भं. स्टेशन मरोडा, भिलाई	6.11	0	0
2.		महाराजा पेडडी राईस मिल करंजा भिलाई	495	960	0
3.		जिन्दल पेडडी प्रोसेसिंग यूनिट चंदखुरी	42.51	105.62	0
4.		हीरो मोती राईस मिल चंदखुरी	14.67	160.52	0
5.		किशोर सारटेक्स प्रा. लिमि.	103.96	838.62	0
6.		नमन फुड प्रोडक्ट जेवरा सिरसा, दुर्ग	0	1428.51	0
7.		हनुमत राईस मिल जेवरा सिरसा	177.46	0	0
योग			839.71	3493.27	0

परिशिष्ट "तैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 720) के भाग (ख) की जानकारी]

खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में किसानों को उपार्जित धान पर दिये गये बोनस की जिलेवार जानकारी
(संशोधित)

(राशि लाख में)			
क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2011-12 किसानों को दिया गया बोनस (@ 50/- प्रति क्विंटल) राशि	वर्ष 2012-13 किसानों को दिया गया बोनस राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	2322.57	0.00
2.	गरियाबंद	904.83	0.00
3.	बलौदा बा	2029.48	0.00
4.	महासमुंद	2558.75	0.00
5.	धमतरी	1751.25	0.00
		योग	9566.88
6.	दुर्ग	1537.96	0.00
7.	बालोद	1897.61	0.00
8.	बेमेतरा	1635.44	0.00
		योग	5071.01
9.	राजनांदगांव	1965.84	0.00
10.	कबीरधाम	763.82	0.00
		योग	2729.66
11.	बस्तर	311.98	0.00
12.	कोंडागांव	90.90	0.00
13.	नारायणपुर	12.77	0.00
14.	कंकेर	634.69	0.00
15.	दंतेवाड़ा	21.22	0.00
16.	बीजापुर	33.04	0.00
17.	सुकमा	37.33	0.00
		योग	1141.93
18.	बिलासपुर	1763.46	0.00
19.	मुंगेली	1007.36	0.00
20.	जांजगीर	3901.18	0.00
21.	कोरबा	461.01	0.00
		योग	7133.01
22.	सर्गुजा	605.52	0.00
23.	सूरजपुर	514.18	0.00
24.	बलरामपुर	471.84	0.00
25.	कोरिया	255.47	0.00
		योग	1847.01

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	रायगढ़	2151.41	0.00
27.	जशपुर	224.42	0.00
	योग	2375.83	0.00
	महायोग	29865.33	0.00

टीप :- वर्ष 2012-13 में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा धान पर बोनस की राशि नहीं दी गई है.

परिशिष्ट "चौत्तिस"

[अतारहित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 721) के भाग (क) की जानकारी]

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 (दिनांक 31-01-2013) तक समर्थन मूल्य पर भान उपाजन की जिलेवार जानकारी

(मात्रा किं. में एवं गणित लाख में)

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2012-13 (दिनांक 31.01.2013)					वर्ष 2012-13 राशि
		उपाजन केन्द्र	मोटा	पतला	सरना	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	123	1803891.2	1602748.6	2497748.8	5904388.60	74285.68
2	गरियाबंद	59	960692.2	989178.8	616818.6	2566649.60	32379.86
3	बलौदा बा.	142	1634789	2301830.4	1814382.4	5751001.80	72578.07
4	महासमुद	119	3640097.9	2326761.2	804801.4	6771660.50	85343.78
5	धमतरी	80	1196203.4	2465588.2	631719.6	4293511.20	54408.57
	योग	523	9235673.70	9686067.20	6365470.80	25287211.70	318995.97
6	दुर्ग	76	1165213.2	1039450.2	1264764.8	3469428.20	43679.69
7	बालोद	109	1696683	2020477.4	523561.6	4240722.00	53615.17
8	बेमेतरा	83	1425543.4	327097.2	2045385.2	3798025.80	47573.45
	योग	268	4287439.60	3387024.80	3833711.60	11508176.00	144868.31
9	राजनादगांव	110	1255301.8	2282285.6	843972.8	4381560.20	55454.19
10	कबीरधाम	79	482456.8	786987.6	511800	1781244.40	22501.65
	योग	189	1737758.60	3069273.20	1355772.80	6162804.60	77955.84
11	बरतर	58	404827.13	385205.84	0	790032.97	9990.97
12	कोडागांव	43	41039.58	265707.04	0	306746.62	3914.04
13	नारायणपुर	6	9772.25	38183.88	0	47956.13	610.91
14	कांकेर	111	245138.58	1341670.62	7206.6	1594015.80	20327.70
15	दंतेवाड़ा	11	57064.61	5545.63	0	62610.24	784.29
16	बीजापुर	13	162734.85	6801.77	37.6	169574.22	2121.72
17	सुकमा	12	111419.71	3850.54	0	115270.25	1442.03
	योग	254	1031996.71	2046965.32	7244.20	3086206.23	39191.67
18	बिलासपुर	128	1411275	1549180.1	682265.2	3642720.30	45998.76
19	मुंगेली	85	1079161.4	331451.8	652250.8	2062864.00	25885.24
20	जांजगीर	206	4315740.93	55578	1505892.3	5877211.23	73481.81
21	कोरबा	40	586253.58	39737	120667.78	746658.36	9345.15
	योग	459	7392430.91	1975946.90	2961076.08	12329453.89	154710.96
22	सरगुजा	29	6029.6	881766.91	36	887832.51	11362.44
23	सूरजपुर	30	20103.64	1022972.54	36.4	1043112.58	13345.80
24	बलरामपुर	34	15850.7	896264.45	0	912115.15	11670.32
25	कोरिया	19	3505.2	560858	0	564363.20	7222.80
	योग	112	45489.14	3361861.90	72.40	3407423.44	43601.35
26	सायगढ	119	4008706.46	223324.4	571986.5	4804017.36	60117.21
27	जशपुर	23	355651.85	199461.76	0	555113.61	6998.76
	योग	142	4364358.31	422786.16	571986.50	5359130.97	67115.97
	महायोग	1947	28095146.97	23949925.48	15095334.38	67140406.83	846440.06

परिशिष्ट “पैंतीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 753) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

खरीफ वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में विपणन संघ द्वारा खरीदे गए धान की मात्रा मिलिंग मात्रा एवं शेष की जानकारी
दिनांक 20-01-2013

क्र.	जिले का नाम	खरीफ वर्ष 2010-11			खरीफ वर्ष 2011-12		
		विपणन संघ को प्राप्त धान	कस्टम मिलिंग की मात्रा	शेष मात्रा	विपणन संघ को प्राप्त धान	कस्टम मिलिंग की मात्रा	शेष मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कवर्धा	99620	40512	0	151817	75014	0
2.	कांकेर	122971	91402	0	126279	125060	0
3.	कोरबा	69021	87104	0	90455	123851	0
4.	कोरिया	23744	23744	0	50599	50599	0
5.	जशपुर	27320	52764	0	44883	74391	0
6.	जांजगीर-चांपा	631547	561441	0	752566	636100	31055
7.	दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर.	24231	23896	0	18249	14479	0
8.	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा	795368	542593	0	1009920	817881	0
9.	धमतरी	374884	206413	0	349478	456616	0
10.	बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव.	114271	114271	0	83095	86744	0
11.	बिलासपुर, मुंगेली	386676	379379	0	544066	678302	31850
12.	महासमुंद	521006	318412	0	507041	424719	0
13.	राजनांदगांव	318544	286391	0	392527	363973	0
14.	रायगढ़	372080	343513	0	423268	481836	56
15.	रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद.	1052578	805334	0	1046106	1117485	0
16.	सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर.	139522	137621	0	310223	263052	0
कुल योग		5073384	4014790	0	5900572	5790102	62961

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 756) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2012-13 में खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न नहीं लेने वाले एपीएल हितग्राहियों की संख्या

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	प्रचलित एपीएल राशनकार्ड की संख्या	वर्ष 2012-13 में खाद्यान्न नहीं लेने वाली एपीएल कार्डों की माहवार संख्या												जनवरी 2013
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर				
1	कोमा	48	2	0	13	8	30	33	29	32	36	22			
2	पाली	212	0	49	0	26	103	108	98	63	0	0			
3	भीमखोज	91	0	0	21	51	88	22	28	25	31	27			
4	खल्लारी	116	0	0	0	16	36	0	22	85	34	3			
5	बीके बाहरा	106	0	0	0	38	102	84	82	101	104	108			
6	पतेरापाली	374	0	0	0	229	216	331	334	330	368	72			
7	सिरीपठारीमुड	155	0	0	0	19	69	82	81	135	40	0			
8	लमकेनी	93	67	63	48	52	70	48	36	33	9	0			
9	जुनवानीखुर्द	15	37	23	9	11	20	12	6	14	0	0			
10	जुनवानीकला	134	40	17	4	26	17	10	9	90	0	0			
11	बागबाहरा शहर 1	793	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0			
12	बागबाहरा शहर 2	318	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0			
13	बागबाहरा शहर 3	292	133	165	172	129	91	90	69	228	222	0			
14	बागबाहरा शहर 4	270	10	7	0	57	30	28	13	127	108	0			
15	खुसुरुपाली	167	3	0	17	2	29	48	40	37	0	0			
16	बरबसपुर	281	0	0	29	10	60	70	76	162	0	151			
17	एमकेबाहरा	91	0	0	9	21	21	0	16	52	38	35			
18	ओकारबंद	130	0	0	0	9	51	59	30	38	23	13			
19	चरोदा	97	0	0	0	81	55	0	0	0	87	0			
20	कमरोद	120	0	0	91	84	111	97	0	0	0	66			
21	नामामाचा	241	0	0	25	54	77	28	19	40	35	46			
22	पचेडा	157	0	0	0	150	101	89	74	135	46	53			
23	हाडाबद	63	0	0	15	20	34	24	46	6	0	8			
24	अरड	89	0	0	21	0	45	19	11	0	6	24			
25	मोहदी	48	0	0	11	0	1	1	43	21	17	21			

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	प्रचलित एपीएल राशनकार्ड की संख्या	वर्ष 2012-13 में खाद्यान्न नहीं लेने वाली एपीएल कार्डों की माहवार संख्या											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी 2013		
26	बिहाड़र	101	0	0	14	0	27	0	10	6	0	0		
27	घुघापानी	146	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0		
28	शिकारीपानी	219	0	0	0	4	25	0	3	14	16	0		
29	बिराजपानी	153	3	3	0	5	25	5	8	12	0	0		
30	तदूकोना	341	0	0	0	5	0	0	8	0	0	0		
31	मोगसामोस	172	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0		
32	कलमीदावर	89	3	2	11	1	27	0	2	20	6	9		
33	समर	161	0	0	16	13	71	3	15	15	7	6		
34	खग्हरिया	118	0	0	0	27	86	91	101	105	106	106		
35	आमाकोनी	120	0	0	14	45	96	105	115	107	113	67		
36	खुटरी	64	6	6	6	21	55	62	61	63	63	33		
37	इमरपानी	54	0	0	12	12	32	49	52	44	47	44		
38	तमोरा	223	113	0	0	52	161	95	95	222	170	136		
39	तुसदा	27	0	0	0	6	20	12	12	25	25	25		
40	तोडराबाधा	87	70	0	0	28	87	51	51	107	107	100		
41	सुखरी डगरी	516	0	53	84	132	132	111	69	166	94	82		
42	बागवासाफला	177	18	23	0	0	76	0	41	0	0	0		
43	खोपली	199	0	62	0	150	126	68	0	0	0	0		
44	गवीर	174	4	0	0	56	115	102	20	92	4	22		
45	नरी	250	202	202	196	218	127	45	0	85	85	15		
46	झिटकी	172	87	73	16	144	111	93	137	153	0	0		
47	परसुली	105	0	7	17	59	76	76	74	72	0	0		
48	परकाम	133	70	14	29	121	128	48	19	18	21	15		
49	खटली	167	83	0	27	92	88	103	103	24	16	16		
50	बाघामुडा	120	3	0	0	30	79	45	72	72	72	30		
51	खैरतखुर्द	133	0	0	0	53	65	58	64	61	62	58		
52	देवरी	273	34	22	22	0	61	20	6	13	40	38		
53	सालरमंडा	164	66	62	58	103	164	164	164	83	87	84		
54	कुसगी	222	78	53	22	55	127	95	154	117	106	48		
55	कसेकेरा	211	0	0	15	64	21	0	0	0	0	28		
56	टोगोपानी	206	21	0	15	41	66	112	157	84	124	0		
57	मोथा	262	0	0	16	50	55	46	0	0	0	0		

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	प्रचलित एपीएल राशनकार्ड की संख्या	वर्ष 2012-13 में खाद्यान्न नहीं लेने वाली एपीएल कार्डों की माहवार संख्या											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी 2013		
58	कोसमर्दा	246	54	23	66	77	246	158	221	221	184	18		
59	भलेसर	100	27	14	37	41	100	113	166	93	86			
60	बोईरगांव	202	91	32	71	58	202	204	204	280	143	31		
61	खैरट कला	244	58	0	28	0	74	228	0	0	0	85		
62	टेका	120	65	41	68	74	113	157	157	258	133	62		
63	हांथीबाहरा	102	63	73	98	122	122	120	116	116	77	46		
64	बसुलाडबरी	360	0	0	42	96	197	120	156	189	213	0		
65	भदरसौ	124	0	0	33	112	49	36	104	93	104	0		
66	मुनगासेर	384	0	0	0	142	53	119	60	60	42	0		
67	फिरगी	64	11	0	25	30	7	21	34	0	0	0		
68	कौसरा	170	0	0	20	15	5	2	0	19	67	0		
69	खेमडा	444	0	63	131	0	170	0	115	0	0	0		
70	मोगरावाली	270	20	20	129	124	141	114	59	55	72	94		
71	डोंगरगांव	205	16	16	16	44	141	113	45	25	16	7		
72	गांजर	155	1	1	1	3	14	4	0	22	0	0		
73	तुपकबोरा	87	9	9	9	7	41	20	10	10	0	0		
74	कोमाखान	257	91	105	101	171	143	143	262	300	245	144		
75	घोईनाबाहरा	60	0	9	25	0	50	57	39	69	52	0		
76	कुलिया	133	6	0	43	99	114	89	194	194	212	119		
77	टेमरी	133	8	3	27	86	69	8	135	62	52	133		
78	पटपरपाली	191	15	11	52	166	107	85	146	109	76	80		
79	सिवनीकला	177	0	0	35	19	133	88	63	63	57	30		
80	सुरमाल	145	7	7	69	110	54	54	203	171	100	100		
81	पतेरापाली	150	9	6	26	73	55	49	109	161	120	120		
82	भालुघुवां	222	0	0	112	194	190	66	90	198	130	221		
83	कण्डीडार	150	15	3	19	0	64	40	184	163	153	144		
84	ठाकुरदियाखुर्द	148	4	0	0	34	0	24	20	0	0	0		

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	प्रचलित एपीएल राशनकार्ड की संख्या	वर्ष 2012-13 में खाद्यान्न नहीं लेने वाली एपीएल कार्डों की माहवार संख्या												जनवरी 2013
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर				
85	कोदोपाली	402	130	70	95	11	400	129	75	94	161	45			
86	जंधोरा	277	3	0	91	69	127	117	18	7	18	35			
87	कौहाकुड़ा	257	8	6	87	181	141	121	6	3	94	30			
88	अरड	92	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0			
89	गोडबहाल	183	1	0	62	148	138	79	81	94	57	0			
90	परसापाली	207	19	0	70	170	131	131	76	134	142	130			
91	दुरुगपाली	279	87	65	108	125	153	7	13	2	0	0			
92	घनोरा	206	19	0	0	57	57	4	19	0	0	16			
93	घोघरा	208	14	0	2	0	14	6	13	5	0	0			
94	बगारपाली	280	11	4	9	70	0	0	0	0	3	0			
95	खुटेरी	127	13	0	38	11	17	13	6	1	0	0			
96	ठाकुरदियाकला	180	4	0	54	119	78	73	322	0	0	0			
97	बुंदेली	489	38	11	0	0	106	72	96	70	20	74			
98	छिंदौली	313	13	0	0	35	21	0	21	21	0	0			
99	मुडीपार	237	1	0	80	14	68	33	41	29	18	3			
100	नयापाराकला	121	5	5	49	37	17	25	42	42	49	13			
101	मोहदा	259	6	3	55	18	0	0	136	131	125	59			
102	गडबेडा	169	33	10	11	35	20	3	0	0	44	8			
103	तिलेसर	190	0	0	64	8	70	0	0	12	15	9			
104	बल्डीह	255	0	0	8	0	93	0	13	15	27	10			
105	बढईपाली	289	123	55	55	72	4	12	30	44	3	22			
106	घोच	304	0	0	36	0	30	13	0	0	13	3			
107	सोनासिल्ली	367	36	1	1	107	157	21	21	21	1	57			
108	लामीडीह	142	25	3	2	10	55	17	44	44	34	47			
109	मुडागांव	201	12	6	64	7	121	89	55	44	14	13			
110	खेडीगांव	88	2	1	30	64	68	53	29	35	34	15			
111	सुहागपुर	374	66	10	126	37	33	198	156	39	0	0			
112	कोल्दा	328	0	0	111	38	146	141	15	0	0	111			
113	परसदा	334	0	0	87	0	240	144	0	0	106	191			
114	भुरकोनी	444	86	36	108	60	13	123	141	198	237	101			
	योग	22705	2477	1627	3869	6099	8963	6799	7137	7573	6124	4044			

परिशिष्ट “सैंतीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 757) के भाग (क) की जानकारी]

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में एक से अधिक उचित मूल्य दुकान संचालित करने वाले सेल्समेनों की जानकारी

क्रमांक	सेल्समेन का नाम	संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	उचित मूल्य दुकान का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनोज भारद्वाज	3	कामा, पाली, भीमखोज
2.	श्री नोमेन्द्र कुमार साहू	3	खल्लारी, बी. के. बाहरा, पतेरापाली
3.	श्री भोज राम पटेल	4	सिरी, लमकेनी, जुनवानी खुर्द, जुनवानी कला
4.	श्री रमेश कुमार चन्द्राकर	2	शहरी बागबाहरा 03, शहरी बागबाहरा 04
5.	श्री गंगा राम दीवान	2	खुसरूपाली, बरबसपुर
6.	श्री जय प्रकाश साहू	2	म. क. बाहरा, ओंकारबंद
7.	श्री प्रेम लाल साहू	2	चरौदा, मकरौद
8.	श्री रूपलाल साहू	2	मामाभांचा, पचेड़ा
9.	श्री मनीष चन्द्राकर	3	होड़ाबंद, अरण्ड, मोहन्दी
10.	श्री मनीष चन्द्राकर	2	बिहाझर, घुचापाली
11.	श्री गनपत साहू	2	शिकारीपाली, बिराजपाली
12.	श्री शिवराज साहू	2	तेन्दुकोना, मोगरापाली स
13.	श्री कोमल प्रसाद दीवान	2	कलमीदादर, सम्हर
14.	श्री मिलन सिंह ध्रुव	4	खम्हरिया, आमकोनी, खुटेरी, डुमरपाली
15.	श्री परमेश्वर चक्रधारी	3	तमोरा, तुसदा, बोड़राबोंधा
16.	तेजलाल साहू	2	नर्रा झिटकी
17.	नाथूराम कुरें	2	परकोम पडरीपानी
18.	कोमलसिंह ठाकुर	2	खट्टी परसूली
19.	टेसलाल ठाकुर	2	बाघामुड़ा खैरट खुर्द
20.	रिखीराम साहू	2	देवरी कुसमी
21.	धनेश्वर साहू	2	कोसमर्मा भलेसर
22.	मनोज तिवारी	2	हाथीबाहरा टेका

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 761) की जानकारी]

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छत्तीसगढ़)

कसडोल विधान सभा के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों एवं खाद गोदाम की जानकारी

क्र.	शाखा का नाम	समिति का नाम	उचित मूल्य दुकान						खाद गोदाम					
			उचित मूल्य दुकान का नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है	नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	नवीन खाद गोदाम	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	कोदवा	रेगाडीह	जारा	जारा			1980-81	रेगाडीह	रेगाडीह				1968-69	
2			समहराडीह		समहराडीह	नहीं है	1980-81							
3		कोदवा	कोदवा	कोदवा			1980-81							
4			सकरी		सकरी	नहीं है	1980-81	सकरी	सकरी				1968-69	
5			ससहा	ससहा			1980-81	ससहा	ससहा				1968-69	
6		गाडाभाटा	गाडाभाटा	गाडाभाटा			1980-81	गाडाभाटा	गाडाभाटा		गाडाभाटा	नीव प्रगति पर	1968-69	
7			औरासी		औरासी	नहीं है	1980-81							
8		देवसुन्दा	देवसुन्दा	देवसुन्दा			1980-81	देवसुन्दा	देवसुन्दा		देवसुन्दा	ले-आउट	1968-69	
9			साराडीह		साराडीह	नहीं है	1980-81	साराडीह	साराडीह				2005-06	
10			खपरी		खपरी	नहीं है	1980-81							
11			सर्रा		सर्रा	नहीं है	1980-81							
12		गिर्रा	गिर्रा	गिर्रा			1980-81							
13			गोडा		गोडा	नहीं है	1980-81							
14		भवानीपुर	भवानीपुर	भवानीपुर			1980-81				भवानीपुर	ले-आउट	1968-69	
15			बोहारडीह		बोहारडीह	नहीं है	1980-81							
16		खरतौरा	खरतौरा	खरतौरा			1980-81							
17			मुडपार		मुडपार	नहीं है	1980-81							
18		जर्वे	जर्वे	जर्वे	जर्वे	नहीं है	1980-81	जर्वे	जर्वे		जर्वे	नीव प्रगति पर	1968-69	
19			खैरा		खैरा		1980-81							
20			गबौद		गबौद	नहीं है	1980-81	गबौद	गबौद				2004-05	
21			सुन्दावन		सुन्दावन		1980-81	सुन्दावन	सुन्दावन				2004-05	

क्र	शाखा का नाम	समिति का नाम	उचित मूल्य दुकान				खाद गोदाम					कब से संचालित है	
			उचित मूल्य दुकान का नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है	नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	नवीन खाद गोदाम		निर्माण कार्य चालू है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22		तेलासी	गिधपुरी	गिधपुरी			1980-81	गिधपुरी	गिधपुरी				1968-69
23			गैतरा		गैतरा	नहीं है	1980-81						
24		वटगान	वटगान	वटगान			1980-81	वटगान	वटगान		वटगान	नीव प्रगति पर	1968-69
25			सिसदेवरी	सिसदेवरी			1980-81	सिसदेवरी	सिसदेवरी				
26	पलारी	कुसमी	कुसमी	कुसमी			1980-81	कुसमी	कुसमी		कुसमी	प्रस्तावित	1968-69
27		सैहा	सैहा	सैहा			1980-81	सैहा	सैहा		सैहा	ले-आउट	1968-69
28			गितकेश		गितकेश	नहीं है	1980-81	गितकेश	गितकेश				
29		बलौदी	बलौदी	बलौदी			1980-81	बलौदी	बलौदी		बलौदी	ले-आउट	1968-69
30			टिपावन		टिपावन	नहीं है	1980-81						
31		पलारी	सकरी	सकरी			1980-81	पलारी	पलारी				1968-69
32			दतान	दतान			1980-81	दतान	दतान				2001-02
33	कोसमदी	सरसेनी	सरसेनी	सरसेनी			1980-81						
34			गुमा	गुमा			1980-81	गुमा	गुमा				1968-69
35			धुचरुंगपुर		धुचरुंगपुर	नहीं है	1980-81	धुचरुंगपुर	धुचरुंगपुर				2005-06
36		छेरकापुर	छेरकापुर	छेरकापुर			1980-81	छेरकापुर	छेरकापुर		छेरकापुर	नीव प्रगति पर	1968-69
37			कोसमदा	कोसमदा			1980-81	कोसमदा	कोसमदा				1968-69
38			विनौरी		विनौरी	नहीं है	1980-81						
39		अमेरा	अमेरा	अमेरा			1980-81	अमेरा	अमेरा		अमेरा	प्रस्तावित	1968-69
40			केशला		केशला	नहीं है	1980-81						
41		कोसमदी	कोसमदी	कोसमदी			1980-81	कोसमदी	कोसमदी		कोसमदी	नीव प्रगति पर	1968-69
42			अछोली		अछोली	नहीं है	1980-81						
43	रोहासी	सीतापार	सीतापार	सीतापार			1980-81	सीतापार	सीतापार				1968-69
44			सलौनी	सलौनी			1980-81	सलौनी	सलौनी				1968-69
45			बासबिनौरी		बासबिनौरी	नहीं है	1980-81	सोनारदेवरी	सोनारदेवरी				2005-06
46			खैरादतान		खैरादतान	नहीं है	1980-81	खैरादतान	खैरादतान				2005-06

क्र	शाखा का नाम	समिति का नाम	उचित मूल्य दुकान					खाद गोदाम					कब से संचालित है
			उचित मूल्य दुकान का नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है	नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	नवीन खाद गोदाम	निर्माण कार्य चालू है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47		कोनारी	कोनारी	कोनारी			1980-81	कोनारी	कोनारी			प्रस्तावित	1988-89
48			लच्छनपुर	लच्छनपुर			1980-81	लच्छनपुर	लच्छनपुर				1988-89
49		रोहासी	रोहासी	रोहासी			1980-81	रोहासी	रोहासी				1988-89
50			अमेठी	अमेठी			1980-81	अमेठी	अमेठी			नीव प्रगति पर	1988-89
51		दतरेगी	दतरेगी	दतरेगी			1980-81						2005-06
52			ओडान	ओडान			1980-81	ओडान	ओडान				
53			चरौदा		चरौदा	नहीं है	1980-81	चरौदा	चरौदा				1988-89
54	असडोल		छेहर	छेहर			1980-81						1988-89
55			झबडी		झबडी	नहीं है	1980-81						
56			मडकडा		मडकडा	नहीं है	1980-81						
57			मल्दा	मल्दा			1980-81	मल्दा	मल्दा				
58			भदरा		भदरा	नहीं है	1980-81	मल्दा	मल्दा				2004-05
59		कटगी	कटगी	कटगी			1980-81	कटगी	कटगी				
60			सेल		सेल	नहीं है	1980-81	सेल	कटगी			प्रस्तावित	1988-89
61			खैरा		खैरा	नहीं है	1980-81	सेल	सेल				1988-89
62			सर्वा		सर्वा	नहीं है	1980-81						
63			बैजनाथ		बैजनाथ	नहीं है	1980-81						
64		पिसीद	कोट		कोट	नहीं है	1980-81						
65			देवरीकला		देवरीकला	नहीं है	1980-81						
66			छरछेद	छरछेद			1980-81	छरछेद	छरछेद				1988-89
67			साबर		साबर	नहीं है	1980-81						
68			पिसीद	पिसीद			1980-81	पिसीद					
69		बोरसी	बोरसी	बोरसी			1980-81	बोरसी			पिसीद	ले-आउट	1988-89
70			पुटपुरा		पुटपुरा	नहीं है	1990-91	बोरसी	बोरसी			ले-आउट	1988-89
71			औरई		औरई	नहीं है	1990-91						

क्र	शाखा का नाम	समिति का नाम	उचित मूल्य दुकान				खाद गोदाम				कब से संचालित है		
			उचित मूल्य दुकान का नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है	नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है		नवीन खाद गोदाम	निर्माण कार्य चालू है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72			भिभौरी		भिभौरी	नहीं है	1990-91						
73			खुडमुडी		खुडमुडी	नहीं है	1990-91						
74			मुढीपार	मुढीपार			1980-81	मुढीपार					2003-04
75			अर्जुनी		अर्जुनी	नहीं है	1980-81						
76			ठाकुरदिया		ठाकुरदिया	नहीं है	1990-91						
77			बल्दाकछार		बल्दाकछार	नहीं है	1980-81						
78			अवराई		अवराई	नहीं है	1980-81						
79		हटौद	कुराहा		कुराहा	नहीं है	2001-02						
80			आमाखोहा		आमाखोहा	नहीं है	1980-81						
81			हटौद	हटौद			1980-81	हटौद	हटौद		हटौद	निर्माण कार्य जारी	1988-89
82			कुसुमसरा	कुसुमसरा	कुसुमसरा		1980-81	कुसुमसरा	कुसुमसरा		कुसुमसरा	कार्यआदेश जारी	1988-89
83			सेमारिया		सेमारिया	नहीं है	1980-81						
84			टेमरी		टेमरी	नहीं है	1980-81						
85			खर्वे		खर्वे	नहीं है	1980-81						
86			चकरबाय		चकरबाय	नहीं है	1980-81						
87			कसडोल-1	कसडोल-1			1980-81	कसडोल	कसडोल				1989-89
88			कसडोल-2	कसडोल-2			1980-81						
89			मोहत्तरा	मोहत्तरा			1980-81						
90	लधन		तिल्दा		तिल्दा	नहीं है	2010-11						
91			डोंगरा		डोंगरा	नहीं है	2010-11						
92			करदा		करदा	नहीं है	20 वर्ष						
93			डोगरीडीह		डोगरीडीह	नहीं है	20 वर्ष	डोगरीडीह	डोगरीडीह		डोगरीडीह	अनुबन्ध कार्यवाही	1988-89
94			बरदा		बरदा	नहीं है	20 वर्ष	बरदा	बरदा		बरदा	अनुबन्ध कार्यवाही	1988-89
95			जूडा		जूडा	नहीं है	20 वर्ष						
96			पैजनी		पैजनी	नहीं है	2010-11						

क्र	शाखा का नाम	समिति का नाम	उचित मूल्य दुकान				खाद गोदाम						
			उचित मूल्य दुकान का नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है	नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	नवीन खाद गोदाम	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97			चिचिरदा		चिचिरदा	नहीं है	नहीं है						
98		खैरा	खैरा		खैरा	नहीं है	20 वर्ष	खैरा	खैरा		खैरा	ले-आउट	1968-69
99			खैन्दा		खैन्दा	नहीं है	20 वर्ष						
100			तुरमा		तुरमा	नहीं है	20 वर्ष						
101		सिरियाडीह	सिरियाडीह		सिरियाडीह	नहीं है	20 वर्ष	सिरियाडीह	सिरियाडीह				1968-69
102			मरदा		मरदा	नहीं है	20 वर्ष						
103			अमलीडीह		अमलीडीह	नहीं है	2010-11						
104			कोयदा		कोयदा	नहीं है	20 वर्ष						
105			चगोरी		चगोरी	नहीं है	2010-11						
106		कोहरौद	कोहरौद		कोहरौद	नहीं है	20 वर्ष	कोहरौद	कोहरौद		कोहरौद	निर्माण कार्य जारी	1968-69
107			धाराशिव		धाराशिव	नहीं है	20 वर्ष						
108			कुम्हारी		कुम्हारी	नहीं है	2010-11						
109		सरखोर	सरखोर		सरखोर	नहीं है	20 वर्ष	सरखोर	सरखोर				1968-69
110			अहिल्दा		अहिल्दा	नहीं है	20 वर्ष	अहिल्दा	अहिल्दा				1968-69
111			पडरिया		पडरिया	नहीं है	2010-11						
112		लवन	लवन 01		लवन 01	नहीं है	20 वर्ष	लवन	लवन		लवन	प्रस्तावित	1968-69
113			लवन 02		लवन 02	नहीं है	2010-11						
114			मुण्डा		मुण्डा	नहीं है	20 वर्ष						
115			खम्हारडीह		खम्हारडीह	नहीं है	2010-11						
116			कोलिहा		कोलिहा	नहीं है	2010-11						
117			बगबुडा		बगबुडा	नहीं है	2010-11						
118			सिघारी		सिघारी	नहीं है	20 वर्ष						
119			हरदी		हरदी	नहीं है	2010-11						

क्र.	शाखा का नाम	समिति का नाम	उचित मूल्य दुकान				खाद गोदाम						
			उचित मूल्य दुकान का नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है	नाम	गोदाम है	गोदाम नहीं है	नवीन खाद गोदाम	निर्माण कार्य चालू है	कब से संचालित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	बलौदाबाजार	रसेडा	खैन्दा		खैन्दा	नहीं है	1994-95						
121		डमरू	डमरू	डमरू			1980-81	डमरू	डमरू		डमरू	कार्यआदेश जारी	1968-69
122			ताराशिव		ताराशिव	नहीं है	2004-05						
123			नयापारा		नयापारा	नहीं है	2011-12						
124			अमलकुण्डा		अमलकुण्डा	नहीं है	2011-12						
125		लहौद	डमरू	डमरू			1980-81	डमरू	डमरू		लहौद	कार्यआदेश जारी	1968-69
126			गिदोला		गिदोला	नहीं है	1997-98						
127			बिटकुली		बिटकुली	नहीं है	1997-98						
128			कारी		कारी	नहीं है	2010-11						
129			डोटोपार		डोटोपार	नहीं है	2010-11						
130			भरसेला		भरसेला	नहीं है	2010-11						
131			खटियापाटी		खटियापाटी	नहीं है	2010-11						
	योग		131	46	85				54				

कसडोल विधान सभा के अंतर्गत उ.मू. की दुकानों एवं खाद गोदामों की जानकारी

क्र.	संचालन समिती का नाम	संचालित उ.मू. दुकान	स्वयं का भवन	खाद गोदाम का विवरण	उचित मूल्य दुकान कब से संचालित है
132	सुभाष विप. सह. संस्था मर्या. पलारी	नगर पंचायत पलारी	हों	खाद गोदाम नहीं	2004
133	सुभाष विप. सह. संस्था मर्या. पलारी	ग्राम पंचायत कुकवा	हों	खाद गोदाम नहीं	2007
134	सुभाष विप. सह. संस्था मर्या. पलारी	ग्राम पंचायत फुंडराडीह	नहीं	खाद गोदाम नहीं	2009
135	ग्राम पंचायत मल्लिन	ग्राम पंचायत मल्लिन	नहीं	-	2004
136	ग्राम पंचायत मलपुरी	ग्राम पंचायत मलपुरी	हों	-	2004
137	ग्राम पंचायत धिरघेल	ग्राम पंचायत धिरघेल	हों	-	2004
138	ग्राम पंचायत हरिनमठ्ठा	ग्राम पंचायत हरिनमठ्ठा	नहीं	-	2009
139	ग्राम पंचायत धौराभाठा	ग्राम पंचायत धौराभाठा	हों	-	2008
140	ग्राम पंचायत कौडिया	ग्राम पंचायत कौडिया	नहीं	-	2008
141	ग्राम पंचायत सोनारदेवरी	ग्राम पंचायत सोनारदेवरी	नहीं	-	2008
142	ग्राम पंचायत छडिया	ग्राम पंचायत छडिया	नहीं	-	2004
143	ग्राम पंचायत धमनी	ग्राम पंचायत धमनी	नहीं	-	2004
144	ग्राम पंचायत रसोटा	ग्राम पंचायत रसोटा	हों	-	2004
145	ग्राम पंचायत बोइरडीह	ग्राम पंचायत बोइरडीह	नहीं	-	2004
146	ग्राम पंचायत तिल्दा	ग्राम पंचायत तिल्दा	नहीं	-	2004
147	महिला स्व सहायता समूह बिजराडीह	ग्राम पंचायतअ बिजराडीह	नहीं	-	2004
148	महिला स्व सहायता समूह देवगोंव	ग्राम पंचायत देवगोंव	नहीं	-	2004
149	महिला स्व सहायता समूह तैलासी	ग्राम पंचायत तैलासी	नहीं	-	2004
150	महिला स्व सहायता समूह खपरी (भ)	ग्राम पंचायत खपरी (भ)	नहीं	-	2004
151	महिला स्व सहायता समूह सहाडा	ग्राम पंचायत सहाडा	हों	-	2004
152	ग्राम पंचायत खर्री	ग्राम पंचायत खर्री	हों	खाद गोदाम नहीं	2011
153	महिला स्व सहायता समूह भदरा	ग्राम पंचायत भदरा	नहीं	खाद गोदाम नहीं	2004
154	ग्राम पंचायत पनगोंव	ग्राम पंचायत पनगोंव	हों	खाद गोदाम नहीं	2004
155	ग्राम पंचायत कोरदा	ग्राम पंचायत कोरदा	हों	खाद गोदाम नहीं	2004

परिशिष्ट "उनचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 769) के भाग (क) की जानकारी]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्रमांक	दुकान का नाम	संचालित स्थान का नाम	भवन/गोदाम की उपलब्धता
1	मां बम्लेश्वरी अन्नपुर्णी स्व सहायता समूह रामपुर	रामपुर	भवन उपलब्ध
2	पूजा महिला स्व सहायता समूह पाटेकोहरा	पाटेकोहरा	भवन उपलब्ध
3	ग्राम पंचायत भंडारपुर	भंडारपुर	भवन उपलब्ध
4	ग्राम पंचायत पांडेटोला	पांडेटोला	भवन उपलब्ध
5	ग्राम पंचायत आमगांव (छु)	आमगांव (छु)	भवन उपलब्ध
6	ग्राम पंचायत हैदलकोड़ो	हैदलकोड़ो	भवन उपलब्ध
7	ग्राम पंचायत मातेखेड़ा	मातेखेड़ा	भवन उपलब्ध
8	ग्राम पंचायत केसाल	केसाल	भवन उपलब्ध
9	ग्राम पंचायत हालाडुला	हालाडुला	भवन उपलब्ध
10	ग्राम पंचायत सीताकसा -गै.	सीताकसा-गै.	भवन उपलब्ध
11	ग्राम पंचायत गर्रापार	गर्रापार	भवन उपलब्ध
12	जय मां शीतला स्व सहायता समूह दामाबंजारी	दामाबंजारी	भवन उपलब्ध
13	ग्राम पंचायत घोघरे	घोघरे	भवन उपलब्ध
14	ग्राम पंचायत गोइलवाही	गोइलवाही	भवन उपलब्ध
15	ग्राम पंचायत सीताकसा (उ)	सीताकसा (उ)	भवन उपलब्ध
16	रामायण मां बम्लेश्वरी म.स्व सहा. समूह, तेलीनबांधा	तेलीनबांधा	भवन उपलब्ध
17	शारदा मां स्व सहायता समूह चांदो	चांदो	भवन उपलब्ध
18	मां बम्बलेरी दुर्गा स्व सहायता समूह शिकारीटोला	शिकारीटोला	भवन उपलब्ध
19	गंगा स्व सहायता समूह पुरामटोला	पुरामटोला	भवन उपलब्ध
20	मां बम्बलेश्वरी गायत्री स्व सहायता समूह	बैरागीभेड़ी	भवन उपलब्ध

21	मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समुह पेणड्रीडीह	पेणड्रीडीह	भवन उपलब्ध
22	मां बमलेश्वरी जान ज्योती स्व सहायता समुह	धरमूटोला	भवन उपलब्ध
23	मां भवानी स्व सहायता समुह बेलरगोदी	बेलरगोदी	भवन उपलब्ध
24	मां बमलेश्वरी महिला मंडल स्व स. समुह कोलिहालमती	कोलिहालमती	भवन उपलब्ध
25	नव जागृती स्व सहायता समुह चिरचारीखुर्द	चिरचारी खुर्द	भवन उपलब्ध
26	अन्न. मां बमले. स्व स. समुह कुल्हाडी नांदिया कु.	नांदिया-(कु.)	भवन उपलब्ध
27	जय संतोषी स्व स. समुह मुचेदण्ड भंडारी भर्दा	मुचेदण्ड	भवन उपलब्ध
28	अन्नपूर्णा स्व सहायता समुह साल्हे	साल्हे	भवन उपलब्ध
29	मां बमलेश्वरी दुर्गा स्व सहायता समुह जोन्धरा	जोंधरा	भवन उपलब्ध
30	ज्योति कला स्व सहायता समुह बननवागांव	बननवागांव	भवन उपलब्ध
31	अन्नपूर्णा महिला मंडल सागर	सागर	भवन उपलब्ध
32	शारदा महिला मंडल घोटिया	घोटिया	भवन उपलब्ध
33	मां बमलेश्वरी जागृति स्व सहा. समूह, भरीटोला (अ)	भरीटोला (ब)	भवन उपलब्ध
34	नव दुर्गा स्व सहायता समुह भेजराटोला गोपालपुर	गोपालपुर	भवन उपलब्ध
35	मां बमलेश्वरी महिला समुह /मोरकुटूब, जैतगुंडरा	मोरकुटूब	भवन उपलब्ध
36	मां बमले. दुर्गा स्व स. समुह बिजेपार नांदियाखुर्द	नांदियाखुर्द (छू.)	भवन उपलब्ध
37	नव जागृति मानस कहिला स्व. सह., केशोटोला	केशोटोला	भवन उपलब्ध
38	कल्याणी मां बमलेश्वरी स्व सहा. लूलीकसा-फाफामार	फाफामार	भवन उपलब्ध
39	जय साक्षर स्व. सहायता समूह भकुरी	भकुरी	भवन उपलब्ध
40	महारानी लक्ष्मी बाई स्व. सहायता समूह पठानढोडगी	पठानढोडगी	भवन उपलब्ध
41	मां बमलेश्वरी महिला गंगा बैंक अछोली	अछोली	भवन उपलब्ध
42	नव दुर्गा स्व. सहायता समूह गुंडरदेही	गुंडरदेही	भवन उपलब्ध
43	सहिला स्व सहा. समूह घोरतालाब	घोरतालाब	भवन उपलब्ध
44	सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित कुमर्दा	कुमर्दा	भवन उपलब्ध

45	वन सुरक्षा समिति, ठाकुरवाधा मुजालकला	मुजालकला	भवन उपलब्ध
46	सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित चिरचारीकला	चिरचारीकला	भवन उपलब्ध
47	सेवा सह.समिति बम्हनीचारभाठा	बम्हनीचारभाठा	भवन उपलब्ध
48	ग्राम पंचायत, घुपसाल-कु	घुपसाल-कु	भवन उपलब्ध
49	सेवा सहकारी समिति धनगांव	धनगांव	भवन उपलब्ध
50	सेवा सहकारी समिति खुर्सीटिकुल	खुर्सीटिकुल	भवन उपलब्ध
51	ग्राम वन समिति, आमगांव (कु)	आमगांव-(कु.)	भवन उपलब्ध
52	सेवा सहकारी समिति आतरगांव	आतरगांव	भवन उपलब्ध
53	सेवा सहकारी समिति बादराटोला	बादराटोला	भवन उपलब्ध
54	सेवा सहकारी समिति गिदरी	गिदरी	भवन उपलब्ध
55	सेवा सहकारी समिति उमरवाही	उमरवाही	भवन उपलब्ध
56	सेवा सहकारी समिति आयबांधा	आयबांधा	भवन उपलब्ध
57	सेवा सहकारी समिति रतनभाठ द्वारा संचालित	रतनभाठ	भवन उपलब्ध
58	सेवा सहकारी समिति अरजकुंड	अरजकुंड	भवन उपलब्ध
59	सेवा सहकारी समिति महरुम	महरुम	भवन उपलब्ध
60	सेवा सहकारी समिति रानामटिया	रानामटिया	भवन उपलब्ध
61	सेवा सहकारी समिति महराजपुर	महराजपुर	भवन उपलब्ध
62	सेवा सहकारी समिति लालूटोला	लालूटोला	भवन उपलब्ध
63	सेवा सहकारी समिति झिथराटोला	झिथराटोला	भवन उपलब्ध
64	जय शारदा स्व सहायता समूह, शिकारीमहका	शिकारीमहका	भवन उपलब्ध
65	सेवा सहकारी समिति लालमेटा	लालमेटा	भवन उपलब्ध
66	भवानी महिला स्व सहायता समूह, भरीटोला (ब)	भरीटोला (अ)	भवन उपलब्ध
67	सेवा सहकारी समिति खोभा	खोभा	भवन उपलब्ध
68	सेवा सहकारी समिति सड़क चिरचारी	सड़क चिरचारी	भवन उपलब्ध

69	सेवा सहकारी समिति झाडीखैरी	झाडीखैरी	भवन उपलब्ध
70	सेवा सहकारी समिति हालेकोसा	हालेकोसा	भवन उपलब्ध
71	सेवा सहकारी समिति बूचाटोला	बूचाटोला	भवन उपलब्ध
72	सेवा सहकारी समिति गहिराभेडी	गहिराभेडी	भवन उपलब्ध
73	सेवा सहकारी समिति गेंदाटोला	गेंदाटोला	भवन उपलब्ध
74	सेवा सहकारी समिति मेटेपार	मेटेपार	भवन उपलब्ध
75	सेवा सहकारी समिति कल्लूबंजारी	कल्लूबंजारी	भवन उपलब्ध
76	सेवा सहकारी समिति कुर्हीकला	कुर्हीकला	भवन उपलब्ध
77	सेवा सहकारी समिति जयसिंगटोला	जयसिंगटोला	भवन उपलब्ध
78	सेवा सहकारी समिति जोशीलमती	जोशीलमती	भवन उपलब्ध
79	सहकारी समिति घुपसाल छु.	घुपसाल-छु.	भवन उपलब्ध
80	सेवा सहकारी समिति चारभांटा कु.	चारभांटा-कु.	भवन उपलब्ध
81	सेवा सहकारी समिति बरबसपुर	बरबसपुर	भवन उपलब्ध
82	सेवा सहकारी समिति चिखलाकसा	चिखलाकसा	भवन उपलब्ध
83	सेवा सहकारी समिति टिपानगढ़	टिपानगढ़	भवन उपलब्ध
84	सेवा सहकारी समिति नागरकोहरा	नागरकोहरा	भवन उपलब्ध
85	सरपंच ग्राम पंचायत हैदलकोडो	बागद्वार	भवन उपलब्ध
86	ग्राम पंचायत सांगली	सांगली	भवन उपलब्ध
87	ग्राम पंचायत, बहोरनभेडी	बहोरनभेडी	भवन उपलब्ध
88	ग्राम पंचायत, हांडीटोला	हांडीटोला	भवन उपलब्ध
89	ग्राम पंचायत, मांगाटोला	मांगाटोला	भवन उपलब्ध
90	ग्राम पंचायत, खुर्सीपार	खुर्सीपार	भवन उपलब्ध
91	दुर्गा मां बम्लेश्वरी समूह, थुहाडबरी	थुहाडबरी	भवन उपलब्ध
92	पंचशील स्व सहायता समूह तिरपेमेटा	तिरपेमेटा	भवन उपलब्ध

93	रमाबाई मां स्व सहायता समूह डोंगरगांव	डोंगरगांव	भवन उपलब्ध
94	सरस्वती मां बम्बलेश्वरी स्व सहायता स. सेम्हरबाधा	सेम्हरबाधा	भवन उपलब्ध
95	सरस्वती मां बम्बलेश्वरी स्व सहायता समूह हालमकोडो	हालमकोडो	भवन उपलब्ध
96	सरस्वती मां बम्बलेश्वरी स्व सहायता समूह खडखडी	खडखडी	भवन उपलब्ध
97	नव दुर्गा मां बम्बलेश्वरी बैंक गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	भवन उपलब्ध
98	प्रिया मां बम्बलेश्वरी समूह, थैलीटोला जोरातराई	जोरातराई	भवन उपलब्ध
99	लक्ष्मी मां बम्बलेश्वरी समूह, हितागुटा	हितागुटा	भवन उपलब्ध
100	लक्ष्मी महिला मंडल समूह ब्राम्हणभेडी	ब्राम्हणभेडी	भवन उपलब्ध
101	न्यू महिला मंडल समूह केकतीटोला	केकतीटोला	भवन उपलब्ध
102	आ. जा. सेवा सह. समिति, चौकी भडसेना	भडसेना	भवन उपलब्ध
103	आ. जा. सेवा सह. समिति आतरगांव छछानपहरी	छछानपहरी	भवन उपलब्ध
104	आ. जा. सेवा सह. समिति आतरगांव दाउटोला	दाउटोला	भवन उपलब्ध
105	आ. जा. सेवा सह. समिति, रेंगाकठेरा	रेंगाकठेरा	भवन उपलब्ध
106	आ. जा. सेवा सह. समिति, सिंघाभेडी	सिंघाभेडी	भवन उपलब्ध
107	आ. जा. सेवा सह. समिति, ढादूटोला जादूटोला	जादूटोला	भवन उपलब्ध
108	आ. जा. सेवा सह. समिति, रैनूटोला	रैनूटोला	भवन उपलब्ध
109	आ. जा. सेवा सह. समिति ढादूटोला आमटोला	आमटोला	भवन उपलब्ध
110	आ. जा. सेवा सह. समिति ढादूटोला चिखली	चिखली	भवन उपलब्ध
111	आ. जा. सेवा सह. समिति, चिल्हाटी	चिल्हाटी	भवन उपलब्ध
112	आ. जा. सेवा सह. समिति चिलहाटी ओटेबांधा	ओटेबांधा	भवन उपलब्ध
113	आ. जा. सेवा सह. समिति चिलहाटी कुसुमकसा	कुसुमकसा	भवन उपलब्ध
114	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति ढादूटोला ढादूटोला	ढादूटोला	भवन उपलब्ध
115	सेवा सहकारी समिति छुरिया	छुरिया	भवन उपलब्ध
116	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अंबागढ चौकी	अम्बागढ चौकी	भवन उपलब्ध

117	ग्राम पंचायत आलीवारा	आलीवारा	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
118	सेवा सहकारी समिति पदगुडा	पदगुडा	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
119	सेवा सहकारी समिति साल्हेटोला	साल्हेटोला	पीडीएस भवन नहीं है
120	सेवा सहकारी समिति जोब	जोब	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
121	सेवा सहकारी समिति भौलापुर	भौलापुर	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
122	सेवा सहकारी समिति पिनकापार	पिनकापार	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
123	सेवा सहकारी समिति बड़गांव	बड़गांव	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
124	सेवा सहकारी समिति बिटाल	बिटाल	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
125	ग्राम पंचायत मुंजालपाथरी	मुंजालपाथरी	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
126	ग्राम पंचायत लक्ष्मणभरदा	लक्ष्मणभरदा	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
127	ग्राम पंचायत कलडबरी	कलडबरी	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
128	ग्राम पंचायत मासूलकसा	मासूलकसा	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
129	सेवा सहकारी समिति पंडरापानी	पंडरापानी	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
130	सेवा सहकारी समिति बोईरडीह	बोईरडीह	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं
131	अटल महिला स्व सहायता समूह, पांगरीखुर्द	पांगरीखुर्द	पीडीएस भवन उपलब्ध नहीं